

ISSN: 2348-1390

NEW MAN
INTERNATIONAL JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY STUDIES

VOL. 10 ISSUE 8 AUGUST 2023

A REFEREED AND INDEXED E-JOURNAL

IMPACT FACTOR: 4.321 (IIJIF), 6.033(SIJIF)

Editor in Chief

Dr. Kalyan Gangarde

Editor

Dr. Sadhna Agrawal



NEW MAN PUBLICATION

Full Journal Title:	NEW MAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES
FREQUENCY:	MONTHLY
Language:	ENGLISH, HINDI, MARATHI
Journal Country/Territory:	INDIA
Publisher:	New Man Publication
Publisher Address:	New Man Publication Shivram Nagar, Parbhani -431401 Mob.0 9730721393
Subject Categories:	LANGUAGES, LITERATURE, HUMANITIES , SOCIAL SCIENCES & OTHER RELATED SUBJECTS
Start Year:	2014
Online ISSN:	2348-1390
Impact Factor:	4.321 (IIJIF) 6.033 (SIJIF)
Indexing:	Currently the journal is indexed in: Directory of Research Journal Indexing (DRJI), International Impact Factor Services (IIFS) Google Scholar

NMIJMS DISCLAIMER:

The contents of this web-site are owned by the NMIJMS and are only for academic publication or for the academic use. The content material on NMIJMS web site may be downloaded solely for academic use. No materials may otherwise be copied, modified, published, broadcast or otherwise distributed without the prior written permission of NMIJMS.

Academic facts, views and opinions published by authors in the Journal express solely the opinions of the respective authors. Authors are responsible for their content, citation of sources and the accuracy of their references and biographies/references. The editorial board or Editor in chief cannot be held responsible for any lacks or possible violations of third parties' rights.

FROM THE EDITOR'S DESK

We are delighted to present the August 2023 issue of the *New Man International Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 10, Issue 8. This issue is brimming with insightful research, thought-provoking analyses, and scholarly commentary on a diverse range of topics.

Our first article by Ruth Michichi and Dr. Krushna Chandra Mishra delves into the critical task of designing a dictionary for the endangered Idu Mishmi Language of Arunachal Pradesh, highlighting the importance of language preservation in maintaining cultural heritage.

The issue continues with a thought-provoking analysis of the constitutional validity of anti-conversion laws in India by Dr. Mrs. Pooja Gupta and Mr. Kaushlendra Singh Kushwah. This is followed by Dr. Mamta Mishra and Deepshikha Garg's exploration of the role of victims' participation in the criminal justice system.

Girish Pal and Khushbu Bansal provide insights into the formulation of research problems, while Deepika Phogat and Dr. C.K. Singh examine the relationship between academic achievement, socio-economic variables, and school environment among adolescents.

The journal also includes a series of articles in Hindi, focusing on various aspects of law and justice in India, such as the implementation of victims' rights, state role in the criminal justice system, constitutional validity of death penalty, and the usefulness of case studies in legal research, among others.

A standout feature of this journal is the inclusion of Marathi-language contributions, which not only elevates regional scholarship but also underscores the institution's role in preserving and promoting India's rich linguistic heritage. Dr Zodge, Girgaonkar and Zangde contributed their papers in Marathi.

We are confident that the diverse range of topics and perspectives in this issue will provide our readers with a rich and stimulating intellectual experience. We thank our contributors for their rigorous research and insightful analyses, and our readers for their continued engagement and support.

We look forward to your feedback and encourage you to submit your original research papers for our future issues.

Thank you for your continued support and engagement.

- Dr Kalyan Gangarde

Editor,

Chronicle of Humanities and Cultural Studies.

CONTENTS

1. Considerations in Designing a Dictionary for the Endangered Idu Mishmi Language of Arunachal Pradesh
Ruth Michichi, Dr. Krushna Chandra Mishra 5
2. The Constitutional Validity of Anti-Conversion Laws in India (With special reference to Madhya Pradesh)
Dr. Mrs. Pooja Gupta, Mr. Kaushlendra Singh Kushwah 11
3. The Role of Victims Participation in Criminal Justice System
Dr. Mamta Mishra, Deepshikha Garg 18
4. Formulation of Research Problem
Girish Pal, Khushbu Bansal 21
5. Study of Academic Achievement as Related to Socio-economic Variables and School Environment of Adolescents
Deepika Phogat and Dr. C.K. Singh 27
6. Conversion Rate Optimization: Making It Effective for Effective Sales in Ever-Changing Scenarios
Preeti Singh, Dr. Neha Sharma and Prof. (Dr.) Chandra Prakash Verma 37
7. कादंबरीचे अध्ययन-अध्यापन
डॉ. झोडगे राजाराम अंकुशराव 47
8. भारत में पीड़ितों के अधिकारों के प्रवर्तन की स्थिति
गिरीश पाल, मीनाक्षी चौरसिया 50
9. आपराधिक न्याय प्रणाली में राज्य की भूमिका
निधि गुप्ता, भारतेन्दु चौधरी 58
10. पीड़ित प्रतिकर की उपयोगिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन
भारतेन्दु चौधरी, प्रतिभा कुशवाह 62
11. भारत में मृत्यु दंड की संवैधानिकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन
अभिषेक यादव, डॉ. नीती पांडे 66
12. विधिक शोध के अंतर्गत केस स्टडी की उपयोगिता
सुदामा शाक्य 72
13. न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा चुनौतियाँ
डॉ. ममता मिश्रा, पूजा मांझी 75
14. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का समाज में प्रभाव का अध्ययन
भारतेन्दु चौधरी, रागनी अहिरवार 80
15. विधिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का योगदान
तरुण कुशवाह, सर्वेश सोनी 84
16. इयत्ता १०वीं तील विद्यार्थ्यांना गणितीय विषयातील अध्ययन क्षमता प्राप्त करण्यात येणाऱ्या अडचणी : एक अभ्यास
डॉ. बालाजी गणपतराव गिरगांवकर, अर्चना विठ्ठलराव झांगडे 89

1.

Considerations in Designing a Dictionary for the Endangered Idu Mishmi Language of Arunachal Pradesh**Ruth Michichi,**

(Asst. Professor, Tadar Taniang Government College, Nyapin)

Ph.D. Research Scholar, Department of English, Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh

Dr. Krushna Chandra Mishra,

Professor, Department of English,

Rajiv Gandhi University, Doimukh, Arunachal Pradesh (Research Supervisor)

Abstract: Idu Mishmi language is considered a definitely endangered language according to the records of the UNESCO ‘*Atlas of the World’s Languages in Danger*’, (2009). Therefore, effective efforts are necessary to preserve the language of the Idu Mishmi people of Arunachal Pradesh. Efforts to save the dying languages are made by various societies all over the world in different ways. In the case and context of the Idu Mishmi language, the present paper discusses some of the important considerations that would serve the ends of the creation of a dictionary for use by the school students coming from Idu Mishmi speakers community as a step to ensure the growth of the Idu Mishmi language and save it from its endangered state while making the students learn English language for better academic performance across the class teaching subjects.

Keywords: *Idu Mishmi, endangered language, saving the language, dictionary*

Introduction: Idu Mishmi language of the Idu Mishmi people of Arunachal Pradesh as a ‘definitely endangered’ language according to the records of the UNESCO ‘*Atlas of the World’s Languages in Danger*’, (2009) requires effective efforts in line of the dying languages made by various societies all over the world in different ways. The present paper discusses some of the important considerations that would guide the creation of a dictionary for use by the school students coming from Idu Mishmi speakers community as a step to ensure the growth of the Idu Mishmi language and save it from its endangered state while making the students learn English language for better academic performance across the class teaching subjects.

The Idu Mishmi People and their Language: As the largest state of the North East India, Arunachal Pradesh is a homeland to 26 major tribal groups and various sub-tribes. It is extended over an area of 83,743 sq Km with a population of 13,83,727 only (Census, 2011). Among the districts, the Lower Dibang Valley and Dibang Valley Districts, the homelands of the Idu Mishmi tribe, form the area of study for the present paper. The Idus Mishmis are mainly concentrated in two districts viz, Lower Dibang Valley and Dibang Valley District of Arunachal Pradesh. They also inhabit in small pockets in East Siang District (Aohali village), Lohit District (Tezu), and Upper Siang (Singa, Semo villages) Districts of Arunachal Pradesh. They are included as a part of the larger group of the Mishmi tribe which includes Taraon and Kaman Mishmis also.

Idus are mongoloid in race and speak Idu Mishmi, a non-bodic Tibeto-Burman group of language. Brown (1837) shows the earliest known reference to the Idu Mishmi language. Other language data can also be found in Campbell (1874) and Konow (1902). Many other known publications include the attempts at vocabulary and phrase books by the authors such as Pulu (1978, 2002), Jatan Pulu (1968), P.C. Dutta (1962), Roger Blench and the ILDC (2018) etc. Apart from these language-intended publications, books on the culture and society of the Idu Mishmis have also been published.

Mithu and Midu are the two prominent dialects of the Idu language. These two dialects were the basis of their division which culminated to become Idu and Bebejiya. Mithus were called Bebejiya and in course of the time Midu is stated to become Idu. In the later stage the whole tribe came to be known as Idu. The population structure as per the 2011 census shows that Dibang valley thrives with just 4827 total scheduled tribe population and the lower Dibang valley with 25974 total scheduled tribe population. But these numbers do not guarantee that the speakers would equal the population number. We would be wrong if we guaranteed a language's safety depending on just the number because lower Dibang valley includes both the Idu and the Adi tribes and as such the population number would be divided between the tribes. Secondly the population number does not indicate the speaker's number. Not all of them speak the language. Therefore, relying on the population number would lead to a false assumption of the security of the language.

The Idu Mishmi language has some phrase books and some compilation of the words in order to archive the language. Shri Jatan Pulu with his '*Idu Phrase Book*', (1978), Shri Jimi Pulu with his '*Idu Mishmi Proverbs and Sayings*' (2002) show efforts at work to revitalise the use of the language. Apart from the language speakers themselves some concerned individuals and groups have also shown an interest in recording the language so that whatever was possible could be archived. '*The Idu Mishmis*', by Tapan Kumar Baruah (1988), '*The Idus of Mathun and Dri Valley*' by Tarun Bhattacharjee, (1983) are some examples. Recent efforts of Roger Blench and the Idu Mishmi Language Development Committee have after some trials and primers been able to develop a proper form of dictionary and an acceptable writing system which could be subject to change but at the present moment it is one of the best that could certainly give a space to the Idu Mishmi language in the linguistic diversity and prevent it from getting extinct.

The 'definitely endangered' status of the Idu Mishmi Language: UNESCO's Atlas of the world's languages in danger, Moseley, Christopher (ed.). (2009), shows that the Idu Mishmi language falls under the category of a definitely endangered language. It is a matter of grave concern for the Idu Mishmi people. The saving of this endangered language has thus become an utmost priority for the conscious speakers who are aware of this fast-approaching danger. There has been awareness among various groups like the IMCLS, i.e., Idu Mishmi Cultural and Literary Society, where not only the welfare of the society, but various issues related to the culture, language and society are brought to the knowledge of the people. In the younger generation speakers, the code mixing and code switching are being used almost naturally as if it were the original native language spoken by the native Idu Mishmi people as the use of Assamese, English and Hindi is frequently observed. The language is not dead yet. Therefore,

its preservation is an urgency to stop the process of its dying and subsequently getting extinct. The growth of the Idu Mishmi language in this context depends on various practices that are followed in working with the endangered languages of the globe.

Understanding practices used for revitalisation purposes, for proper education and guidance of people for adoption of some of these in the context of the Idu Mishmi language of Arunachal Pradesh is crucial with reference to Cherokee (Oklahoma), Igbo (Nigeria), Maori (New Zealand), Kamilaroi (Australia), Dgernesiais (Guemsuy/Afghanistan), Wukchumni (yokuts tribe of California), etc. Tom Belt's working with other Cherokee speakers in the Eastern Band led to the teaching of Cherokee lessons at a local school, till the tribe created a language immersion school for children, where core classes –including science and math – are taught in Cherokee. Cherokee language is also offered at the local university, where Belt teaches¹. Further, Darrell Kipp's essay, *Encouragement, Guidance and Lessons Learned: 21 Years in the Trenches of Indigenous Language Revitalization*, tells of his 21 years of experience in the trenches of indigenous language revitalization to revive the Blackfoot language.

The speakers as a community both affected (due to the language having already become endangered) and concerned (about what to do certainly to be able to save it from falling into further endangerment) are to compare from among available models of global practices on helping their language with measures whereby language elements would be more and more gathered together before falling into disuse and disappearance. In this context, one of the ways is to make the school children coming from the Idu Mishmi language speakers' community keep the language in use mostly in terms of its great stock of words. The occasion for the school children to actively, consciously, definitely and necessarily to handle the stock of words would arise only if teaching, learning, testing, examination, evaluation are all made related to the active collection, production and context-based application of the Idu Mishmi words themselves. Further, as the English medium school subjects taught and understood in English language alone creates the real hurdle for the tribe's students resulting in their overall poor academic performance, somewhere scope very definitely arises for the use of the bilingual method, translation wherever found useful, and the use of Idu Mishmi words. Always there it being practically difficult to find effective help from the teacher who is able to help in an English lesson or text, it can be very cosily overcome with the use of a bilingual or trilingual dictionary. In case of Idu Mishmi, such a thought of practically useful dictionary is seen by bringing three languages together for the ease of need-based use primarily by the students though wider general-purpose use can also be quite beneficial to teachers, parents, tutors, visitors and tourists interested in short-term transactions involving the local Idu Mishmi language.

The three-language formula and NEP-2020 -- Hope for the Idu Mishmi Language and Learners of English : Despite the government of India's three-language formula being ideal in conception, very few states could implement it due to various factors. But, as the situation of the languages are growing more pathetic, it is very necessary that the states implement it at the earliest. A growing consciousness among the people speaking the language is the first necessary step towards revitalizing the language. Under the National Education Policy (NEP -2020),

¹ See <https://www.bbc.com/future/article/20140606-why-we-must-save-dying-languages>.

mother tongue is being prioritised in the schooling upto Class V and VIII. The linguistic and academic contexts prevailing in the Idu Mishmi speaking communities of Dibang Valley and Lower Dibang Valley districts require English language learners coming from speech communities that don't have their unique script and that are fast rendered aware of the decaying and dying status of their language because of UNESCO initiatives to realise how their academic performance suffers in absence of their proficiency in English. A dependable dictionary in their own language would make them understand words and texts given in English language.

The government of India has paid due attention to help the endangered languages and the minor languages. Thus, many policies like the three-language formula have been very pragmatically introduced and implemented. The three-language formula that the government of India has devised could actually be implemented where English, Hindi, and a local language can be taken up, so that the languages that are getting out of real-life use could thrive and vibrantly continue as the people's tongues.

Pleading for a Dictionary: A dictionary project thus appears in due course proper to be taken up for the important purpose of cataloguing and documenting the Idu Mishmi language in line of Wilcox's 'wukchumni'² dictionary example. Archiving and learning the language stand to gain by building various dictionaries (mono-lingual, bi-lingual, tri-lingual) for the prescribed CBSE books of the elementary level in the Idu Mishmi dominated areas. Use of such a dictionary would help in the simultaneous learning of three languages (English, Hindi and a local language, here Idu Mishmi) for the tri-lingual dictionary. The innovative use of various dictionaries built for the endangered languages could serve to deal with the elementary level school textbooks. Thus, dictionaries for the elementary level besides enhancing the learning process would ensure the growth of the Idu Mishmi speaking population.

Objectives guiding the construction of the trilingual dictionary:

The main objectives in the creation of this dictionary are:

- To help save the endangered language by documenting the Idu Mishmi language in the form of finding equivalent words in Idu Mishmi for conveying meaning of the words in English taken from the NCERT textbooks of classes I-VIII across the curriculum.
- To introduce the Idu Mishmi language in a formal learning format and enable the students to learn the Idu Mishmi language as they learn English.
- To help the Idu Mishmi students with their academic performance by providing them a tri-lingual dictionary (English-Idu Mishmi-Hindi) as an aid in their learning venture and improve their learning skills.
- To provide information regarding the status and state of the Idu Mishmi language and thus help stem the issue of the threatened Idu Mishmi language.

Considering the pedagogical prospects of an English – Idu Mishmi – Hindi dictionary, it is necessary to intensify lexicographic efforts in the field of endangered language dictionary contents into the teaching process.

² See <https://www.salon.com/2018/04/20/keeping-native-american-languages-alive-in-maries-dictionary-wukchumni-lives-on/>

When designing a dictionary for an endangered language, the first consideration is always the uses that the learners or speakers may want to make of the dictionary. Thus, this dictionary has to cater to such needs of the learners and the speakers. The words taken from the NCERT textbooks being exhaustive. The users are usually put off finding words in huge dictionaries. The words have to be selected on the basis of the themes, availability of words in Idu Mishmi language and also the nearest possible meanings in the Idu Mishmi language. The dictionary thus has to be designed as per the functionality and practical consideration.

Conclusion: In the given context, it is necessary to work out an effective plan of saving the Idu Mishmi language/dialect from its present reported endangered status. A dictionary growing up as a compilation of the words from the school textbooks could indeed help a lot as all the students who are not apt in English language and not familiar with the Idu Mishmi language (in the Idu Mishmi dominated areas) would make the usage of the language possible with assured better comprehension and a better academic performance. As increase in the use of the language is quite practically predictable, actually the Idu Mishmi language would be saved from its already appended tag of being ‘definitely endangered’.

The construction of this tri-lingual (English-Idu Mishmi-Hindi) dictionary seems to immensely benefit the Idu Mishmi community by documenting the Idu Mishmi language which would help revitalize the endangered Idu Mishmi language. With the documentation, a large source of traditional knowledge can be saved from getting eroded and lost. As language is an important source of cultural heritage, its documentation helps in understanding the culture and preserving the pristine knowledge that is embedded in the language. Another benefit would be to the users (Idu Mishmi students), who would be able to learn their own mother tongue with the help of the dictionary. They would also be able to improve their academic performance with the help of the dictionary as an aid to vocabulary in their lessons across the curriculum that they do in the English medium schooling system of the state of Arunachal Pradesh.

Works Cited

- Baruah, Tapan Kumar. (1988). *The Idu Mishmis*, Itanagar: Government of Arunachal Pradesh. [reprint of a 1960 publication].Print
- Bhattacharjee, Tarun. (1983). *The Idus of Mathun and Dri Valley*, Shillong: Government of Arunachal Pradesh. Print
- Brown, N.(1837). ‘Comparison of Indo-Chinese Languages’ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 6:1023-1038.Print
- Brown, N.(1850). ‘Aborigines of the North East Frontier’ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 19:309-316. Print
- Campbell, G.(1874). *Specimens of Languages of India: Including Those of the Aboriginal Tribes of Bengal, the Central Provinces, and the Eastern Frontier*, Calcutta: Printed at the Bengal Secretariat Press. Print
- Dutta, C. (1978). *Arunachal Pradesh, Lohit District Gazetteer*, Government of Arunachal Pradesh. Print
- <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/>
- <https://www.bookdepository.com/Language-Death-David-Crystal/9780521012713> accessed 30May,2017
- Kipp, D. (2000). *Encouragement, guidance, insights and lessons learned from Native language activists developing their own tribal language programs*. Berkeley, CA: Heyday Books.
- Kipps, Darrell.(2009). *Encouragement, Guidance and Lessons Learned: 21 Years in the Trenches of Indigenous Language Revitalization*. 2009:6. Print
- Konow, Sten .(1902). ‘Note on the Languages Spoken between Assam Valley and Tibet’ *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1902: 127-137.

- Moseley, Christopher (ed.). (2009). UNESCO's Atlas of the world's languages in danger
- Pulu, Jatan (1978). *Idu phrase-book*, Shillong: Arunachal Pradesh Directorate of Research. Print
- Pulu, Jimi (2002). *A Handbook on Idu Mishmi Language*, Itanagar: Arunachal Pradesh Directorate of Research. Print
- Unesco. (2016). *Endangered languages*. Retrieved 28 January, 2016. Print
- URL-http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/en/atlas_map/language-id-1084.html.
- <https://www.bbc.com/future/article/20140606-why-we-must-save-dying-languages>.
- <https://www.salon.com/2018/04/20/keeping-native-american-languages-alive-in-maries-dictionary-wukchumni-lives-on/>



2.

The Constitutional Validity of Anti-Conversion Laws in India (With special reference to Madhya Pradesh)

Dr. Mrs. Pooja Gupta

Assistant Professor, Madhav Vidhi Mahavidyalaya, Gwalior.

Kaushlendra Singh Kushwah

LL.M IV Semester, Madhav Vidhi Mahavidyalaya, Gwalior.

ABSTRACT: *“The family, marriage, procreation and sexual orientation are all integral to the dignity of the individual, which tells that the right to life is not merely an animal existence.”* <https://www.lawctopus.com/academike/madhya-pradesh-anti-conversion-law/> - ftn33 The Supreme Court has have, in a series of decisions, held that right to choose one's partner, the right to decide who to have intimate relation with, whether to live in or marry with are indispensable part of our right to life under article 21 of the constitution. This paper attempts to look into two basic but non ending skepticism- Whether the anti-conversion laws restrict the rights to choice, privacy, personal liberty, marriage, and dignity given under Article 21? And whether the anti-conversion laws violate the freedoms of religion and conscience under Article 25?

Keywords: *Article 21, Article 25, Anti-conversion, Allurement, Force, Fraudulent, Religion.*

INTRODUCTION:

People convert to a different religion for various reasons, by free choice, due to a change in beliefs, deathbed conversion, conversion for convenience, marital conversion, and forced conversion.

The anti conversion laws are laws designed **to prevent or prohibit the forceful conversion** from one religion to another. The specific provisions of anti conversion laws vary from place to place and may be enforced through criminal or civil penalties. Anti-conversion laws though are constantly **under criticism because of their ambiguity and the absence of strong justifications for them.**

BACKGROUND AND ENACTMENT OF ANTI CONVERSION LAWS:

Religion in India is not only social, political and economical issue but rather a sentimental issue. The anti conversion laws trace their origin in pre-independence era when princely states like Jodhpur, Patna, Bikaner, Surguja, Kalahandi, Udaipur, and Kota introduced them. Post independence, several attempts were made at the central level to enact a comprehensive law on this subject but failed every time as constitutionally Law & Order is purely a state subject.

Many states (08 out of 28 states) have passed the ‘Freedom of Religion’ ordinance to restrict forceful or fraudulent religious conversions. These states, in order of enactment, are: Odisha in 1967, Madhya Pradesh in 1968, and 2021, Arunachal Pradesh in 1978, Chhattisgarh in 2000 and 2006, Gujarat in 2003, Himachal Pradesh in 2006 and 2019, Jharkhand in 2017, Uttarakhand in 2018, Uttar Pradesh, ordinance in 2020.

THE CONSTITUTIONAL TAKE ON PRACTICE OF RELIGION:

The concept of ‘Secularism’ was not the part of the Constitution since its inception but the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 made it an integral part of its basic structure. Nonetheless, in *S.R. Bommai Vs Union of India*, the Supreme Court ruled **that India was already**

a secular state ever since the origin of the constitution. The Article 25 guarantees right to freedom of conscience and the right to freely profess practice and propagate religion". However, the word "propagate" has been one of the most argued expressions in the entire Constitution, and has been retained despite its disputed nature.

NEWLY ENACTED MADHYA PRADESH FREEDOM OF RELIGION BILL 2021:

As the Madhya Pradesh came up with an ordinance on anti-conversion law, the Madhya Pradesh Freedom of Religion Ordinance, 2020, The Dharma Swatantra Adhiniyam, introduced in 1968, got dissolved with the enactment of the Bill in 2021. Its salient features are:

- Both, the person under going conversion and the priest executing it shall notify the District Magistrate at least 60 days before the desired conversion date Failing which, they can be punished with up to a **five-year jail term and liable to pay a fine not less than Rs.50000.**
- It mandates a priest performing a conversion to notify the District Magistrate, whereas in the UP, the person under going conversion needs to notify themselves.
- In the new law, even the guardian or the custodian court would be able to register a complaint. Earlier only the aggrieved person, parents and siblings could register the offence.
- A family court will declare the marriage null and void if it contravenes with the new law. However the child born out of such marriages will have a right to their father's property, and the children and women will be entitled to maintenance.

Thus, it can be inferred that anti conversion laws are somewhat aimed at providing relief to specific groups, most commonly women.

NECESSITY OF ANTI CONVERSION LAWS:

Anti conversion laws do contribute in - Protection of Cultural and Social chemistry of the society, Protection of the traditions and beliefs of a particular religion and preventing the erosion of its influence or power. It protects the poor and innocent individuals from being coerced or deceived into converting to a different religion and to stop Fraudulent Marriages.

CONSTITUTIONAL VALIDITY OF ANTI-CONVERSION LAWS:

These laws may offer protection, but they also pose limitations on people and individual freedom. Though prima facie they seem to protect the individuals, but the main motive is preventing the person from converting to a particular religion. Thus **prior notification** of conversion (varies from state to state), (though the requirement of giving prior notice is against the Special Marriage Act, 1954), **bestowment of unchecked powers** to the authorities gives way for intrusion in individuals' choice of partners or religion, violating the right to privacy, autonomy, and personal liberty. **The burden of proof (presumption of guilt) lies upon the person accused** of illegal conversion rather than the prosecution. As **under this Bill, every religious conversion is presumed to be illegal.** Furthermore the offence is **cognizable and non-bailable.** Thus, the police can arrest the accused without a warrant.

IMPORTANT SUPREME COURT JUDGMENTS ON MARRIAGE AND CONVERSION:

The Supreme Court and High Courts held the idea that notifying of their intention to marry goes against the fundamental rights of liberty and privacy and the freedom of choice of marriage.

Since the same is against Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights, which underscores the fundamental importance of marriage as an incident of human liberty.

- An adult has the right to marry and convert to another religion of their choice and that the state does not have the right to interfere with an individual's freedom to marry and convert, as observed in *Hadiya vs. Ashokan K.M. SC 2018*, *Lata Singh vs. the State of Uttar Pradesh SC 2006*,
- A person can convert to another religion for marriage purpose, provided such a conversion should not be used for avoiding legal obligations or responsibilities. Also any conversion solely for the purpose of marriage is void and cannot be used as a defense in any legal proceedings as observed in *Sarla Mudgal vs. Union of India SC 1995*, *S. Pushpabai vs. C.T. Selvaraj SC 2023*.

THE SPECIAL MARRIAGE ACT 1954 AND IT'S CONFLICT WITH ANTI CONVERSION LAWS:

THE SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954, permits inter faith marriage which a legal right that anti conversion laws cannot interfere, but it places tangible consequences for the parties to such a marriage in terms of succession. Thus for a Hindu, the law automatically enforces a partition from the individual's undivided family which deprives them of any potential accrual to such property subsequent to the marriage whereas for a Muslim, the law states inheritance to be conducted through the Indian Succession Act, 1925 rather than under Muslim personal laws following an interfaith marriage; the latter being more advantageous to a Muslim man.

Hence, the act of converting solely for the purpose of marriage so as to avoid the impact of the Special Marriage Act provides discernible legal benefits and can arguably be struck down. Moreover, the Supreme Court, in *Stanislaus vs. state of Madhya Pradesh 1977*, held that the act of **religious proselytization is not protected by Article 25** of the Constitution. A distinction was made between the right to propagate and the right to convert. The former was allowed while the latter was seen as not a part of the fundamental rights. Therefore, it's difficult to argue that the UP legislation is unconstitutional for curtailing religious conversions conducted purely for the purpose of marriage. It is further affirmed by existence of identical legislation Uttarakhnad and Himachal Pradesh.

In *Sufiya Sultana V. State of U.P.* 2021 SCC 2020 requirement of mandatory publication of notice and inviting objection under section 5, 6 and 7 of the Special Marriage Act, 1954 by declaring those provisions as declaratory and not mandatory.

In *Lily Thomas V. Union of India 2000* and *Sarla Mudgal V. Union of India SC1995*, it was held religious conversions carried out without a bona fide belief and for the sole purpose of deriving some legal benefit are illegal.

ISSUES ASSOCIATED WITH ANTI-CONVERSION LAWS:

Freedom of religion: Anti conversion laws can be seen as a violation of the right to freedom of religion (Article 25), which is protected by the Constitution of India and International human

rights laws. These laws can restrict an individual's ability to choose their own religion and can be used to suppress minority religions.

Discrimination: Many are of the view that the anti-conversion bill is primarily targeted against the minorities. In some cases, these laws have been used to target and persecute minority religious groups.

Coercion and manipulation: Some people argue that anti conversion laws are necessary to prevent coercion and manipulation in religious conversion. However, others believe that these laws are often used as a pretext to suppress minority religions and restrict the right to freedom of religion.

Social and cultural divisions: Anti conversion laws can contribute to social and cultural divisions within a community or society, particularly if they are used to protect the dominant religion.

Conflict with other laws: Anti conversion laws can sometimes conflict with other laws, such as laws that protect freedom of expression or the right to freedom of association.

Effectiveness: There is debate over the effectiveness of anti conversion laws in achieving their intended goals. Some people argue that these laws are not effective in preventing religious conversion, while others believe that they are necessary to protect the cultural and social cohesion of a community or society.

RECENT DEVELOPMENTS:

The Supreme Court **upheld the decision of MP High court** by maintaining that Section 10 of Madhya Pradesh freedom of religion act (MPFRA), 2021 which obligates a 2 month prior notice before conversion was unconstitutional. **The High Court observed the right to remain silent a fundamental right under article 21 as silence produce privacy.** The solicitor general argued that the above law did not prohibit either marriage or conversion but it only requires to be informed, a provision which was there in 1968 law as well. The bench however pointed out that in 1968 there was no Penal provision and section 10(2) of MPFRA 2021 is a penal provision and said "All conversions cannot be illegal conversions"

Citing Judgments of the SC, the HC had said that in the Lata Singh case, it was recognized, that **the marriage lies within a core zone privacy** of a citizen which was inviolable. "Right to marry a person of choice is held to be integral to article 21 of the constitution." In *K S Puttaswamy (supra) judgment*, the Nine Judge bench has drawn the curtains on this aspect by holding that family, marriage, procreation, and sexual reorientation are all integral to the dignity of the individual.

In December 2020, the Citizens for Justice and Peace (CJP), a Mumbai-based NGO, [filed a Writ Petition](#) in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the laws on the ground that the laws were enacted as a result of a 'baseless rhetoric' known as 'love-jihad'. They argued that the provisions violate the right to personal liberty, freedom of choice, privacy and conscience as they intentionally prevent inter-faith marriages.

In their petition, CJP relied on the case of *Shafin Jahan v. Asokan K.M. (2018)*, *KS Puttaswamy v Union of India (2017)*, *Shakti Vahini v. Union of India (2018)* and *Indian Young Lawyers Association vs The State of Kerala (2019)* which elaborated the role of privacy,

choice and religious beliefs for maintaining dignity. The petition was heard by a 3-Judge Bench headed by Chief Justice S.A. Bobde and Justices V. Ramasubramanian and A.S. Bopanna. The Bench issued notices to the concerned States.

As the CJP petition remains pending, the States of Gujarat (2021), Haryana (2022) and Karnataka (2022) have enacted their own Anti-Conversion laws. However, on August 19th, 2021 the Gujarat High Court put a stay on several sections of the Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act. On November 14th, 2022, the Madhya Pradesh High Court struck down the declaration clause of the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act. The State of Gujarat and Madhya Pradesh have appealed in the Supreme Court. A petition challenging the Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Ordinance, 2022 is pending in the Karnataka High Court.

On January 5th, 2023, the Jamiat-Ulama-i-Hind filed a new petition in the Supreme Court challenging the validity of the anti-conversion laws of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat.

Recently, **The Karnataka** cabinet led by the Congress on Thursday **decided to repeal** the anti-conversion law brought in by the previous BJP government.

Globally, **the U.S. Commission on International Religious Freedom has expressed concerns and called for the laws' revocation.** "India's state-level anti-conversion laws violate international human rights law's protections for the right to freedom of religion or belief. They impermissibly limit and punish an individual's right to convert and right to persuade or support another individual to convert voluntarily," the commission said in a report released March 14, *Issue Update: India's State-Level Anti-Conversion Laws*. "**The anti-conversion laws also worsen religious freedom conditions in India which, as USCIRF has reported, are already poor,**" the commission added.

WAY FORWARD

It is a complex issue with multiple perspectives on the matter; however here are a few ways in which the current situation with the anti conversion laws in India could be addressed moving forward:

- **Reviewing the existing laws:** The current anti conversion laws in India should be reviewed to ensure that they are consistent with international human rights standards and the Indian Constitution. This review should be carried out by experts in the field of human rights and religious freedom and should take into account the views and concerns of all relevant stakeholders.
- **Streamlining the Process:** The government shall work to simplify and streamline the process to make it easier for people coming under this law. Also, the requirement for a prior notice period has been a contentious issue, as it can lead to interference or harassment from third parties. The government could consider removing this requirement or making it optional in certain cases.

- **Raising Awareness:** Many people in India are not aware of the provisions of the Anti Conversions Laws. The government shall work to raise awareness about this law and its benefits, especially in rural areas where awareness is low.
- **Limiting the scope of the laws:** The scope of anti conversion laws should be limited to prohibit only forced or fraudulent conversions while allowing genuine and voluntary conversions. This would help to ensure that the laws are not used to violate the right to freedom of religion or to discriminate against certain religious groups.
- There should be more **transparency and accountability in the implementation of anti conversion laws**, with clear guidelines and procedures. More efforts should be made to **promote dialogue and understanding between religious groups**, with a focus on tolerance and raising acceptance about other religions.
- **Monitoring and Reporting:** To ensure that the laws are not being misused, there should be an independent body which will monitor the law's implementation and take complaints, to ensure that they are being implemented fairly and with transparency and also to report any abuses to the authorities. Ultimately, the way forward for anti conversion laws in India would require a comprehensive approach that balances the right to freedom of religion and the protection of the cultural and social cohesion of the country.

CONCLUSION:

Indian courts, through various landmark judgments, have upheld that the right to choose a partner of a person's choice is a fundamental right. Going by a data, provided by a 2005 survey by the Indian Human Development Survey (IHDS) and the National Council of Applied Economic Research (NCAER), only 2.21 per cent of all women between the ages of 15 and 49 were involved in interfaith marriages, In March 2021, the Madhya Pradesh Freedom of Religion Bill got passed in the state along with a slew of others that preceded or followed. For instance, in April, the Gujarat government amended the Gujarat Freedom of Religion Act 2003, enacting the Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act 2021 in line with eradicating 'love jihad'. This reasoning has prevailed across states which have gone ahead with stringent punishments, banning 'forced' conversions. Issues relating to religious freedom acquire a certain degree of sensitivity which a state has to respect but state also has the duty to preserve peace in the society and thus it becomes imperative for the state to regulate certain activities of the individuals. Maintaining a balance between individual freedom and community interest is actually a challenge for any democratic government. By dint of Article 18(2) of the ICCPR, no person could be made susceptible to extreme persuasion that may infringe upon the freedom to maintain his chosen religious identity.

References:

1. Laura Dudley Jenkins, *Legal Limits on Religious Conversion in India*
2. Abhishek Atrey, *Anti-Conversion Laws and their Constitutionality*
3. Rev Stanislaus vs Madhya Pradesh, (1977) SCR (2) 611
4. The Orissa Freedom of Religion Act, 1967
5. Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021
6. Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act of 1978

7. The Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018
8. Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2019
9. Gujarat Freedom of Religion Act, 2003
10. Chhattisgarh Freedom of Religion Act, 1968
11. Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020
12. Saadia Suleman, *Freedom of Religion and Anti Conversion Laws in India: An Overview*
13. Special Marriage Act, 1954,
14. Safiya Sultana v. State of U.P., (2021) Habeas corpus no.16907 of 2020
15. United Nations Declaration on Human Rights, art 16
16. Lata Singh vs State of U.P. & Another (2006) 5 SCC 475
17. Shakti Vahini v. Union of India, (2010) Writ Petition (Civil) No.231
18. Trishla Rai and another v. the State of U.P, (2019) Writ – C No. – 26364
19. K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) 10 SCC
20. Shafin Jahan v Asokan K.M, (2018) Criminal Appeal No. 366
21. Main.sci.gov.in.



3.**The Role of Victims Participation in Criminal Justice System****Dr. Mamta Mishra****Asso. Professor**Madhav Vidhi Mahavidhyalaya, Gwalior
Gwalior**Deepshikha Garg**

LL.M. final year

Madhav Vidhi Mahavidhyalaya,

Abstract: Meaningful participation in criminal justice by victims of violence is an aspiration of advocates working across domestic and international jurisdictions. Researchers have examined a range of participatory activities undertaken by violence victims. However, there has been no review of research that could build shared understanding of the content and contours of 'participation', its benefits and dis-benefits to victims, nor assess the quality of justice it delivers. This article presents the first systematic quantitative and critical review of the topic. Electronic literature databases were searched to identify empirical research of victim participation whether in domestic or international criminal justice. Searches for peer reviewed academic English-language journal articles found 58 studies matching the selection criteria and published between 2002 and 2021. Given the multiplicity of situations and procedures ascribed as victim participation, we provide a schematic to assist researchers in organizing evidence for future theoretical scrutiny.

Keywords: - victims' participation, criminal justice, victims right, retribution

Introduction

Victims participation in the criminal justice system plays a crucial role in promoting justice, fairness and healing traditionally the criminal justice system has preliminary focused on the prosecution and punishment of offenders often neglecting the needs and rights of the victims. One of the primary reasons for promoting victims participation is to ensure a fair and balance criminal Justice system, by allowing victims to be heard, their perspective and interests are taken into account, providing a more comprehensive understanding of the crime and its impact.

Historical context

In ancient legal system, the focus was primarily on retribution and punishing offenders, victims had limited involvement in the criminal Justice process, with the primarily responsibility resting in the state or Government authority.

In 1970's marked the emergence of the victims right movement which sought to raise awareness about the needs and rights of crime victim. This movement advocated for victims participation in the criminal Justice System, including the right to be heard, informed, and involved in decision making processes. Victims right have expanded to include range of provisions, such as the right to protection, support, compensation, restitution and participation. These rights vary across jurisdiction, but they reflect a border recognition of victims needs and their role in the criminal justice system.

Historically, victims were often seen as passive recipient of Justice, with limited opportunities to actively participate in the criminal Justice process. However, there has been a shift towards empowering victims and enabling their active participation.

Victims Participation

Victims participation can be defined as the active involvement of those who have suffered harm, whether physically, emotionally or financially as a result of a crime.

Victims Participation Report

Before considering victim participation in criminal justice, it is important to first acknowledge that, when victimized, proportionately few people engage with the system at all. Research into help-seeking after violence shows that while many disclose their experience to and seek help from various informal sources (for a review, see McCart, Smith and Sawyer, 2010), few do so to formal sources such as law enforcement (van Dijk, van Kesteren and Smit, 2008). Reporting to police is particularly low where physical or sexual violence is involved. One Australian survey found that only 21% of women who had experienced violence from a current partner reported to police (for a review, see Voce and Boxall, 2018), a finding similar to earlier United States (US) research (Felson and Pare, 2005). An analysis of the International Crime Victim Survey (ICVS) found that 14% of sexual assault victims reported to police (Chon, 2014). Thus, while the negative consequences of victimization by violence are well recognized (Krug, Dahlberg, Mercy, Swi and Lozano, 2002), it is not self evident that victims assessment of the seriousness and wrongfulness of the victimization is sufficient for them to turn to criminal justice authorities. Legal mobilization is everywhere hedged by social norms, situational variables and the legal definitions that victims must navigate (Author, 2017).

Victims impact statements

In the late 1990, my colleagues and I carried out two evaluations of pilot VIS projects in several different police force areas. The first gauged the satisfaction of victims at the start of their cases and at the end 77% of participants were pleased at the start of their cases that they participated, but only 57% were pleased by the end, and 20% were displeased (Hayle et al, 1998).

The second evaluation examined the use of VIS by prosecutors and courts. Although it seems that few had actually been ignored equally few had made any difference to prosecution decisions or to sentence. In giving victim a voice, but not the dignity that attaches to being heard, the UK adheres to the letter but not to the spirit of our international obligations.

Emergence of Participatory Rights for Crime Victims

Research and practice have shown that while some victims prefer to stay out of the criminal justice system, many others wish to participate. The need to accord victims participatory rights has been recognized by many national committees established to study victims in the criminal justice process (e.g., the President's Task Force on Victims of Crime, 1982, in the United States and the report of the Standing Committee on Justice and Human Rights, 1998, in Canada). Similar reports have been published in other jurisdictions.

The international community has also recognized the need to integrate victims into the criminal justice process. In 1985, the United Nations Seventh Congress on the Prevention of Crime and Treatment of the Offender adopted a declaration that required that victims be allowed to present their views and concerns at appropriate stages of the criminal justice process. Victims also enjoy significant rights in proceedings before the International Criminal Court in the Hague. That court

hears cases involving the most serious crimes committed against many hundreds of crime victims.

Many states in the United States have enacted victims' bills of rights that vary in scope from mandating that criminal justice officials simply show respect toward victims, to establishing a victim's right to be present and heard, to allowing victims to sit at the prosecutor's table during trial. In several states, victims' rights are achieved by specific statute, but a number of states have adopted constitutional amendments to give victims' rights greater permanence and visibility. The majority of the states also allow for victim participation in sentencing and parole hearings. The states also provide for victim participation in plea bargaining. However, the extent to which victims are allowed to participate in plea discussions varies widely, with no state providing victims with a veto over plea agreements.

Arguments for Victim Participation at Sentencing

Advocates of victims' rights to participate in the criminal justice process have advanced a variety of arguments, some moral, some penological, and others practical in nature. The idea of victim participation recognizes victims' wishes to be treated as a party to the proceeding. Allowing victims to participate in the criminal process reminds judges, juries, and prosecutors that behind the "state" there is an individual victim with an interest in how the case is ultimately resolved. It is argued that providing victims with input promotes proportionality in sentencing because victims can provide accurate information about the seriousness of the crime. Victim participation may also lead to increased victim satisfaction with the judicial process and cooperation with the criminal justice system. This, in turn, may enhance the system's effectiveness in bringing offenders to justice. It may also increase perceptions of the fairness of proceedings, because it will also allow victims to be heard. The use of VIS may also promote psychological healing by helping victims recover from the emotional trauma associated with their victimization. Finally, it may also alleviate some of the feelings of helplessness that can arise as a result of the crime and the inability on the part of victims to express themselves to judicial authorities.

Conclusion

In conclusion, the role of victim participation in the criminal justice system is crucial for ensuring a fair and effective process that addresses the needs of victims, promotes accountability, and enhances public trust in the system. victim participation contributes to the pursuit of justice by providing valuable information and evidence to investigators and prosecutors.

Additionally, victim participation promotes transparency and accountability in the legal process. victim participation plays a vital role in preventing victimization. By involving victims in the decision-making process, restorative justice aims to promote accountability, repair relationships and foster community healing

References:

1. Dignan, J. (2005). *Understanding victims and restorative justice*. Maidenhead, UK: Open University Press.
2. Erez, E., & Roberts, J. (2007). Victim participation in the criminal justice system. In R. C. Davis, A. Lurigio, & S. Herman (Eds.), *Victims of crime* (2nd ed., chap. 17). Thousand Oaks: Sage.
3. Hall, D. (1991). Victim voices in criminal court: The need for restraint. *American Criminal Law Review*, 28, 233-266.
4. Joutsen, M. (1994). Victim participation in proceedings and sentencing in Europe. *International Review of Victimology*, 3, 57-67.
5. website: criminal-justice.iresearch.net.com/forensic-psychology/victim-participation
6. The role of victim participation in criminal justice system: dissertation file



4.**Formulation of Research Problem****Girish Pal**

Asst. Professor, Madhav Vidhi Mahavidhyala, GWALIOR

Khushbu BansalLLM 4TH SEM RESEARCHER
Madhav Vidhi Mahavidhyala, GWALIOR

Abstract: The first and most important step of a research is formulation of research problems. It is like the foundation of a building to be constructed. To solve a problem someone has to know about the problem. So, the problem identification and formulation is very crucial for the researcher before conducting a research, and this is perhaps one of the most difficult aspects of any research undertaking. The “problem” is stated in the opening passages of a study and, in effect, provides a reader the rationale for why the study is important and why it is necessary to read. This module discusses the concepts and activities for identifying, specifying, and stating a research problem in both quantitative and qualitative research and positioning it within a section that introduces a study, i.e., the “statement of the problem” section. By the end of this module, readers should be able to: (1) Differentiate a research area of interest from a research topic and research problem; (2) Identify one’s own area of interest ; (3) Determining the most suitable topic to study; (4) Explain the importance of a research problem in a study; (3) Distinguish between a research problem and other parts of research process; (5) Identify criteria for deciding whether a problem can and should be researched; (6) Describe how quantitative and qualitative research problems differ; (7) Write a good problem statement section; and (8) Write research questions and hypothesis.

Key words: *English Language Teaching, Area of Interest, Research Topic, Research Problem, Research Question, Hypothesis, Knowledge Gap.*

Introduction

Research, in a very general term, is a systematic way for finding things you and other people did not know which are called as research problems. In this sense, as what the discussion on the research process in previous modules has indicated, research is a process consisting of the identifying and defining research problem, formulating and testing the hypothesis through data collection, organization and analysis, making deductions and reaching of conclusion from the test results of the hypotheses, and reporting and evaluating the research. Viewing its process, research is essentially a problem driven activity.

Since research is problem driven, the first thing to deal in undertaking a study is to identify and determine the problem to study. Identifying a research problem is important because, as the issue or concern in a particular setting that motivates and guides the need for conducting a study, it lays the foundation for an entire project. If the foundation is shaky the entire project is doomed to failure. This is why no vice researchers necessitate absolute caution in the initial stages of a research project. Professional researchers could easily identify a research problem because they have been quite familiar with the phenomena in which a problem generally presents itself. By considering the phenomena which include (1) a difficulty or deficiency to be overcome; (2) a condition to be improved upon; (3) a gap in knowledge that exists in scholarly literature that is to be filled; (4) a theory that requires meaningful understanding; or (5) a body of knowledge or views held in different clime that requires validation or confirmation for local application, professional researchers could easily recognize suitable problem to study. To make the concepts

in this module clearer and more realistic, read the following four research articles: (1) Use of Mother Tongue in EFL Classes of Secondary Schools in Jabodebek: Students' and Teachers' Perception (Pardede, 2018); (2) The Effect of Edmodo on EFL Learners' Writing Performance (Shams-Abadi, Ahmadi and Mehrdad, 2015), Attitudes of Pre-Service EFL Teachers toward Research (Pardede, 2012), and The Contribution of Students' Beliefs about Language Learning, Learning Styles, and Language Learning Strategies toward The English Achievement of The Eleventh Grade Students of State Senior High Schools in Singaraja (Angelianawati, 2012).

Research Field, Area of Interest, Topic and Problem:

Why could professional researchers identify a research problem relatively easy but novice researchers find it difficult? The answer, as it has previously been indicated, is that professional researchers are familiar with their field of the study, while novice researchers still have a relatively familiarity to it. Thus, to be able to identify a research problem, you should first make English language teaching (ELT) research, the field in which you are undertake a research well known to you. To achieve this, overviewing the ELT research and its area is worth doing. Before making an overview of ELT research field, it a good idea first to clarify the four terminologies in this subsection: research field, area, topic and problem. Research field refers to the whole areas of research undertaken in a specific scientific discipline. Thus, ELT research field covers the whole studies carried out in English teaching discipline. A research area is a specific part or section of a research field. A research area covers many topics researchers can study in the context of a scientific discipline. A research topic is "the broad subject matter addressed in a study" (Creswell, 2012, p. 60). Since it is the broad subject matter of a research, many investigators begin here. A research problem, as mentioned previously, is the issue being addressed. It helps in narrowing the topic down to something that is reasonable for conducting a study. Creswell, 2012) defined research problem as "a general educational issue, concern, or controversy addressed in research that narrows the topic" p. 60). The relationship of research field, area of interest, topic and problem is illustrated by Figure 1. It shows that ELT research field is divided into many research areas. Each research area is divided further into many topics, and each topic could is divided into some research problems.

Identification of Research Problem

After choosing a specific topic for your academic paper, you need to state it as a clear research problem that identifies all the issues that you'll address.

It's not always simple for students to formulate it. In some fields, they may end up spending a lot of time thinking, exploring, and studying before getting a clear idea of what research questions to answer.

Research Topic

As mentioned earlier, after having research interests, it will be easier for you to determine the topic or "the broad subject matter addressed in a study" (Creswell, 2012, p. 60). Pardede (2018), for instance, might have decided "Translation in ELT" as one of his research area. Based on this, he selected "the use mother tongue in foreign language learning" the topic of his study. In the same way, Angelianawati (2012) might have decided "Psychology, Anthropology, and

Sociology in ELT” as her area of interest. Then she selected “students’ beliefs about language learning, learning styles, and language learning strategies” as her research topic.

What should you do to identify and select a topic based on your interested research area? Just follow these three steps. First, broaden and deepen your understanding about the research area. Second, make a list of possible topics to study based on the research are. Third, choose the best topic by putting the eleven points below into consideration. The first step could be accomplished by reading literature review, research articles, handbooks and encyclopedias related to the research areas. After having broader and deeper knowledge about the research areas, you are ready to take step two, i.e. listing the possible topics to study. After that, use the eleven considerations proposed by Reis (1999):

1. Can it be enthusiastically pursued?
2. Can interest be sustained by it?
3. Is the problem solvable?
4. Is it manageable in size?
5. Will it lead to other research problems?
6. Is it worth doing?
7. What is the potential for making an original contribution to the literature in the field?
8. If the problem is solved, will the results be reviewed well by scholars in your field?
9. Are you, or will you become, competent to solve it?
10. By solving it, will you have demonstrated independent skills in your discipline?
11. Will the necessary research prepare you in an area of demand or promise for the future?


As indicated by the eleven points, there are some factors to consider when selecting a research topic. Some of them are related to your particular interests, capabilities, and motivations. Some others have to do with the areas that will be of greatest interest to both the academic and private sectors.

Research Problem

A research problem, as mentioned previously, is the issue being addressed in a study. The issue can be a difficulty or conflict to be eliminated; a condition to be improved; a concern to handle; a troubling question, a theoretical or practical controversy (or a gap) that exists in scholarly literature. A research problem helps in narrowing the topic down to something that is reasonable for conducting a study. Creswell, (2012) defined research problem as “a general educational issue, concern, or controversy addressed in research that narrows the topic” p. 60). Continuing with the topic identified by Pardede (2018), he looked at the perception of secondary schools students and teachers of the use of Indonesian in EFL classes. The problem is that very little attention has been given to the issue of first language use in English classes in Indonesia so that there is no appropriate empirical data to prepare the ground for a more reasoned use of Indonesian in the English classroom. By researching this problem, such necessitated data could be obtained. Based on the topic she identified, Angelianawati (2012) focused on the contribution of students’ beliefs about language learning, learning styles, and language learning strategies on students’ English achievement as the problem of her study. By knowing the role of those students’ beliefs it would be easier to facilitate them to succeed their learning.

Steps in Formulating Research Problem

This is a great idea to thinking about the subject area of your interest. You should identify the field in which you would like to work a long time after your academic study or graduation. It will help you tremendously to get an interesting research topic. In this stage, researcher needs to



dissect and specify your research broad study area into some subareas. It is almost impossible to study all subareas. That's why you must identify your area of interest. You should select issues in which you are passionate about. In this step in formulating a research problem, you would point out your research questions under the area of interest as you decided in the previous stage. Set out conspicuously your research root objectives and sub-objectives. Research objectives essentially come from research questions.

Sources of Research Problem

- Personal Experience
- Practical Experience
- Critical appraisal of literature
- Previous research
- Existing theories
- Consumer feedback
- Performance improvement activities
- Social issues
- Brainstorming

- Intuition
- Exposure to field situations
- Consultations with experts

Identification of Research Gap

CONCLUSION

Identifying and determining the research problem, is the issue being addressed in a study, is the first and most important step in undertaking research. A research problem is derived from a topic, or the broad subject matter addressed in a study. Since a topic is selected by considering



the factors of interests, capabilities, motivations, manageability, and contribution to literature, the research problem is supposed to have fulfilled these factors. The fulfillment of this factor can indicate that the problem can and should be studied. Before writing the research problem statement, the investigator also needs to consider whether the problem will better suit a quantitative or qualitative approach. If the problem concerns with the issue that needs to be explained, it is best addressed by quantitative research. If the problem concerns with the issue that needs to be explored, it is best addressed by the qualitative approach. A research problem is succinctly stated in one or more concise paragraph (but not exceeds one page by including five elements: the actual research problem, justification of the importance of the problem as found in current studies and practice, deficiency (gap) in literature about the problem, method (timeframe, participants, location and trend), and the organization, and/or the individuals that will benefit from a better understanding or solution to the problem. The problem statement is then followed by purpose, research questions. Exclusively, the research questions of a quantitative research are followed by the hypothesis.

References:

- Georgetown University. (2018). Alison Mackey, Ph.D. Retrieved October 22, 2018 from: <https://sites.google.com/a/georgetown.edu/alison-mackey/>
- Languages and Social Sciences. (n/d). Professor Anne Burns. Retrieved April 22, 2018 from: <https://www2.aston.ac.uk/lss/staff-directory/professor-anne-burns>
- Pardede, P. (2018). Use of Mother Tongue in EFL Classes of Secondary Schools in Jabodebek: Students' and Teachers' Perception. *Journal of English Teaching*,
- Reis, R. M. (1999). Choosing a Research Topic. Retrieved February 6, 2015 from: <https://www.chronicle.com/article/Choosing-a-Research-Topic/45641>
- Sivakumar, S. & Szalinski, C. (2016). How to choose a research area. Retrieved May 25, 2018 from: <https://www.ascb.org/compass/compass-points/choose-research-area/>

- UR Office of Arizona University. (2018). Identify Your Research Interests. Retrieved August 28, 2018 from: <https://ur.arizona.edu/content/identify-your-research-interests>
- https://www.researchgate.net/publication/329179630_Identifying_and_Formulating_the_Research_Problem
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=>
- <https://chilot.files.wordpress.com/2011/06/legal-research-methods.pdf>
- Angelianawati, L. (2012). The Contribution of Students' Beliefs about Language Learning, Learning Styles, and Language Learning Strategies toward The English Achievement of The Eleventh Grade Students of State Senior High Schools in Singaraja. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 1(2), pp. 1-14.



5.**Study of Academic Achievement as Related to Socio-economic Variables and School Environment of Adolescents****Deepika Phogat and Dr. C.K. Singh**

College of Home Science, CCSHAU, Hisar, Haryana

Abstract: The main objective of this the present investigation was to study the influence of academic achievement on adolescent's socio-economic variables and school environment of Government and Private high school adolescents. The sample comprised of 240 high school adolescents out of which 120 adolescents from government schools and 120 from private school. For the present study, the school environment inventory developed by Misra (1983) was used to measure the school environment as perceived by the adolescents. The result revealed that government and private high school adolescents differ significantly on their school environment and academic achievement. As per relationship of socio-economic variables of adolescent with school environment, the results showed that there was positive and significant relationship found with family type, family size, parental education and occupation, annual family income. Further, the study revealed that there is a significant and positive relationship between school environment and academic achievement of government and private high school adolescents.

Keywords: *School environment, Academic Achievement, Adolescents.*

Introduction:

A proper and adequate environment is very much necessary for a fruitful learning of the child. Especially the home and the school should provide the necessary stimulus for learning experience. The child spends most of his time in school and here his environment is exerting a different influence on performance through curricula, teaching techniques, relationship. Jawaharlal Nehru declared that if all were well with our educational institutions, all would be well with the nation. Educational institutions are intimately linked with society at large. They are the temples of knowledge. Adolescence is the agents of social change and transformation. Therefore, the general condition of our schools, colleges and universities is a matter of great concern to the nation. As a student spends most of his life at school, the school environment is highly responsible for the inculcating of great values in him. The behavioral characteristics of any individual can largely be assessed not only by person alone, but also by his environment in which he is brought up. Each child needs an experientially rich environment.

Lawrenc (2012) has beautifully said, "The destiny of India is now being shaped in her classrooms". As students are the backbones of the nation it is important to maintain a healthy school environment. School environment, in simple terms, means the overall surrounding of a school that comprises all the components of the school right from the infrastructure to the community service activities. School environment attempts to provide an environment that is as rich and active and joyous as possible with opportunities of play, social co-operation, mutual work, creative and constructive activities and safe and secure environment to the child. School environment plays an important role in providing the child a decent atmosphere for their complete development. A healthy school environment is the only way for the healthy

development of the child. The two most influential contexts in which young children's learning and development occur are home and school.

A proper and adequate environment is very much necessary for a fruitful learning of the child. Especially the home and the school should provide the necessary stimulus for learning experience. They are the temples of knowledge. Adolescence is the agents of social change and transformation. Therefore, the general condition of our schools, colleges and universities is a matter of great concern to the nation. As a student spends most of his life at school, the school environment is highly responsible for the inculcating of great values in him. The behavioral characteristics of any individual can largely be assessed not only by person alone, but also by his environment in which he is brought up. Each child needs an experientially rich environment.

Academic achievement is a measure of knowledge gained through formal education, usually indicated in test scores, grade, grade point, average and degrees. Here, achievement level of students is judged by the marks that the students have scored in the examination. In other words, it refers to pupils' attainment in the so-called academic subjects. It is concerned with quantity and quality of learning attained in a subject after a definite period of instructions. At each stage in schools, some measures of achievement are used to assess the student performance and further opportunity for study is depend on it (Purkait, 2019). Young and Fraser (1994) studied the impact of school on the achievement level of students and found that children learn through exploration of their environments, in particular the home and school, as important developmental factors. The classroom environment aids the development and effective achievement of pupil. Studying and observing the effect of school climate perceiving by students upon development and achievement, researchers found that such effect was healthier when there is proper programming, teaching facilities and availability of well-set classrooms. Further, it has been realized that many factors in the environment influence proper growth and development of an individual, and so affect his achievement and adjustment (Makkar, 2010). Children living in poor environment may fail to develop their potentials and skills to the optimum extent, may have a negative effect on their performance in school and achievements in social life, while children growing up in conducive environment may show superior cognitive abilities and academic competence. Socially, the child is the product of environment. If the school is able to create a congenial, pleasant and favourable climate for learning, the child is likely to enjoy the schooling experience. A supportive institutional learning climate likely creates a positive attitude and facilitate learning, whereas a non-supportive climate is likely to create a negative attitude and impede learning. It is therefore necessary to study the academic learning environment of children in these two different contexts of home and school and trace the causal factor for enhancing the academic accomplishment of children (Sunitha, 2005). Academic achievement is defined as the level of actual accomplishment or proficiency one has achieved in an academic area, as opposed to one's potential in the educational goals measured by examinations (Lawrence & Deepa, 2013). It is the outcome of education – the extent to which a student, teacher and institution has achieved their educational goals.

OBJECTIVE OF THE STUDY:

The present study was aimed to analyze the adolescent's perceived mode of school environment and to find out its relationship if any on their interpersonal relationship.

The objectives of the study are as follows-

- ❖ The specific objective of the study were to study the academic achievement and school environment of government and private school adolescents
- ❖ To study the academic achievement and school environment of boys and girls studying in private and government high schools
- ❖ To study the influence between academic achievement as related to socio-economic variables and school environment of high school adolescents

The study was conducted in Hisar district. Schools located in Hisar city both government and private were identified for drawing the samples necessary for the present study. A purposive random sample of 240 adolescents including both boys and girls aged between 14 and 16 year studying in IX and X were drawn for the study.

Independent variables

School Environment Inventory (SEI) developed by Misra (1983) was used to measure the school environment of the adolescents. SEI contains 70 items related to the six dimensions of school environment i.e. (A) Creative Stimulation (CRS), (B) Cognitive Encouragement (COE), (C) Acceptance (ACC), (D) Permissiveness (PER), (E) Rejection (REJ) and (F) Control (CON). Twenty items belong to the creative stimulation dimension while each of the remaining five dimensions has ten items belonging to it. The scale has 70 statements. Assign 4 marks to always, 3 marks to often, 2 marks to sometimes, 1 mark to rarely and 0 marks to no responses.

Reliability of the scale: The split half reliability coefficient for Creative Stimulation (0.919), Cognitive Encouragement (0.797), Acceptance (0.823), Permissiveness (0.673), Rejection (0.781) and Control was 0.762.

Dependent variables

Dependent variables are those, which are influenced by some external or internal factors. Academic achievement of adolescents is taken as a dependent variable for the present study.

Academic achievement: The achievements in academics of individual are important indicator of potentialities, strengths as well as weaknesses of individuals. Formation of a strong desire and ambition motivates individual to strive hard to achieve that goal. The percentage or GPA obtained in last class was recorded.

III. RESULT AND DISCUSSION

Comparison of academic achievement of adolescents as per socio-personal and economic variables

Comparison of academic achievement of adolescents as per socio-personal and economic variables is elucidated in Table 1. Statistically significant differences subsisted for academic achievement as per school ($Z=2.32^*$, $p<0.05$), age ($Z=2.13^*$, $p<0.05$), gender ($F=2.36^*$, $p<0.05$), family size ($F=2.98^*$, $p<0.05$), and annual income wise ($Z=2.94^*$, $p<0.05$). On the other hand, non – significant differences were found for academic achievement of adolescents from various categories of numbers of siblings, family type, and caste of the adolescents.

Table1: Comparison of academic achievement of adolescents as per socio-personal and economic variables

Academic achievement	Socio-personal and economic variables
Academic	School

achievement	Government	Private		Z-value
	Mean ± SD	Mean ± SD		
	1.93± 0.74	1.99±0.72		2.32*
	Age			
	14+ -15years	15+ -16 years		2.36*
	Mean ± SD	Mean ± SD		
	1.95±0.71	1.97±0.75		
	Gender			
	Boys	Girls		2.12*
	Mean ± SD	Mean ± SD		
	1.95±0.71	1.97±0.75		
	Numbers of siblings			
	One	Two	Three and above	1.07
	Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD	
	1.77±0.69	1.73±0.67	1.83±0.72	
	Family type			
	Joint	Nuclear	Z-value	
	Mean ± SD	Mean ± SD	1.82	
	1.77±0.69	1.73±0.68		
	Family size			
	Small (less than 5)	Medium (5-8)	Large (more than 8)	F-value
	Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD	2.98*
	1.82±0.73	1.62±0.63	1.81±0.73	
	Caste			
	S.C	B.C	General caste	1.02
	Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD	
	1.76±0.70	1.80±0.67	1.68±0.68	
	Annual family income			
	Up to 1.5 lacs	1.5 to 3.0 lacs	Above 3.0 lacs	2.94*
	Mean ± SD	Mean ± SD	Mean ± SD	
	1.75±0.72	1.70±0.59	2.05±0.72	

*Significant at 5% level of significance

Comparison of academic achievement of adolescents as per parental variables

Results pertaining to adolescent's academic achievement on the basis of parental variables are portrayed in Table 2.

Significant differences contributed for academic achievement of adolescents as per father education ($F=2.81^*$, $p<0.05$) and father occupations ($F=3.08^*$, $p<0.05$). Mean scores for academic achievement as per father education were significantly different, indicating adolescents whose were good academic achievement ($M= 1.90$) were significantly better in academic achievement then adolescents whose poor ($M=1.79$) and mean scores for academic achievement average ($M=1.87$) were significantly different. On the other hand, non significant differences were found for academic achievement of adolescents with various categories of mother education and mother occupation.

Table2: Comparison of academic achievement of adolescents as per parental variables

Parental variables	Academic achievement			
	Poor (33-50%)	Average (51 – 70%)	Good (71% and above)	F –value
Paternal education	1.79±0.62	1.87±0.66	1.90±0.94	2.81*
Maternal education	1.68±0.71	1.93±0.88	1.77±0.63	1.82
Paternal occupation	1.61±0.65	1.96±0.73	2.0±0.75	3.08*
Maternal occupation	1.90±0.75	1.78±0.68	1.74±0.67	1.68

*Significant at 5% level of significance

Association between personal factors and academic achievement of adolescents

Results depicted in Table 3 shows that significant association existed between academic achievement with personal factors which includes age ($\chi^2=28.71^*$). Gender and number of siblings was not found associated with academic achievement of adolescents.

Table 3 Association between personal factors and academic achievement of adolescents

Personal variables	Academic achievement				Chi-square value (χ^2)
	Poor (33-50%)	Average (51 – 70%)	Good (71% and above)	Total (N=240)	
Age					
14 ⁺ -15	35(14.58)	62(25.83)	27(11.25)	124(51.7)	28.71*
15 ⁺ -16	70(29.16)	24(10.00)	22(9.16)	116 (48.7)	
Gender					
Male	47(19.58)	57(23.75)	16(6.67)	120(50.0)	2.85
Female	38(15.84)	70(29.16)	12(5.00)	120(50.0)	
Number of siblings					
One	13(5.41)	43(17.91)	13(5.41)	69(28.8)	4.95
Two	24(10.00)	56(23.33)	30(12.5)	110(45.8)	
Three and above	10(4.16)	30(12.5)	21(8.75)	61(25.4)	

*Significant at 5% level of significance

Association between socio-economic factors and academic achievement of adolescents

Chi squares were run between socio-economic factors and academic achievement of adolescents. Various socio- economic factors included were caste category, family type, family size, parental education, parental occupation and annual family income of adolescents.

As shown in Table 4, there was significant association between family type ($\chi^2=37.14^*$) family size ($\chi^2=24.04^*$) father education ($\chi^2=11.63^*$), father occupation ($\chi^2=10.12^*$), family annual income ($\chi^2=7.52^*$) and academic achievement of adolescents at 0.05 per cent level of significance, whereas caste category, mother education, mother occupation were non significant association with academic achievement.

Table 4: Association between socio-economic factors and academic achievement of adolescents

Socio-economic variables	Academic performance				Chi-square value (χ^2)
	Poor (33-50%)	Average (51 – 70%)	Good (71% and above)	Total (N=240)	
Caste category					
General	15(6.25)	46(19.16)	18(7.50)	79(32.9)	5.16
B.C	9(3.75)	33(13.75)	26(10.83)	68(28.3)	
S.C	11(4.58)	51(21.25)	31(12.91)	93(38.8)	
Family type					
Joint	80(33.33)	22(9.16)	50(20.83)	153(63.8)	37.14*
Nuclear	15(6.25)	53(22.08)	20(8.33)	87(36.2)	

Family size					
Small (less 5)	28(11.66)	57(23.75)	24(10.00)	109(45.4)	24.04*
Medium (5-8)	25(10.41)	28(11.66)	56(23.33)	109(45.4)	
Large (more than 8)	5(2.08)	11(4.58)	6 (2.50)	22(9.2)	
Father education					
Up to middle	4(1.66)	21(8.75)	6(2.50)	31(12.9)	11.63*
Matric/Higher Secondary	13(5.41)	36(15.00)	28(11.66)	77(32.1)	
Graduation and above	39(16.25)	64(26.66)	29(12.08)	132(55)	
Mother education					
Up to middle	3(1.25)	11(4.58)	7(2.91)	31(12.2)	6.18
Matric/Higher Secondary	17(7.08)	45(18.75)	27(11.25)	89(37.8)	
Graduation and above	25(10.41)	60(25.00)	35(14.58)	120(50.0)	
Father occupation					
Laborer	55(2.08)	16(6.66)	9(3.75)	30(12.5)	10.12*
Farming	10(4.16)	16(6.66)	4(1.66)	30(12.5)	
Service	21(8.75)	42(17.50)	30(12.50)	93(38.5)	
Business	30(12.50)	39(16.25)	18(7.50)	87(36.5)	
Mother occupation					
Home maker	46(19.16)	36(15.00)	26(10.83)	108(45.0)	5.32
Working	33(13.75)	44(18.33)	55(22.91)	132(55.0)	
Annual family income					
Up to 1.5 lacs	15(6.25)	21(8.75)	9(3.75)	45(18.7)	7.52*
1.5 to 3.0 lacs	30(12.50)	55(22.91)	40(16.66)	125(52.1)	
Above 3.0 lacs	20(8.33)	35(14.58)	15(6.25)	70(29.2)	

*Significant at 5% level of significance

Association between personal factors and academic achievement of adolescents

Results depicted in Table 5 shows that significant association existed between academic achievement with personal factors which includes age ($\chi^2=28.71^*$). Gender and number of siblings was not found associated with academic achievement of adolescents.

Table 5 Association between personal factors and academic achievement of adolescents

Personal variables	Academic achievement				Chi-square value (χ^2)
	Poor (33-50%)	Average (51 – 70%)	Good (71% and above)	Total (N=240)	
Age					
14 ⁺ -15	35(14.58)	62(25.83)	27(11.25)	124(51.7)	28.71*
15 ⁺ -16	70(29.16)	24(10.00)	22(9.16)	116 (48.7)	
Gender					

Male	47(19.58)	57(23.75)	16(6.67)	120(50.0)	2.85
Female	38(15.84)	70(29.16)	12(5.00)	120(50.0)	
Number of siblings					
One	13(5.41)	43(17.91)	13(5.41)	69(28.8)	4.95
Two	24(10.00)	56(23.33)	30(12.5)	110(45.8)	
Three and above	10(4.16)	30(12.5)	21(8.75)	61(25.4)	

*Significant at 5% level of significance

4.5.1.3 Association between academic achievement and school environment of adolescents

Table 6 indicates academic achievement of adolescents as per different aspects of school environment. Chi-square value of creative stimulation, cognitive encouragement, permissiveness, acceptance, rejections and control depicted academic achievement of adolescents was significantly association with school environment. All the aspects were significantly associated with school environment.

Tables 6: Association between academic achievement and school environment of adolescents

School environment	Academic performance				Chi-square value (χ^2)
	Poor (33-50%)	Average (51 – 70%)	Good (71% and above)	Total (N=240)	
Creative stimulation					
Low (<=50.5)	28(11.66)	39(16.25)	18(7.50)	85(35.42)	12.72*
High (>50.5)	21(11.66)	93(39.75)	41(17.08)	155(64.58)	
Cognitive encouragement					
Low (<=30)	29(12.08)	49(20.41)	17(7.08)	95(39.59)	10.65*
High (>30)	20(8.33)	85(35.41)	40(16.66)	145(60.41)	
Permissiveness					
Low (<=19.5)	16(6.66)	59(24.58)	30(12.5)	105(43.75)	11.36*
High (>19.5)	46(19.16)	63(26.25)	26(10.83)	135(56.25)	
Acceptance					
Low (<=25)	30(12.5)	49(20.41)	10(4.16)	89(37.08)	31.68*
High (>25)	12(5.00)	90(37.5)	49(20.41)	151(62.92)	
Rejection					
Low (<=12.5)	75(31.25)	56(23.33)	36(15.00)	167(69.58)	10.02*
High (>12.5)	34(14.16)	15(6.25)	24(10.00)	73(30.42)	
Control					
Low (<=26)	46(19.16)	63(26.25)	26(10.83)	135(56.25)	12.45*
High (>26)	16(6.66)	59(24.58)	30(12.5)	105(43.75)	

*Significant at 5% level of significance

4.5.2. Correlation between academic achievements with socio-economic variables

Correlations of academic achievement with socio-economic variables are portrayed in Table 7. Pearson correlation analysis suggested that family size ($r=0.059^*$), mother education($r=0.287^*$), father education($r=0.395^*$), mother occupation ($r=0.292^*$) and father occupation ($r=0.351^*$), were positively significant with academic achievement of adolescents. On the other side family type and annual family income were not significant correlated with academic achievement.

Table 7: Correlation between academic achievements with socio-economic variables

Socio-economic variables	Academic achievement
Family type	0.079
Family size	0.059*
Mother education	0.287*
Father education	0.395*
Mother occupation	0.292*
Father occupation	0.351*
Annual family income	0.059

*Significant at 5% level of significance

4.5.3 Correlation between academic achievement and school environment of adolescents

Table 8 depicts that correlation between school environment and academic achievement of adolescents. Aspects of school environment i.e. creative stimulation ($r=0.521^*$), cognitive encouragement ($r=0.342^*$), acceptance ($r=0.253^*$), and rejection ($r=0.322^*$) were positively significant with academic achievement. Permissiveness and control were not significantly correlated with academic achievement at 0.05 level of significance.

Tables 8: Correlation between school environment and academic achievement of adolescents

School environment	Academic achievement
Creative stimulation	0.521*
Cognitive encouragement	0.342*
Permissiveness	0.149
Acceptance	0.253*
Rejection	0.322*
Control	0.148

*Significant at 5% level of significance

IV. CONCLUSION

Regarding the association between personal and socio economic factors and academic performance of adolescent's chi-square test was run. It was found that there was positively significant association between academic achievement and age, no of siblings, family size, mothers' education, fathers' educations and family income of adolescents. According to Krashen (2005) studied on the effect of parental level of education on academic performance of students. Results of study revealed that students whose parents attained higher level of education scored higher marks on standardized tests than those whose parents attained a lower level of education. Results are in corroborated with Linus (2015) educational background of parents is the main predictive variables influencing students' academic achievement. Wang and Holcombe (2010) studied that school environment of adolescents influenced academic achievement directly and indirectly. The finding shows that the socio-emotional school environment is a deciding factor in the academic achievement of higher secondary adolescent's boys. According to Marteleto and Souzar (2012) also suggest the effect of family size on education that is not uniform throughout a period of significant social, economic, and demographic change. Suleman *et al.*

(2012) Students performed better whose father and mother occupation was better as compared to those students whose father's occupation was not better. Rajitha (2013) results revealed that parental education and occupation had a significant influence on the achievement motivation of their adolescent children. Chen and Liu (2014) suggest that singletons are not at any disadvantage compared to their peers who have siblings and they enjoy some advantages over later born from medium to large families on academic related outcomes.

School environment of adolescents

Majority of the government school girls' adolescents of 14⁺-15 years of age group received high level of creative stimulation, cognitive encouragement, permissiveness, acceptance and control of school environment.

Academic achievement of adolescents

Majority of the private schools adolescents received average level of academic achievement than government school. According to age 14⁺-15 years of adolescents received average level of academic achievement than 15⁺-16 years of adolescents. As per gender, boy's adolescents received average level of academic achievement than girls.

Comparison between academic achievement and schools

Academic achievement of adolescents was positively and significantly correlated with schools of adolescents. Higher the level of parental encouragement higher was the academic achievement of adolescents.

Association between socio personal variables, school environment and academic achievement,

Socio personal variables like age, number of siblings, family size, education of parents and family income were significantly associated with academic achievement. Sub aspect of school environment only creative stimulation significantly associated with academic achievement.

But cognitive encouragement, permissiveness, rejection and acceptance and control were not significantly associated with academic achievement. Academic achievement was also significantly associated with school environment.

References:

- Krashen, S. (2005). The hard work hypothesis: Is doing your homework enough to overcome the effects of poverty? *Multicultural Education*, **12** (4):16-19.
- Linus, T. (2015). Impact of home environment factors on the academic performance of public secondary school students in Garki area district. *Bulgarian Journal of Science and Education Policy*, **9**:66-92.
- Makkar, I. (2010). Changes in adolescent's interpersonal experiences: Are they being prepared for adult relationship in the 21st century? *Journal of Research on Adolescence*, **12**: 31-68.
- Mishra, K.S. 1983. A School Environment Inventory. Ankur Psychological Agency, Lucknow.
- Lawrence, A. S. A., Vimala, A. (2012). School environment and academic achievement of standard IX students. *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, **2**(3):2146-7463.
- Lawrence, A.S.A. and Deepa, T. (2013). Emotional intelligence and academic achievement of high school students in Kanyakumari District. *International Journal of Physical and Social Sciences* 3(2):2249-5894.
- Purkait, D. (2019). School environment and academic achievement of rural and urban standard IX students *International Journal of Home Science*, **5**(1):273-279
- Sunitha, N. H. (2005). Academic learning environment of students from aided and unaided co-educational high schools. Msc. Thesis. U. A. S. Dharwad

- Wang, M. and Holcombe, R. (2010). Adolescents perceptions of school environment in middle school. *American Educational Research Journal*, **47**:633-662.
- Young, D.T., and Fraser, B.J. (1994). Gender differences in science achievement. Do school effects make a difference? *Journal of Research in Science Teaching* **31**:857-871.
- Marteleteo, J. L. and Souzar, R. L. (2012). The changing impact of family size on adolescents' schooling: Assessing the exogenous variation in fertility using twins in Brazil. *US National Library of Medicine*, **49**(4):1453-1477.
- Marteleteo, J. L. and Souzar, R. L. (2012). The changing impact of family size on adolescents' schooling: Assessing the exogenous variation in fertility using twins in Brazil. *US National Library of Medicine*, **49**(4):1453-1477.
- Rajitha, K. R. B. (2013). Study on the influence of parental education and occupation on the achievement motivation of adolescents. *International Journal of Science and Research*, **6**(14):2319-7064.
- Chen, Y. Z. and Liu, X. R. (2014). Comparing adolescent only children with those who have siblings on academic related outcomes and psychosocial adjustment. *Child Development Research*, 10.



6.

Conversion Rate Optimization: Making It Effective for Effective Sales in Ever-Changing Scenarios

Preeti Singh, Research Scholar, School of Management and Commerce, Sanskriti University, Mathura (U.P.)

Dr. Neha Sharma, Assistant Professor, School of Management and Commerce, Sanskriti University, Mathura (U.P.)

Prof. (Dr.) Chandra Prakash Verma, Dean-School of Commerce and Management, Arni University, Kangra (H.P.)

Abstract:

Conversion Rate Optimization (CRO) holds a pivotal role in elevating online sales efficacy. In the ever-evolving business landscape, where consumer behaviours and market dynamics are in constant flux, the development of flexible CRO techniques is imperative. This research paper explores the effective implementation of CRO in dynamic contexts, aiming to drive sales amid shifting market conditions. Through an analysis of strategies, emerging trends, and best practices, this study furnishes insights into optimizing conversion rates for sustained sales growth. The paper commences by introducing CRO's significance in achieving favourable sales outcomes, underlining the need for adaptable strategies to navigate changing preferences and trends. A comprehensive understanding of CRO is established through a review of pertinent literature encompassing scholarly articles, industry reports, and case studies.

The study proceeds to dissect essential facets contributing to effective CRO within evolving scenarios. It delves into understanding target audiences, employing market research, and leveraging customer insights to tailor conversion strategies. The impact of website design, user experience, persuasive content, and streamlined customer journeys on conversion rates is explored. Furthermore, the research probes emerging technologies and trends shaping CRO. Mobile optimization, voice search, artificial intelligence, personalized experiences, and the role of social proof and influencer marketing are investigated for their influence on effective sales. Data analytics and testing methodologies are highlighted as instrumental tools for enhancing CRO efficacy. A/B testing, multivariate testing, heatmaps, and user feedback are explored for refining conversion strategies based on user behavior and market dynamics. The integration of CRO with overall marketing and sales strategies is elucidated. Alignment with SEO, content marketing, and email marketing, while fostering cohesive brand experiences and lead nurturing, is emphasized for maximizing conversion rates within fluid scenarios.

The paper addresses challenges posed by dynamic environments, acknowledging disruptions, emerging competitors, and shifting preferences. Agility, adaptability, and innovation are underscored as key attributes in effectively responding to evolving scenarios. In conclusion, the paper encapsulates key findings and practical recommendations. The continuous need for monitoring, experimentation, and optimization is stressed for businesses aiming to thrive amid dynamic markets by leveraging CRO effectively.

Keywords: Conversion Rate Optimization, CRO, Online Sales, CRO Techniques, Strategies for CRO, Emerging CRO Trends, Best Practices for CRO, Target Audiences, Website Design, User Experience

Introduction:

In the realm of dynamic markets, Conversion Rate Optimization (CRO) holds significant importance as a process that maximizes sales effectiveness for businesses. The continuous evolution of consumer preferences and market trends necessitates the ongoing optimization of conversion strategies to remain adaptable. This report serves to introduce the concept of CRO, underscore its significance in achieving desirable sales outcomes, and establish a comprehensive understanding of the topic by examining existing literature, scholarly articles, industry reports, and case studies.

The Concept of Conversion Rate Optimization:

Conversion Rate Optimization refers to the systematic process of enhancing the conversion rate on a website or other digital platforms by improving various factors that influence user behavior and decision-making. The ultimate goal is to maximize the number of visitors who take the desired action, such as making a purchase, filling out a form, or subscribing to a service. CRO focuses on optimizing

elements such as website design, user experience, persuasive content, and streamlined customer journeys.

The Dynamic Nature of Consumer Preferences and Market Trends:

Consumer preferences and market trends are continually evolving, driven by factors such as technological advancements, cultural shifts, and economic fluctuations. It is crucial for businesses to recognize the dynamic nature of these factors and adapt their CRO strategies accordingly. The report emphasizes the need for businesses to stay updated on emerging trends, conduct market research, and gain insights into changing consumer behaviors to drive effective sales outcomes.

Review of Existing Literature and Studies:

To establish a comprehensive understanding of CRO, the report reviews existing literature, including scholarly articles, industry reports, and case studies. It explores academic research that investigates the impact of various CRO techniques, tools, and methodologies on sales effectiveness. Industry reports provide insights into successful CRO practices adopted by businesses across different sectors, while case studies offer real-world examples of effective CRO implementation and its impact on sales outcomes.

Key Factors Influencing Conversion Rate Optimization:

The report identifies key factors that significantly influence CRO and contribute to effective sales outcomes. These factors include website design, user experience optimization, persuasive content, call-to-action strategies, trust-building elements, and mobile responsiveness. Each factor is discussed in detail, highlighting its importance in optimizing conversion rates and driving effective sales.

Continuous Optimization for Ever-Changing Scenarios:

Given the dynamic nature of consumer preferences and market trends, the report emphasizes the need for continuous optimization in CRO strategies. It discusses the importance of data analysis, user testing, and feedback collection to identify bottlenecks and make data-driven decisions. A/B testing, multivariate testing, heatmaps, and user feedback are explored as effective methodologies for ongoing optimization.

Key Factors and Elements for Effective Conversion Rate Optimization in Evolving Scenarios

Conversion Rate Optimization (CRO) plays a crucial role in maximizing the effectiveness of online sales strategies. As consumer preferences and market dynamics continually evolve, it is essential to understand the key factors and elements that contribute to effective CRO in evolving scenarios. This report delves into these factors and highlights the importance of understanding target audiences, conducting market research, and utilizing customer insights. Furthermore, it explores the role of website design, user experience (UX), persuasive content, and streamlined customer journeys in optimizing conversion rates.

Understanding Target Audiences:

To optimize conversion rates, businesses must have a deep understanding of their target audiences. This involves analyzing demographic data, psychographics, behavior patterns, and preferences. By developing detailed buyer personas, businesses can tailor their CRO strategies to align with the specific needs and desires of their target audience.

Conducting Market Research:

Market research plays a crucial role in effective CRO. It enables businesses to identify industry trends, competitor strategies, and emerging consumer preferences. Through qualitative and quantitative research methods, businesses can gain valuable insights into customer behaviors, pain points, and motivations, allowing them to refine their CRO strategies accordingly.

Utilizing Customer Insights:

Customer insights are invaluable in optimizing conversion rates. By collecting and analyzing data from various touchpoints, such as website analytics, customer surveys, and feedback, businesses can gain a deeper understanding of customer preferences, objections, and decision-making processes. These insights can be used to personalize user experiences, refine messaging, and address customer concerns, ultimately driving higher conversion rates.

Website Design and User Experience (UX):

A well-designed website with intuitive navigation and a seamless user experience (UX) is critical for optimizing conversion rates. Businesses should focus on creating visually appealing, user-friendly interfaces that guide visitors toward the desired conversion actions. Clear calls-to-action, prominent contact information, and intuitive forms can significantly impact conversion rates.

Persuasive Content:

Compelling and persuasive content is essential for effective CRO. Businesses should craft persuasive messaging that highlights the unique value proposition of their products or services. By addressing customer pain points, providing solutions, and incorporating social proof and testimonials, businesses can build trust and encourage conversions.

Streamlined Customer Journeys:

Streamlining the customer journey is crucial for optimizing conversion rates. Businesses should identify potential roadblocks, friction points, or distractions that may hinder conversions. By analyzing the customer journey, businesses can identify areas for improvement, simplify the conversion process, and provide a seamless path from initial interest to final purchase.

The Impact of Emerging Technologies and Trends on Conversion Rate Optimization

Conversion Rate Optimization (CRO) is a critical process for businesses aiming to maximize sales effectiveness in a dynamic marketplace. As emerging technologies and trends continue to reshape consumer behavior and expectations, it is essential to understand their impact on CRO strategies. This report investigates the influence of mobile optimization, voice search, artificial intelligence (AI), personalized experiences, social proof, social media integration, and influencer marketing on driving effective sales through CRO. By exploring these factors, businesses can adapt their strategies to meet evolving customer needs and achieve higher conversion rates.

Mobile Optimization:

The proliferation of mobile devices has transformed the way consumers interact with digital content. Mobile optimization is crucial for CRO, as a seamless mobile experience can significantly impact

conversion rates. The report examines the importance of responsive web design, fast loading speeds, simplified navigation, and mobile-friendly checkout processes in catering to the growing mobile audience.

Voice Search:

The rise of voice assistants and voice search has introduced new opportunities for businesses to optimize their CRO strategies. Voice search optimization involves understanding the unique characteristics of voice-based queries and tailoring website content accordingly. The report explores the impact of voice search on CRO and highlights the importance of adapting keyword strategies and providing concise, conversational responses.

Artificial Intelligence (AI):

AI technologies, such as machine learning and natural language processing, have revolutionized CRO by enabling personalized experiences and efficient data analysis. The report investigates how AI-powered chatbots, recommendation engines, and predictive analytics can enhance CRO efforts. It also emphasizes the significance of leveraging AI to automate data-driven decision-making and deliver personalized content to customers.

Personalized Experiences:

Personalization is a powerful tool in CRO, as it allows businesses to tailor user experiences based on individual preferences and behaviors. The report explores the role of personalization techniques, such as dynamic content, product recommendations, and targeted messaging, in increasing engagement and conversions. It emphasizes the need for data-driven personalization strategies to deliver relevant and impactful experiences.

Social Proof:

Social proof plays a significant role in building trust and credibility, thereby influencing conversion rates. The report examines the impact of social proof elements, such as customer reviews, ratings, testimonials, and case studies, on CRO. It highlights the importance of displaying social proof strategically throughout the customer journey to alleviate concerns and encourage conversions.

Social Media Integration and Influencer Marketing:

Social media platforms offer vast opportunities for businesses to engage with their target audience and drive conversions. The report explores the significance of integrating social media into CRO strategies, leveraging social sharing, social login, and social advertising to amplify brand reach and foster trust. Additionally, it investigates the impact of influencer marketing, where influential individuals endorse products or services, in driving effective sales through CRO.

The Role of Data Analytics and Testing Methodologies in Effective Conversion Rate Optimization

Conversion Rate Optimization (CRO) is a data-driven process aimed at maximizing sales effectiveness. Data analytics and testing methodologies play a crucial role in making CRO effective by providing insights into user behavior and enabling fine-tuning of conversion strategies. This report addresses the significance of data analytics, explores various testing methodologies such as A/B testing and

multivariate testing, and emphasizes the importance of data-driven decision-making and continuous optimization in response to changing market dynamics.

Data Analytics in CRO:

Data analytics is a fundamental component of effective CRO. It involves collecting and analyzing data related to website traffic, user interactions, conversion funnels, and other relevant metrics. The report highlights the importance of data analytics in understanding user behavior, identifying conversion barriers, and uncovering opportunities for improvement. Utilizing analytics tools and techniques allows businesses to make data-driven decisions to optimize conversion rates.

A/B Testing:

A/B testing, also known as split testing, is a popular methodology used in CRO. It involves comparing two or more variations of a webpage or element to determine which performs better in terms of conversion rates. The report explores the process of conducting A/B tests, including setting up control and variant groups, defining conversion goals, and analyzing the results. It emphasizes the iterative nature of A/B testing, where continuous testing and optimization lead to incremental improvements in conversion rates.

Multivariate Testing:

Multivariate testing is a more advanced form of testing that involves simultaneously testing multiple variations of different elements on a webpage. The report discusses the benefits and challenges of multivariate testing and highlights its applicability in scenarios where there are multiple conversion factors at play. By testing combinations of elements, businesses can identify the most impactful changes and optimize conversion rates accordingly.

Heatmaps:

Heatmaps are visual representations of user interactions on a webpage, providing insights into where users focus their attention, click, or scroll. The report explores the use of heatmaps in CRO, as they help identify usability issues, areas of high engagement, and potential opportunities for optimization. By analyzing heatmaps, businesses can make informed decisions on layout changes, call-to-action placement, and content positioning to enhance conversion rates.

User Feedback:

Collecting user feedback is a valuable source of insights for CRO. The report discusses the importance of gathering feedback through surveys, on-site feedback tools, and user testing sessions. User feedback provides qualitative insights into user preferences, pain points, and areas of improvement. By incorporating user feedback into the optimization process, businesses can address user concerns and tailor their conversion strategies accordingly.

Data-Driven Decision-Making and Continuous Optimization:

Data-driven decision-making is essential in CRO to ensure effective optimization. The report emphasizes the importance of basing decisions on objective data rather than assumptions or gut feelings. By continually monitoring and analyzing data, businesses can identify trends, patterns, and opportunities

for improvement. Continuous optimization is crucial to respond to changing market dynamics, user behaviors, and emerging trends, ensuring that CRO strategies remain effective over time.

The Significance of Aligning CRO with Marketing and Sales Strategies for Maximizing Conversion Rates

Conversion Rate Optimization (CRO) is most effective when aligned with overall marketing and sales strategies. By integrating CRO with various digital marketing initiatives, businesses can create cohesive messaging, deliver consistent brand experiences, and effectively nurture leads. This report examines the significance of aligning CRO efforts with search engine optimization (SEO), content marketing, email marketing, and other digital marketing channels. It emphasizes the need for a holistic approach to maximize conversion rates in ever-changing scenarios.

Aligning CRO with Search Engine Optimization (SEO):

Aligning CRO with SEO is crucial for driving organic traffic and optimizing conversion rates. The report explores the relationship between CRO and SEO, emphasizing the importance of aligning keyword strategies, optimizing landing pages, and improving website usability to enhance both organic rankings and conversion rates. It discusses the need for keyword research, on-page optimization, and user-friendly navigation to create a seamless user experience and drive conversions.

Integration with Content Marketing:

Content marketing plays a significant role in engaging potential customers and driving conversions. The report examines how CRO can be integrated with content marketing strategies to maximize conversion rates. It emphasizes the importance of creating high-quality, relevant content that addresses customer pain points and supports the conversion goals. By analyzing user behavior and testing content variations, businesses can optimize content to enhance engagement and conversion rates.

Leveraging Email Marketing:

Email marketing is a powerful channel for nurturing leads and converting prospects into customers. The report discusses the integration of CRO with email marketing efforts. It highlights the significance of personalized email campaigns, effective call-to-action buttons, and optimized landing pages to drive conversions. By analyzing email open rates, click-through rates, and conversion metrics, businesses can refine their email marketing strategies and improve overall conversion rates.

Cohesive Messaging and Brand Experience:

Consistency in messaging and brand experience across marketing channels is essential for building trust and enhancing conversion rates. The report emphasizes the need for aligning CRO efforts with overall branding strategies. It discusses the importance of consistent design, messaging tone, and value proposition across all touchpoints to create a cohesive brand experience. By delivering a consistent and compelling brand narrative, businesses can establish trust and increase conversion rates.

Effective Lead Nurturing:

Lead nurturing is a critical aspect of maximizing conversion rates. The report explores the role of CRO in effective lead nurturing. It discusses the importance of creating personalized, targeted communication at different stages of the customer journey. By analyzing user behavior, segmenting leads, and

implementing automated workflows, businesses can deliver relevant content and offers, ultimately driving conversions.

Holistic Approach to Maximizing Conversion Rates:

To maximize conversion rates in ever-changing scenarios, businesses need to adopt a holistic approach that integrates CRO with various digital marketing initiatives. The report highlights the need for a data-driven approach, continuous monitoring, and testing to optimize conversion rates across channels. It emphasizes the importance of aligning messaging, brand experience, and lead nurturing strategies to provide a seamless customer journey and enhance conversions.

Addressing Challenges in Conversion Rate Optimization in Dynamic Environments

Conversion Rate Optimization (CRO) is a continuous process that requires adaptability and agility, especially in dynamic environments characterized by market disruptions, emerging competitors, and shifting consumer preferences. This report addresses the challenges associated with CRO in such environments and highlights the importance of agility, adaptability, and innovation in response to evolving scenarios. By understanding and effectively addressing these challenges, businesses can optimize their conversion strategies and achieve sustained success.

Impact of Market Disruptions:

Market disruptions, such as changes in technology, economic shifts, or regulatory changes, can significantly impact CRO efforts. The report explores the challenges businesses face when attempting to optimize conversion rates amidst market disruptions. It emphasizes the need for businesses to monitor industry trends, be proactive in identifying potential disruptions, and adapt their CRO strategies accordingly. This may involve reassessing target audience needs, adjusting messaging, and adopting new technologies to remain competitive.

Challenges from Emerging Competitors:

Emerging competitors entering the market pose challenges for established businesses in terms of CRO. The report examines how new entrants disrupt established conversion strategies by offering innovative solutions, unique value propositions, or disruptive business models. To address this challenge, businesses must stay vigilant, monitor emerging competitors, and continuously innovate their conversion strategies. It emphasizes the importance of differentiating from competitors through personalized experiences, exceptional customer service, and unique offerings.

Shifting Consumer Preferences:

Consumer preferences are constantly evolving, driven by factors such as changing demographics, technological advancements, or cultural shifts. The report discusses the challenges businesses face in optimizing conversions when consumer preferences are in flux. It highlights the importance of conducting market research, collecting customer feedback, and monitoring consumer trends to stay ahead of shifting preferences. By understanding the evolving needs and desires of customers, businesses can adapt their CRO strategies to meet changing demands effectively.

Agility, Adaptability, and Innovation:

In dynamic environments, agility, adaptability, and innovation are key to successful CRO. The report emphasizes the need for businesses to be agile and responsive to changes, enabling them to quickly adjust their strategies and tactics. It highlights the importance of embracing new technologies, experimenting with different approaches, and fostering a culture of innovation. By continuously testing, learning, and iterating, businesses can adapt their conversion strategies and stay competitive in dynamic environments.

Continuous Monitoring and Analysis:

To address challenges in dynamic environments, businesses must prioritize continuous monitoring and analysis of data. The report discusses the importance of leveraging data analytics tools and metrics to monitor conversion rates, track user behavior, and identify areas for improvement. By analyzing data and user feedback, businesses can gain valuable insights into challenges and make data-driven decisions to optimize their conversion strategies.

Concluding Remarks: Making Conversion Rate Optimization Effective in Ever-Changing Scenarios
Conversion Rate Optimization (CRO) plays a critical role in driving sales effectiveness in ever-changing scenarios. As consumer preferences, market dynamics, and emerging technologies continually evolve, businesses must adopt strategies to make CRO effective in maximizing conversions. This report concludes with a summary of key findings and provides practical recommendations for businesses aiming to optimize CRO in dynamic markets. It emphasizes the need for continuous monitoring, experimentation, and optimization to stay ahead in ever-changing scenarios.

Summary of Key Findings:

The report summarizes the key findings discussed throughout the paper, including the importance of understanding target audiences, conducting market research, and utilizing customer insights in CRO strategies. It highlights the significance of website design, user experience (UX), persuasive content, and streamlined customer journeys. Additionally, it explores the impact of emerging technologies, such as mobile optimization, voice search, AI, and personalized experiences. The report also acknowledges the significance of social proof, social media integration, and influencer marketing in building trust and increasing conversions.

Practical Recommendations:

Based on the findings, the report provides practical recommendations for businesses aiming to make CRO effective in ever-changing scenarios:

a. **Continuous Monitoring:** Businesses should implement robust analytics tools to monitor conversion rates, user behavior, and performance metrics. Regularly analyzing data allows businesses to identify trends, detect issues, and make informed decisions for optimization.

b. **Experimentation and Testing:** Businesses should embrace a culture of experimentation and A/B testing. By testing different variations, businesses can identify high-performing strategies, iterate on successful approaches, and continually optimize conversion rates.

- c. **User-Centric Optimization:** Prioritize the user experience by understanding customer needs, pain points, and motivations. Tailor conversion strategies based on customer insights to deliver personalized and engaging experiences that drive conversions.
- d. **Adaptability to Emerging Technologies:** Stay updated with emerging technologies and trends, such as mobile optimization, voice search, and AI. Incorporate these technologies into CRO strategies to meet evolving customer expectations and enhance conversion rates.
- e. **Integration with Marketing Efforts:** Align CRO efforts with overall marketing and sales strategies. Integrate CRO with SEO, content marketing, email marketing, and other digital marketing initiatives to create cohesive messaging, consistent brand experiences, and effective lead nurturing.
- f. **Agile and Data-Driven Approach:** Embrace an agile mindset to respond to changing market dynamics. Make data-driven decisions by analyzing user behavior, market trends, and performance metrics. Continuously optimize conversion strategies based on insights obtained from data analysis.

Importance of Continuous Optimization:

The report highlights the significance of continuous optimization in CRO. To stay ahead in dynamic markets, businesses must be proactive and adaptable. Implementing a process of continuous monitoring, experimentation, and optimization ensures that conversion strategies remain effective over time. By constantly assessing and refining approaches, businesses can respond to evolving scenarios, customer preferences, and emerging trends, leading to sustained success in driving sales.

Conclusion:

In conclusion, this comprehensive report offers a concise overview of pivotal discoveries and pragmatic counsel tailored for enterprises striving to achieve a proficient and fruitful approach to Conversion Rate Optimization (CRO) within the constantly shifting business environment. The focal point rests on the imperativeness of unwavering vigilance, systematic experimentation, and precision-driven enhancement, all of which are crucial components for maintaining a competitive edge within the fluidity of modern markets.

Central to these recommendations is the crucial principle of perpetually monitoring performance, consistently fine-tuning strategies, and iteratively optimizing outcomes. This proactive approach is especially pertinent given the dynamic nature of consumer preferences and market trends. Moreover, it underscores the necessity of remaining flexible and responsive to shifts in the business landscape.

A noteworthy facet of the report underscores the significance of comprehending the intricacies of target demographics. By gaining a profound understanding of the preferences, behaviors, and needs of their audiences, businesses can tailor their CRO efforts more effectively. This understanding serves as the bedrock for crafting personalized experiences that resonate with potential customers, thereby fostering higher conversion rates.

Furthermore, integration of emerging technologies is advocated as an indispensable strategy. Keeping pace with the rapid advancements in technology and incorporating these innovations into CRO initiatives can yield a substantial competitive advantage. By leveraging tools such as artificial intelligence, machine learning, and predictive analytics, companies can gain unparalleled insights into customer behavior and thus refine their optimization strategies with surgical precision.

A vital aspect not to be overlooked is the alignment of CRO endeavors with broader marketing initiatives. Synergy among various facets of marketing promotes a consistent and coherent brand identity. Coordinated efforts prevent disjointed customer experiences and ensure that optimization strategies are seamlessly interwoven into the broader narrative of the customer journey.

The adoption of an agile methodology and a data-driven approach forms the cornerstone of effective CRO. A commitment to constant experimentation, combined with the judicious analysis of data, empowers businesses to make informed decisions based on tangible insights. This methodological rigor enables companies to adapt swiftly to evolving market dynamics and consumer preferences.

Lastly, the report culminates by highlighting the indispensable nature of continuous optimization. In a business landscape characterized by perpetual change, sustained success in CRO necessitates an unceasing commitment to refining strategies. By embracing this ethos, businesses can navigate the intricate interplay of customer expectations, market fluctuations, and emerging trends.

In summation, this report propounds a compendium of essential findings and actionable suggestions for enterprises seeking to fortify their Conversion Rate Optimization strategies in the face of relentless change. By embracing ongoing refinement, empathetic understanding of customers, integration of cutting-edge technologies, harmonization with wider marketing endeavors, and an unwavering reliance on agile and data-driven practices, businesses can stand poised to orchestrate optimized CRO strategies that flourish within the ever-evolving business panorama.

References:

1. "Conversion Rate Optimization: The Definitive Guide" by Neil Patel - <https://neilpatel.com/what-is-conversion-rate-optimization/>
2. "Conversion Rate Optimization: A Guide for Small Businesses" by Moz - <https://moz.com/beginners-guide-to-conversion-rate-optimization>
3. "The Beginner's Guide to Conversion Rate Optimization" by HubSpot - <https://blog.hubspot.com/marketing/conversion-rate-optimization-guide>
4. "10 Conversion Optimization Tips for Beginners" by Crazy Egg - <https://www.crazyegg.com/blog/conversion-rate-optimization-tips/>
5. "Conversion Rate Optimization: 10 Case Studies" by Optimizely - <https://www.optimizely.com/optimization-glossary/conversion-rate-optimization/>
6. "The Future of Conversion Rate Optimization" by VWO - <https://vwo.com/blog/future-of-conversion-rate-optimization/>



7.

कादंबरीचे अध्ययन-अध्यापन

डॉ. झोडगे राजाराम अंकुशराव
मराठी विभाग प्रमुख, नूतन महाविद्यालय, सेलू, जि.परभणी.
rajanzodge@gmail.com

मराठी भाषा,वाङ्.मयाचे अध्यापन करताना इतर सामाजिक शास्त्रांप्रमाणे ते सरधोपटपणे करता येत नाही. साहित्याच्या अध्यापनात केवळ माहिती,ज्ञान देणे अपेक्षित नसते तर साहित्यातील आशय,भाव विद्यार्थ्यांच्या अंतरंगापर्यंत पोहोचावा लागतो. कादंबरीच्या अध्ययन-अध्यापनाचा विचार करण्यापूर्वी अध्यापन ही संकल्पना थोडक्यात समजून घ्यावी लागेल. “आधुनिक शिक्षणशास्त्रज्ञांच्या मते शिक्षण म्हणजे विकास,सर्वांगीण विकास! अध्यापन हीही एक विकासात्मक प्रक्रिया होय.विद्यार्थ्यांच्या विविध मनःशक्तींचा व मनःप्रवृत्तींचा विकास घडवून आणणे हे शिक्षणाचे व म्हणूनच अध्यापनाचेही प्रमुख उद्दिष्ट! केवळ माहिती देणे किंवा ज्ञान संवर्धन करणे म्हणजे अध्यापन नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या अनेकविध मानसिक शक्ती व प्रवृत्ती जागृत करणे,त्यांना चालना देणे व त्यांचा विकास घडवून आणून प्रत्येक विद्यार्थ्यांमधून एक बुद्धिमान, कार्यक्षम व सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व निर्माण करणे हे खरे शिक्षण!”^१ अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक,बौद्धिक शक्तींचा विकास झाला पाहिजे. त्यांच्या वैचारिकतेला चालना मिळाली पाहिजे. स.शि.भावे यांच्या मते “शिकविणे म्हणजे योग्य अध्ययनप्रसंगाची निर्मिती करणे.(To create suitable learning situations)”^२ अध्यापनाबाबतचा हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.

लहान मूल हे उपजतच अनुकरणशील असते.काही गोष्टी ते सहज अनुकरणातून शिकत असले तरी एखाद्या विषयाचे सखोल,शास्त्रशुद्ध ज्ञान,शिक्षण मिळण्यासाठी त्याला योग्य अशा अध्ययनप्रसंगाची निर्मिती आणि चूक किंवा बरोबर साठी मार्गदर्शन व प्रशंसा असे पूरक वातावरण राहिल यासाठी अध्यापक व समाजाने सतत प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव अपेक्षा करणे किंवा अतिस्वातंत्र्य वा अतिदडपण यापासून दूर राहिले पाहिजे.

साहित्याचे अध्यापन करताना त्याची भाषिक आणि वाङ्.मयीन उद्दिष्ट्ये ध्यानात घ्यावी लागतात.श्रवण,वाचन,भाषण व लेखन या शालेय पातळीवरील अध्ययनाच्या भाषिक उद्दिष्टांबरोबरच पदवी व पदव्युत्तर पातळीवर वाङ्.मयीन (रसग्रहणात्मक व सृजनात्मक) उद्दिष्ट्ये ध्यानात घेऊन साहित्याचे अध्ययन-अध्यापन करणे गरजेचे ठरते.

साहित्याचे विविध प्रकार संभवतात. त्या त्या साहित्य प्रकाराची संरचना,वैशिष्ट्ये वेगवेगळी असू शकतात त्यामुळे साहित्याच्या प्रकारानुसारही अध्ययन-अध्यापनात योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक असते.

कादंबरी हा साहित्याचा एक प्रमुख प्रकार.आज मोठ्या प्रमाणात या साहित्यप्रकारात लेखन होत असून विविध विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात वेगवेगळ्या प्रवाहातील, विविध विषयांवरील कादंबऱ्यांचा समावेश होताना दिसतो आहे. कादंबरी हा दीर्घ स्वरूपाचा,जीवनाच्या विविध अंगांना सामावून घेणारा,विस्तृत पट असलेला वाङ्.मयप्रकार आहे. कुठलाही साहित्यप्रकार वा साहित्यकृती अभ्यासक्रमात नेमताना त्यापाठीमागे काही हेतू, उद्दिष्टे अभ्यास मंडळांनी निश्चित केलेली असतात. कादंबरी घ्या अध्ययन-अध्यापनामागील उद्दिष्टांबाबत सांगावयाचे झाल्यास विद्यार्थ्यांना कादंबरी या साहित्य प्रकाराची ओळख करून देणे, कादंबरीची संकल्पना,व्याख्या, तिचे बहुपेडी स्वरूप, परंपरा, प्रेरणा, कादंबरीचे घटक,प्रकार, कादंबरी याबाबतचा स्थूल परिचय

विद्यार्थ्यांना करून देणे, कादंबरी साहित्यप्रकाराचे वेगळेपण, विशेष इ.बाबत अवगत करणे अपेक्षित असते.वर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी कादंबरी वाचलेली असेल तरीही या प्रकाराविषयीची अधिक माहिती त्यांना झालेली असतेच असे नाही त्यामुळे सुरुवातीस कादंबरी या संकल्पनेविषयी अधिक माहिती विद्यार्थ्यांना देणे क्रमप्राप्त ठरेल.

अभ्यासक्रमास नेमलेल्या कादंबरीचे अध्ययन-अध्यापन करताना या वाङ्मय प्रकाराविषयी ची प्राथमिक माहिती देणे अपेक्षित असते परंतु, बरेचदा एखादी लोकप्रिय किंवा यापूर्वीच्या विद्यार्थ्यांकडून कळलेल्या माहितीनुसार विद्यार्थ्यांच्या अभिरुचीला मानवणारी कादंबरी अभ्यासक्रमाला असेल तर विद्यार्थ्यांना ती कादंबरी अभ्यासण्याची घाई असते.त्यामुळे त्यांना कादंबरीची, व्याख्या, स्वरूप, घटक या तांत्रिक बाबी त्यांच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर 'बोअर' करणाऱ्या वाटतात त्यामुळे याकडे त्यांचे लक्ष लागत नाही. परंतु साहित्याचा विद्यार्थी म्हणून संकल्पना, संरचना समजून घेणे ही त्या वाङ्मयप्रकाराच्या अभ्यासाची पहिली पायरी असल्याने अध्यापकाने आपले कौशल्य वापरून कादंबरीची संकल्पना क्लिष्ट, बोझिल वाटणार नाही अशा सहज सोप्या शब्दांत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.

कादंबरीच्या संकल्पनेचे विद्यार्थ्यांना आकलन झाल्यानंतर कादंबरीचा उगम, रामायण-महाभारतातील महाकाव्यांपासून आजच्या वास्तववादी कादंबरीपर्यंतचा प्रवास, त्यात कालानुरूप झालेली स्थित्यंतरे इत्यादीची माहिती विद्यार्थ्यांना देता येईल. अगदीच पदवीच्या प्रथम किंवा द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना नाही परंतु पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या किंवा पदव्युत्तर वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना कादंबरी निर्मितीच्या प्रेरणा, परंपरा, इतिहास याबाबतची माहिती देणे आवश्यक ठरते.

विद्यार्थ्यांना कादंबरी या वाङ्मय प्रकाराचे पुरेसे आकलन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नेमलेल्या कादंबरीच्या अध्ययन- अध्यापनाकडे वळावे लागते. विद्यार्थ्यांची अध्ययन पार्श्वभूमी व नेमलेल्या कादंबरीचे स्वरूप ध्यानात घेऊन विद्यार्थ्यांची अध्ययन पूर्वतयारी करून घ्यावी लागेल. उदाहरणार्थ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना महानगरीय जीवनावरील कादंबरीचे अध्यापन करावयाचे असल्यास महानगरीय संस्कृती विषयी त्यांना कितपत माहिती आहे याचा आढावा घेऊन त्याबाबतची अधिक माहिती देऊन पुढे जाता येईल.

कादंबरीचे अध्ययन-अध्यापन आशय आणि संरचना अशा दोन पातळ्यांवरून करावे लागते. कादंबरीचे अध्यापन करताना बरेचदा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने त्यांना अचंबित करणारी बाब म्हणजे या वाङ्मय प्रकाराचा असलेला दीर्घ पट. यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी छोट्या छोट्या कथा, कविता किंवा निबंध पर प्रकरणं अभ्यासलेली असतात. त्यामुळे सलग आशय असलेली दीर्घ कलाकृती पाहून त्यांच्या मनात येणारी भावना साहजिक आहे. दीर्घ कादंबरीचा आशय थोडक्यात सांगितला तर त्या कलाकृतीतील समग्र अनुभविश्व मुठीत मावत नाही आणि टप्प्याटप्प्याने काही भाग शिकवत गेलो तर त्यात सलगता एक संधपणा राहत नाही. काही कादंबऱ्या प्रकरणांत विभागलेल्या असतात त्यांची एकेका प्रकरणांनुसार विद्यार्थ्यांसमोर मांडणी करता येईल परंतु, सलग एकसंध रचनाबंध असणाऱ्या कादंबरीच्या अध्यापनाबाबत विचार करावा लागतो. अशावेळी विद्यार्थ्यांना ती वाङ्मयकृती अगोदर पूर्ण वाचन करून यायला सांगून त्यातील काय आकलन झाले/नाही हे विद्यार्थ्यांशी संवादाच्या माध्यमातून समजून घेता येईल. कादंबरीच्या विषयानुसार दैनंदिन जीवनातील घटना, प्रसंग इत्यादीच्या माध्यमातून त्यांना कादंबरीत कथन केलेल्या आशयाकडे आणावे लागेल. त्यानंतर कादंबरीचे काही भाग, टप्पे करून त्यानुसार त्यातील आशय, विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येईल.

साहित्याच्या अध्यापनात केवळ शब्दांचे अर्थ स्पष्ट करून, माहिती देऊन साहित्यकृती समजणार नाही तर त्या साहित्यकृतीतील भावना, विचारांची अनुभूती वाचकाला येणे अपेक्षित असते. कादंबरीचे अध्ययन-अध्यापन हे ज्ञानात्मकतेपेक्षा भावात्मक, अनुभूतीपर असले पाहिजे. ग्रामीण कादंबरीचे अध्ययन करताना त्यातून ग्रामीण भागाचे ज्ञान व्हावे हा हेतू नसतो तर त्या कादंबरीतून ग्रामीण जीवन, तेथील प्रश्न, समस्या यांची दाहकता, व्यथा, वेदना यांची अनुभूती अध्ययनकर्त्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. वाचक त्या कलाकृतीशी एकरूप झाला पाहिजे.

आस्वाद-आकलन-मतप्रदर्शन किंवा मूल्यमापन या पद्धतीने कादंबरीचे अध्ययन-अध्यापन केल्यास ते अधिक परिणामकारक होईल असे वाटते. प्रथमतः एक वाचक म्हणून त्या साहित्यकृतीचा आशय,कथानक इत्यादीचा आस्वाद घेतल्यानंतर त्यातील वाच्यार्थांशिवाय जो गर्भितार्थ असतो; त्या कादंबरीच्या माध्यमातून लेखक नेमके काय सांगू पाहतोय याचे आकलन अध्ययनकर्त्यास होणे गरजेचे ठरते. साहित्यकृतीचे आकलन झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांस त्रयस्थपणे त्याकडे पाहण्यास सांगून त्यातील बलस्थाने,विशेष आणि विद्यार्थ्यांना खटकणाऱ्या,वेगळ्या वाटणाऱ्या बाबी यासंबंधी विचार करण्यास प्रवृत्त केले तर यातून त्यांच्यात समीक्षणदृष्टी विकसित होण्यास मदत होईल. समीक्षा आणि अध्ययन-अध्यापन याबाबत डॉ. दिलीप धोंडगे असे म्हणतात की “समीक्षा आणि अध्ययन-अध्यापन यात फरक आहे.अध्यापकाने समीक्षेच्या वाघाच्या शिकारीची तयारी ठेवली तरच त्याला अध्यापनाच्या सशाची शिकार करता येईल... अध्ययन अध्यापनातून समीक्षेची वृत्ती तयार व्हायला हवी”^३ त्यामुळे अध्यापकानेही बहुश्रुत असले पाहिजे.अध्यापक हा एक चांगला समीक्षक असेल तर त्याच्याकडून विद्यार्थ्यांस कादंबरीबाबत खूप काही मिळण्यास वाव असतो. अध्ययनकर्त्यास कलाकृती समजण्याबरोबरच तिचे मूल्यमापन करण्याची क्षमता,वृत्ती त्यांच्यात निर्माण करणे ही कादंबरीच्या परिणामकारक अध्यापनाची परिणती ठरेल.

कादंबरीच्या आशय, अंतरंगाबरोबरच कादंबरीची संरचना ज्यात भाषा,निवेदन, व्यक्तिरेखा,वातावरण,प्रसंग निर्मिती इत्यादीच्या अंगाने कादंबरी समजून घ्यावी लागते. अलीकडे वेगवेगळ्या बोलीभाषेत मोठ्या प्रमाणात साहित्यनिर्मिती होऊ लागली आहे. भिन्न प्रदेश, संस्कृतीतील विद्यार्थ्यांना भिन्न बोलीतील शब्द,वाक्यरचना समजण्यात अनेकदा अडचणी येतात.अशावेळी त्यांना त्या त्या भाषेतील शब्दांच्या अर्थाबरोबरच त्याचे सांस्कृतिक,सामाजिक संदर्भ, त्या बोलीतील सौंदर्य, वेगळेपण,कादंबरीत आलेली पात्रं, सभोवतालचे वातावरण,संस्कृती अशा बाबी समजून देण्यात अध्यापकाचे कौशल्य पणास लागते.त्यासाठी अध्यापकाने अगोदर त्या कादंबरीचा अशा विविध अंगांनी अभ्यास करून त्या कलाकृतीवर इतरांनी मांडलेली मतं,चर्चा,समीक्षा,कादंबरीची सामाजिकता, कादंबरी लेखनामागील प्रेरणा, लेखकाचा दृष्टिकोन इ.ची नोंद घेऊन मुलांच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर ‘अपडेट’ झाले पाहिजे.

राजकीय,सामाजिक,शैक्षणिक, प्रादेशिक अशा वेगवेगळ्या विषयांवरील कादंबऱ्यामध्ये लेखकाने आपली अशी एक भूमिका मांडलेली असते. ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवताना अध्यापक हा विशिष्ट राजकीय, सामाजिक भूमिकेने भारावलेला नसावा.अन्यथा त्या कलाकृती ऐवजी स्वतःचीच मते विद्यार्थ्यांवर लादले जाण्याची शक्यता जास्त असते. कादंबरी अभ्यासातून विद्यार्थ्यांना त्यांची स्वतःची मतं बनवता,व्यक्त करता आली पाहिजेत. कादंबरीचे अध्ययन-अध्यापन एकसुरी, एकतर्फी होऊ नये. तसे झाल्यास ते परिणामकारक व परिपूर्ण अध्यापन होणार नाही.त्यासाठी परस्परसंवाद,चर्चा महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे अध्यापकाने पूर्वग्रहविरहितपणे विद्यार्थ्यांस कलाकृतीच्या वाङ्मयीन,कलात्मक सौंदर्याच्या आस्वादातून तिच्या विश्लेषणापर्यंत नेले पाहिजे.

संदर्भ:

- १) कुंडले,म.बा. मराठीचे अध्यापन,श्री विद्या प्रकाशन,पुणे 1997 पृ.क्र.49
- २) भावे,स.शि. साहित्य:अध्यापन आणि प्रकार,(वा.ल. कुलकर्णी गौरव ग्रंथ) संपा.श्री.पु.भागवत आणि इतर, पॉप्युलर आणि मौज प्रकाशनगृह,मुंबई प्र.आ.1987 पृ.4
- ३) धोंडगे,डॉ.दिलीप कादंबरीचे अध्यापन, महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, एप्रिल ते जून 2019 पृ.क्र.13



8.

भारत में पीड़ितों के अधिकारों के प्रवर्तन की स्थिति

गिरीश पाल

सहायक प्राध्यापक, माधव विधि महाविद्यालय

मीनाक्षी चौरसिया

एल.एल.एम., माधव विधि महाविद्यालय

सारांश

पीड़ित के अधिकारों को लागू करना किसी भी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अपराध का अनुभव करने के बाद पीड़ितों को उचित उपचार, सहायता और न्याय मिले। यह सार भारत में पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है।

हाल के वर्षों में, भारत ने अपराध पीड़ितों की जरूरतों और अधिकारों को पहचानने और संबोधित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विधायी उपाय लागू किए हैं और नीतिगत पहल लागू की है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (अंतर्राष्ट्रीय) अधिनियम, 2008 का अधिनियम है, जिसने पीड़ितों की सुरक्षा और समर्थन के लिए व्यापक प्रावधान पेश किए।

इन प्रावधानों में मामले की प्रगति के बारे में सूचित होने का अधिकार, मुकदमे के दौरान सुनवाई का अधिकार, मुआवजे का अधिकार और सुरक्षा और गोपनीयता का अधिकार शामिल है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर पीड़ित मुआवजा योजनाओं की शुरुआत का उद्देश्य पीड़ितों को चिकित्सा खर्च, पुनर्वास और अन्य संबंधित जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इन सकारात्मक कदमों के बावजूद, भारत में पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण चुनौती पीड़ितों के बीच उनके अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्र के बारे में जागरूकता की कमी है। कानूनी सहायता और समर्थन सेवाओं तक सीमित पहुंच इस समस्या को और बढ़ा देती है, खासकर हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समूहों के लिए।

बीच शब्द- पीड़ित के अधिकार, प्रवर्तन, स्थिति, हक, संरक्षण, न्याय, कानून, समर्थन, संरक्षक, न्यायिक संरचना, समुचित सुनवाई, समर्थन साधन, संरक्षण केंद्र।

प्रस्तावना

भारत में पीड़ितों के अधिकारों का प्रवर्तन हाल के वर्षों में चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण सहित विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को अक्सर न्याय पाने और पर्याप्त सहायता प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, भारत ने कानूनी प्रावधानों, नीतिगत पहलों और संस्थागत तंत्रों के माध्यम से पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, पीड़ितों के अधिकारों का प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यान्वयन देश में एक जटिल और उभरता हुआ मुद्दा बना हुआ है।

भारत ने विधायी उपायों के माध्यम से पीड़ितों के अधिकारों को पहचानने और उनकी सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 में पीड़ितों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को

शामिल करने के लिए 2009 में संशोधन किया गया था, जैसे कि सुनवाई का अधिकार, मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार और मामले की कार्यवाही के बारे में सूचित होने का अधिकार। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने भी पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान पेश किए, खासकर यौन अपराधों के मामलों में। पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने और अधिक पीड़ित-अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की है, जैसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अदालतें और फास्ट-ट्रैक अदालतें। इन अदालतों का लक्ष्य मुकदमे की कार्यवाही के दौरान देरी को कम करना, पीड़ितों को गोपनीयता प्रदान करना और उनके हितों को प्राथमिकता देना है।

वैचारिक ढांचा

पीड़ितों के अधिकारों को समझना

पीड़ितों के अधिकारों को समझना उनके उचित उपचार, समर्थन और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पीड़ितों के अधिकार उन व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों और सुरक्षा के एक समूह को संदर्भित करते हैं, जिन्होंने किसी आपराधिक कृत्य या अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान, आघात या हानि का अनुभव किया है। ये अधिकार पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा करने तथा उन्हें आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

सूचित होने का अधिकार : पीड़ितों को उनके अधिकारों, आपराधिक न्याय प्रक्रिया, उपलब्ध सहायता सेवाओं और उनके मामले की प्रगति के बारे में सूचित होने का अधिकार है। उन्हें मुकदमे की तारीखों, सुनवाई और उनके मामले से संबंधित किसी भी घटनाक्रम सहित अदालती कार्यवाही के बारे में अद्यतन रखा जाना चाहिए।

भागीदारी का अधिकार : पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, खासकर जब यह सीधे उनके हितों को प्रभावित करता है। इसमें साक्ष्य प्रदान करने, पीड़ित पर प्रभाव डालने वाले बयान पेश करने और प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, जैसे कि दलील सौदेबाजी या सजा के दौरान सुनवाई का अधिकार शामिल है।

संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार : पीड़ितों को धमकी, भय और प्रतिशोध से सुरक्षा पाने का अधिकार है। इसमें कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनकी शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना शामिल है, जिसमें जहां आवश्यक हो वहां गवाह सुरक्षा कार्यक्रमों का प्रावधान भी शामिल है।

निजता और गरिमा का अधिकार : आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ जुड़ाव के दौरान पीड़ितों को निजता और सम्मान का अधिकार है। इसमें उनकी पहचान, व्यक्तिगत जानकारी और अपराध से संबंधित संवेदनशील विवरण की सुरक्षा शामिल है। उनकी व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

मुआवजा और क्षतिपूर्ति का अधिकार : पीड़ितों को अपराध के परिणामस्वरूप हुई क्षति, हानि या चोट के लिए मुआवजा मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें वित्तीय पुनर्स्थापन, चिकित्सा सहायता, परामर्श सेवाएँ और यथासंभव उनके जीवन को बहाल करने में सहायता शामिल हो सकती है।

सहायता सेवाओं का अधिकार : पीड़ितों को परामर्श, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता और सामाजिक सेवाओं जैसी सहायता सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार है। इन सेवाओं का उद्देश्य पीड़ितों की शारीरिक, भावनात्मक और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करना और उन्हें अपराध के प्रभावों से उबरने में मदद करना है।

मौजूदा कानूनों का विश्लेषण

किसी भी क्षेत्राधिकार में मौजूदा कानूनों का विश्लेषण करने के लिए कानूनी ढांचे, कानून, विनियम और केस कानून की व्यापक जांच की आवश्यकता होती है। हालाँकि मैं एक सामान्य अवलोकन प्रदान कर सकता हूँ, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय कानूनों के विस्तृत विश्लेषण के लिए कानूनी पेशेवरों द्वारा गहन समीक्षा की आवश्यकता होगी। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और शासन, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के लिए मौलिक ढांचा प्रदान करता है। संविधान के विश्लेषण में इसके प्रावधानों, अदालतों द्वारा व्याख्या और अन्य कानूनों पर इसके प्रभाव को समझना शामिल है।

भारत में आपराधिक कानून, नागरिक कानून, पारिवारिक कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति कानून, श्रम कानून, पर्यावरण कानून और बौद्धिक संपदा कानून जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले वैधानिक कानूनों की एक विशाल श्रृंखला है। इन कानूनों के विश्लेषण में उनकी सामग्री, दायरे, प्रवर्तन तंत्र और समय के साथ किए गए किसी भी संशोधन या अपडेट की जांच करना शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित भारतीय अदालतों के न्यायिक निर्णय, कानूनों की व्याख्या और विकास में योगदान करते हैं। केस कानून के विश्लेषण में कानूनी मिसालों, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से स्थापित सिद्धांतों और कानून की व्याख्या में विकसित रुझानों का अध्ययन करना शामिल है।

मौजूदा कानूनों का विश्लेषण करने के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि वे किस हद तक अंतरराष्ट्रीय मानकों, उभरती सामाजिक जरूरतों और बदलते कानूनी परिदृश्य के साथ संरेखित हैं। कमियों, विसंगतियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने से कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिल सकती है। भारतीय संविधान और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में निहित मानवाधिकार मानकों के साथ मौजूदा कानूनों के अनुपालन का मूल्यांकन करना विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, गैर-भेदभाव, न्याय तक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन की जांच करना शामिल है।

मौजूदा कानूनों के विश्लेषण में सार्वजनिक परामर्श के स्तर और कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी पर विचार करना शामिल है। इसमें यह मूल्यांकन करना शामिल है कि समावेशिता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों सहित हितधारकों को कानूनों के निर्माण, समीक्षा और संशोधन में किस हद तक शामिल किया गया है। मौजूदा कानूनों का विश्लेषण करने के लिए उनके इच्छित और अनपेक्षित परिणामों सहित समाज पर उनके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करना आवश्यक है। इसमें प्रभाव आकलन करना, अनुभवजन्य डेटा का अध्ययन करना और कानूनों के व्यावहारिक निहितार्थ को समझने के लिए प्रभावित समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत करना शामिल हो सकता है।

पीड़ितों के अधिकारों को लागू करने में चुनौतियाँ

किसी भी देश में पीड़ितों के अधिकारों को लागू करना विभिन्न कारकों के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई पीड़ितों को अपने अधिकारों या उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कानूनी ढांचे की सीमित जागरूकता और समझ पीड़ितों को अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से दावा करने में बाधा डाल सकती है। पीड़ितों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें न्याय पाने के लिए सशक्त बनाने के लिए सुलभ जानकारी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। न्याय तक पहुंच कई पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, विशेष रूप से हाशिए

पर रहने वाले और कमजोर समुदायों के लोगों के लिए। वित्तीय बाधाएँ, कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी और भौगोलिक सीमाएँ जैसी बाधाएँ पीड़ितों की कानूनी प्रणाली में नेविगेट करने की क्षमता को बाधित कर सकती हैं। कानूनी सहायता सेवाओं, समर्थन और किफायती या मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व का पर्याप्त प्रावधान इन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है।

लंबी कानूनी कार्यवाही और लंबित मामलों के परिणामस्वरूप पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी हो सकती है। लंबे मुकदमे और स्थगन पीड़ितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, उनके आघात को लम्बा खींच सकते हैं और न्याय प्रणाली में उनका विश्वास कम कर सकते हैं। फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना, केस प्रबंधन सुधार और मामलों का समय पर निपटान जैसे उपाय देरी को कम करने में मदद कर सकते हैं। गवाहों को, विशेष रूप से हाई-प्रोफाइल मामलों या संगठित अपराध से जुड़े मामलों में, अक्सर धमकियों, धमकी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। गवाहों को आगे आने और बिना किसी डर के गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गवाह सुरक्षा कार्यक्रमों और तंत्रों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक-सांस्कृतिक कारक पीड़ितों के अधिकारों को लागू करने में चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं, खासकर लिंग आधारित हिंसा के मामलों में। पीड़ित को दोष देना, सामाजिक कलंक और सांस्कृतिक मानदंड पीड़ितों को अपराधों की रिपोर्ट करने और न्याय मांगने से हतोत्साहित कर सकते हैं। जागरूकता अभियानों, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन सामाजिक दृष्टिकोणों को संबोधित करना पीड़ितों के लिए अपने अधिकारों का दावा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। पीड़ितों को अक्सर परामर्श, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास सहित व्यापक सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है। हालाँकि, ऐसी सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच सीमित हो सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। पीड़ितों की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संकट केंद्रों, हेल्पलाइनों और आश्रयों सहित पीड़ित सहायता सेवाओं की स्थापना और उन्हें मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

न्यायिक दृष्टिकोण

सुरेशभाई मंगोजी पट्टियार बनाम गुजरात राज्य, 1993 (2) एससीसी 746 के मामले में, कहा जाता है कि मुआवजा देना मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व के आधार पर सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न केवल शक्ति और क्षेत्राधिकार है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में राहत देने का दायित्व भी है। भारत पीड़ित या पीड़ितों के उत्तराधिकारियों को, जिनके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार R/SCR.1/3156/2020 CAV निर्णय दिनांक : 24/02/2023 हैं, राज्य से मरम्मत करने का आह्वान करके खुलेआम उल्लंघन किया गया है। हम पीड़ितों की पर्याप्त पीड़ा से अनजान नहीं रह सकते। यह एक तथ्य के रूप में खड़ा है कि भारत में आपराधिक न्याय सुधार और नागरिक अधिकार आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से केवल अभियुक्तों के अधिकारों पर काफी ध्यान दिया है और पीड़ितों पर अपराध के प्रभाव को उसी हद तक संबोधित करने की उपेक्षा की है। न केवल अपराध के पीड़ितों को ही सुखदायक मरहम की आवश्यकता होती है, बल्कि परिवार, सह-पीड़ितों और अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर समाज जैसे आकस्मिक पीड़ितों को भी इसकी आवश्यकता होती है। न्यायपालिका का यह

सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह पीड़ितों के अधिकारों की उतनी ही तत्परता से रक्षा करे जितनी अपराधियों के अधिकारों की।

श्री डी.के. बसु, अशोक के. जौहरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, 18 दिसंबर, 1996, लगभग दो दशक पहले तक अपने लोक सेवकों के अत्याचारपूर्ण कृत्य के लिए सरकार की देनदारी आम तौर पर सीमित थी और प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकार को लागू कर सकता था। एक सिविल मुकदमा दायर करके अपकृत्य किया गया और वहाँ फिर से संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा को अपना खेल खेलने की अनुमति दी गई। हालाँकि, जीवन के मौलिक अधिकार या बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए, इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि लोक सेवकों के कपटपूर्ण कृत्य और स्थापित उल्लंघन के लिए राज्य को संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा उपलब्ध नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकार।

एस.पी.एस. रावैड़ बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 6 मई, 2005, इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होने के नाते, न केवल शक्ति और क्षेत्राधिकार है, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में राहत देने का दायित्व भी है। पीड़ित या पीड़ित के उत्तराधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, जिनके मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित किया गया है, राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत के लिए कहकर खुलेआम उल्लंघन किया गया है। नागरिक के मौलिक अधिकार, नागरिक मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से उपचार के अधिकार के बावजूद। निःसंदेह, राज्य को क्षतिपूर्ति पाने और उचित कार्यवाहियों के माध्यम से कानून के अनुसार गलत काम करने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है।

पी.एन. 18 नवंबर, 2008 को कनगराज बनाम मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक होने के नाते, न केवल शक्ति और क्षेत्राधिकार रखता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में राहत देने का दायित्व भी रखता है। पीड़ित या पीड़ित के उत्तराधिकारी को, जिसके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए कहा गया है, इसके बावजूद सिविल मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से उपचार पाने का नागरिक का अधिकार। निःसंदेह, राज्य को क्षतिपूर्ति पाने और उचित कार्यवाहियों के माध्यम से कानून के अनुसार गलत काम करने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में राहत तब दी जाएगी जब यह स्थापित हो जाएगा कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

धर्मवीर कटारिया (कर्नल) बनाम भारत संघ और अन्य, 22 अप्रैल, 1999, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के उल्लंघन या अतिक्रमण के लिए हिरासत में मौत के शिकार व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को राहत देने के लिए, उसे हमेशा सामान्य उपचार के दायरे में रखना पर्याप्त नहीं है। राज्य के कपटपूर्ण कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए सिविल मुकदमा, क्योंकि निजी कानून में वह उपाय वास्तव में पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपरिहार्य अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने वाले नागरिक को यह नहीं बताया जा सकता है कि स्थापित उल्लंघन के लिए जीवन के मौलिक अधिकार के तहत, उसे रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाली अदालतों द्वारा सार्वजनिक कानून के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती है। सार्वजनिक कानून की कार्यवाही का प्राथमिक स्रोत विशेषाधिकार रिट से उत्पन्न होता है और इसलिए, अदालतों को

शनए उपकरण१ विकसित करने होंगे कानून के शासन को संरक्षित और संरक्षित करने की दृष्टि से सार्वजनिक कानून को स्थिति के अनुसार ढालकर राहत देना।

लक्ष्मण नायडू (मृत) बनाम तमिलनाडु राज्य, उच्च न्यायालय, 28 अप्रैल, 2006 नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक होने के नाते, न केवल शक्ति और क्षेत्राधिकार रखता है, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में राहत देने का दायित्व भी रखता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पीड़ित या पीड़ित के उत्तराधिकारी को, जिनके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, राज्य को अपने अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए कहा गया है। नागरिक मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से उपचार के नागरिक के अधिकार के बावजूद। निःसंदेह, राज्य को क्षतिपूर्ति पाने और उचित कार्यवाहियों के माध्यम से कानून के अनुसार गलत काम करने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में राहत तब दी जाएगी जब यह स्थापित हो जाएगा कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 18 अप्रैल, 2011 को बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य, याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका उन घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद दायर की है जहां याचिकाकर्ता कई बच्चों के संपर्क में आया था जिन्हें सर्कस में प्रदर्शन करने के लिए तस्करी कर लाया गया था। याचिकाकर्ता ने पाया कि सर्कस दुनिया में स्वदेशी मनोरंजन के प्राचीन रूपों में से एक है, जिसमें इंसानों की प्रमुख भूमिका होती है। हालाँकि, इन सर्कसों में होने वाली गतिविधियाँ कलाकारों, विशेषकर बच्चों को उनके बुनियादी मौलिक अधिकारों से वंचित कर देती हैं। उनमें से अधिकांश की तस्करी नेपाल के कुछ गरीबी-ग्रस्त क्षेत्रों के साथ-साथ भारत के पिछड़े जिलों से की जाती है। उनके लिए बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं है।

चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन और अन्य बनाम एलन जॉन वार्ट्स और अन्य, एंकरेज शेल्टर्स में यौन और शारीरिक शोषण के संबंध में, 24.10.2001 को चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन ने कफ परेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और दर्ज कराते समय उक्त शिकायत के अनुसार, सुश्री महारुख अदनवाला भी वहां मौजूद थीं। इस तथ्य के बावजूद कि शिकायत दर्ज की गई थी, पुलिस ने इस बहाने से अपराध का संज्ञान नहीं लिया कि मामला विचाराधीन था और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। चूंकि मामला पुलिस द्वारा नहीं देखा जा रहा था, सुश्री महारुख अदनवाला ने कुछ पीड़ितों के बयान दर्ज किए और समिति के सदस्यों को उक्त तथ्य की जानकारी दी। 28.10.2001 को डॉ. (श्रीमती) कालिंदी मुजुमदार और डॉ. (श्रीमती) आशा बाजपेयी ने इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ के कार्यालय में उन पीड़ितों से मुलाकात की और पुष्टि की कि सुश्री महारुख अदनवाला द्वारा पहले दर्ज किए गए बयान सही थे। रिकार्ड किया गया।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत में पीड़ितों के अधिकारों का कार्यान्वयन विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें कानूनी ढांचा, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका शामिल है। हालाँकि भारत ने पीड़ितों के अधिकारों को पहचानने और उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए समाधान करने की आवश्यकता है।

भारत में कानूनी ढांचा पीड़ितों के अधिकारों के लिए एक आधार प्रदान करता है, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जैसे प्रमुख कानून

शामिल हैं। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार और सुरक्षा में कमियों को दूर करने के लिए निरंतर सुधारों और संशोधनों की आवश्यकता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, जैसे कलंक, लैंगिक असमानता और पारंपरिक मानदंड, पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन में बाधा बन सकते हैं। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने, रूढ़िवादिता को चुनौती देने और पीड़ितों के लिए सहानुभूति और समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक भागीदारी, जागरूकता अभियान और शिक्षा की आवश्यकता होती है।

भारत में पीड़ितों के अधिकारों को लागू करने में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे महत्वपूर्ण सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं, नीति सुधारों की वकालत करते हैं, अनुसंधान करते हैं और पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। एनजीओ पीड़ितों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता का निर्माण करने और न्याय तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए, कानूनी चुनौतियों का समाधान करना, संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसमें व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करना, समय पर न्याय सुनिश्चित करना और कमजोर पीड़ितों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करना शामिल है।

सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और समुदाय के सहयोगात्मक प्रयास एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक हैं जो पीड़ितों का समर्थन करता है, उनके अधिकारों को कायम रखता है और न्याय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।

हालाँकि अभी भी काम किया जाना बाकी है, भारत में पीड़ितों के अधिकारों की मान्यता और प्रवर्तन का विकास जारी है। चुनौतियों का समाधान करके, कानूनी ढांचे को मजबूत करके, और सहानुभूति और समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन को और बढ़ा सकता है और एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बना सकता है।

निष्कर्षतः, भारत में पीड़ितों के अधिकारों को लागू करना एक जटिल और विकासशील प्रक्रिया है जिसके लिए विभिन्न कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कानूनी ढांचा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आधार प्रदान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में चुनौतियाँ हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, जैसे कलंक, लैंगिक असमानता और पारंपरिक मानदंड, पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन में बाधा बन सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता होती है। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) पीड़ितों का समर्थन करने और उनके अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्वास जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं, और जागरूकता बढ़ाने, अनुसंधान करने और नीति सुधारों को प्रभावित करने के लिए काम करते हैं। गैर सरकारी संगठन सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं, क्षमता निर्माण के प्रयासों में संलग्न होते हैं, और पीड़ितों को सशक्त बनाने और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं। पीड़ितों के अधिकारों को लागू करने में सीमित संसाधन, अपर्याप्त सहायता सेवाएँ और कानूनी ढांचे में अंतराल सहित चुनौतियाँ जारी हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी सुधार, सामुदायिक सहभागिता और हितधारकों के बीच सहयोग शामिल हो। मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन को मजबूत करना, पीड़ित सहायता सेवाओं के लिए पर्याप्त

संसाधन सुनिश्चित करना और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना आवश्यक है। इन चुनौतियों का समाधान करके, भारत पीड़ितों के अधिकारों के कार्यान्वयन को बढ़ा सकता है और एक ऐसा समाज बना सकता है जो पीड़ितों की भलाई, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे। सार्थक परिवर्तन लाने और देश भर में पीड़ितों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों के निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

- डॉ. निधि सक्सेना, इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनलिस्टिक्स, 2017, खंड 38, पृ. 39
- बसु, डी.डी., भारत का संवैधानिक कानून, नागपुर, वाधवा एंड कंपनी, 2003, पृ. 16
- चोकलिंगम, के., रीडिंग्स इन विक्टिमोलॉजी, रविराज प्रकाशन, (सं.) चेन्नई : भारत, 1985, पृ. 131
- जी.ए. रेस., अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा, नंबर 29, 1985, पृ. 122
- भारत सरकार, आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति की रिपोर्ट, 2003, 1, पृष्ठ 75-84
- भारत सरकार, भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, 2015, पृ.22
- कृष्णा अय्यर, वी.आर., विक्टिमोलॉजी का बढ़ता वैश्विक न्यायशास्त्र और अपराध के पीड़ितों के लिए भारत के न्याय के कुछ अनुकंपा आयाम, अप्रकाशित पेपर, 1999, पृ.2
- निदा जैनब नकवी, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकार - विश्लेषण, यूरोएशिया समीक्षा-समाचार और विश्लेषण, कनाडा, 2016, पृ. 181-182



9.

आपराधिक न्याय प्रणाली में राज्य की भूमिका

निधि गुप्ता

LLM 4th Sem.

भारतेन्दु चौधरी

सहायक प्राध्यापक, माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)

संक्षेपिका - आपराधिक न्याय प्रणाली में राज्य की भूमिका बहुआयामी है। यह एक महत्वपूर्ण शोध विषय बन गया है। राज्य द्वारा आपराधिक न्याय व्यवस्था संचालित की जाती है। जहाँ आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है और निर्णय दिए जाते हैं। आधुनिक समय में अपराध से स्वयं को बचाना एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। देश में अपराध, बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु अनेक बल स्थापित किये गए हैं। आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य कारको द्वारा अपनी शक्तियों का अनुचित फायदा ना उठाकर समाज में शांति स्थापित करने का कार्य राज्य का है। पुलिस प्रशासन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो न्याय व्यवस्था को सुधारने में अपनी मुख्य भूमिका निभाती है। इस अध्ययन के अंतर्गत हम आपराधिक न्याय व्यवस्था व राज्य के कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं।

शब्द कुंजी- न्यायिक व्यवस्था में सुधार, अपराध रोकथाम, अपराधी सुधारात्मक, लोकहित, लोकन्याय, राज्य की भूमिका

परिचय-

वर्तमान समय में अपराधिक न्याय प्रणाली एक महत्वपूर्ण व चर्चित विषय बन चुका है जिस पर विचार करने व शोध करना अत्यंत आवश्यक हो गया है अपराध ना केवल हमारे देश में वरन संपूर्ण विश्व में दिनोंदिन वृद्धि कर रहे हैं जिसका प्रभाव समाज में रहने वाले, संबंध रखने वाले, शारीरिक व मानसिक स्थिति पर पड़ता है आपराधिक न्याय प्रणाली में राज्य अपनी अलग भूमिका निभाता है जो कानून व्यवस्था को बनाए रखता है अपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में जांच अभियोजन, निर्णय, सुधार भूमिका होती है राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य समाज में हो रहे अपराध व उनकी बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाना है वह पीड़ित को निष्पक्ष न्याय दिलाना है अपराधिक न्याय प्रणाली मुख्यतः भारतीय दंड संहिता पर आधारित है क्योंकि इसके अंतर्गत अपराधों की रोकथाम हेतु अधिकार व कर्तव्य आदि रोपित है जो न्याय व्यवस्था को सुचारु रूप से चला सके।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस प्रशासन, न्यायालय, बड़े-बड़े मंत्री गण का कर्तव्य न्याय व्यवस्था को डगमगाना नहीं अपितु उनका संचालन कर देश को समृद्ध व शक्तिशाली बनाना है

अपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका पुलिस प्रशासन निभाता है क्योंकि जनता की अपेक्षाएं पुलिस से अत्यधिक होती है पुलिस का कर्तव्य अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, उनके बारे में पता लगाने वह सख्त कदम उठाने का होता है इन सब का उपयोग करके वह आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर पीड़ित को न्याय दिलाता है न्याय व्यवस्था राज्य पर ही टिकी हुई है राज्य एक ऐसी जंजीर है जिसका कोई तोड़ नहीं है वह दिन प्रतिदिन न्याय व्यवस्था में अपना

योगदान बना रहा है राज्य यह सुनिश्चित करता है की अपराधिक प्रतिवादियों को उचित प्रक्रिया अधिकार प्रदान किए जाने, कानून प्रतिनिधित्व का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई, दोषी साबित होने तक निर्दोष होने का अधिकार आदि ऐसे दायित्व है जो राज्य पर आरोपित कर कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं।

आपराधिक न्याय व्यवस्था -

1. अपराधिक न्याय व्यवस्था एक ऐसी एजेंसी, संस्था है जो समाज में हो रहे अपराधों को नियंत्रित करती है
2. अपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों व दायित्व को सुरक्षित रखना है
3. यह शास्ति द्रोपित करती है जो प्रवर्तनीय विधि का प्रवर्तन करते हैं।

राज्य -

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

आपराधिक न्याय प्रणाली

वैधानिक ढांचा

अपराध एफ.आई.आर. अन्वेषण

अभियोजन न्यायालय के समक्ष विचारण कारागार

सुधारात्मक संस्था परिवीक्षा एवं पैरोल

अपराधिक राज्य का स्तर- आलोचनात्मक मूल्यांकन

अपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत राज्य का स्तर दिन-प्रतिदिन नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है न्याय प्रणाली में सुधार की व्यवस्था ना होकर बिगड़ती जा रही है भारतीय पुलिस की छवि नकारात्मक होती जा रही है जनता के मन में 'पुलिस मित्र' के स्थान पर क्रूर व भय का प्रभाव पड़ रहा है। अपराध कम होने के स्थान पर दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहे हैं अनेक कानूनों के बावजूद समाज में अपराध बिना किसी भय के कारित हो रहे हैं पुलिस प्रशासन अपराधों पर सख्ती से जांच नहीं करती है अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। समय-समय पर पुलिस बल की अनेक आलोचना की जाती है क्योंकि वह अपनी छवि को सुधार नहीं पा रहे हैं। हमारे देश में न जाने कितने अपराध कारित किए जाते हैं जिनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है पुलिस अपराधियों को बचाने के लिए उन्हें कारागारों में सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके मन से भय को समाप्त कर अपराध की और अग्रसर करते हैं

इनके साथ साथ न्यायालय के अंतर्गत वादों की सुनवाई समय पर ना होकर वादों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण समय रहते वादों का निपटारा नहीं होता वह पीड़ितों को न्याय प्राप्त नहीं होता है। इस आशा के रहते सालों गुजर जाती हैं मृत्यु हो जाती हैं परंतु न्याय प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में भी कमी है रिपोर्ट के अनुसार 1000000 लोगों के लिए मात्र 19 न्यायाधीश उपलब्ध है जो शीघ्र न्याय करने में अक्षम होते हैं कारागारों की स्थिति

कारागारो जैसी नहीं है अपराधियों को कारागारो में रखने का उद्देश्य स्वयं को सुधारना व पश्चाताप करवाना होता है परंतु आज यही स्थिति विलोम दिखाई पड़ रही है व अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पुलिस बल ही है। पुलिस बल को अनेक संरक्षण प्राप्त हो रहे हैं जिसके कारण उनमें विसंगतियां पैदा हो गई है

मल्लिमथ समिति की सिफारिशें -

- 1 पूछताछ प्रणाली से उधार लेना
 - ★ समिति ने सिफारिश की कि अदालतों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि यदि वे इसे आवश्यक समझे तो किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं
- 2 इंद्रा साहनी के केस के बारे में
मौन का अधिकार
 - ★ समिति ने संविधान के अनुच्छेद 20(3) में बदलाव की वकालत की, जो आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर होने से बचाता है
 - ★ कमेटी ने सुझाव दिया कि अदालत आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार दिया जाए ताकि जानकारी हासिल की जा सके और जवाब देने से इनकार करने पर उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके
- 3 इनकी रिपोर्ट में पुलिस हिरासत में हिंसा के खिलाफ एक आरोपी को मिलने वाले कई प्री - ट्रायल सुरक्षा उपायों को कमजोर करने का सुझाव दिया गया है
 - ★ उदाहरण के लिए इसमें आरोप पत्र दाखिल करने के लिए उपलब्ध 90 दिन की अवधि को दोगुना करने का प्रावधान है जिसके बाद किसी आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
 - ★ गंभीर अपराधों के लिए आरोपी की 15 दिन की पुलिस रिमांड को दोगुना कर दिया जाए।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अपराधिक न्याय प्रणाली में राज्य की भूमिका के अंतर्गत आने कानूनों का निर्माण किया गया है न्याय व्यवस्था को सुधारने हेतु अनेक कानूनों का सृजन हुआ जो अपराध पर अंकुश लगाकर समाज में फैले गए भय को समाप्त करने का प्रयत्न है अनेक साधियों का प्रावधान है जो अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपित किए जाते हैं राज्य अपनी भूमिका निभाने का निरंतर प्रयास करता है परंतु आज भी अपराध को नियंत्रित करने हेतु कुछ सुझावों की आवश्यकता है क्योंकि यदि सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अपराधों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा लोकहित के विरुद्ध जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं।

सुझाव -

1. अपराधों को रोकने हेतु नये कानूनों का निर्माण किया जाये एवं वर्तमान कानूनों के दंड में परिवर्तन किया जाये।
2. पुलिस वालों से राजनीतिक दबाव को समाप्त किया जाए।
3. यदि किसी आम आदमी के साथ पुलिस द्वारा कोई अनुचित व्यवहार हो रहा है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
4. न्यायालय में चल रहे लंबितवादों की संख्या निर्धारित की जाए जो एक निश्चित समय तक निपटा सके।

5. कारागारों में अपराधियों को मिल रही सुविधाओं को समाप्त किया जाए ताकि वह अपने किए पर पश्चाताप करें ताकि अपराध में कमी हो |
6. 6 मनचाही कार्यों पर अंकुश लगाया जाए जो प्रावधान है उनके अनुसार कार्य किए जाएं व जनता को अपने अधिकारों के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाए |

सन्दर्भ सूची -

- 1 लॉ पीडिया
- 2 रिसर्च गेट जूनी ख्यात यू. जी. सी. केयर ग्रुप फर्स्ट लिस्टेड जनरल
- 3 Law & practice by Iram Riaz Ch.
- 4 परीक्षा मंथन, निबंध मंथन पेज न. 39
- 5 मल्लिमथ समिति - [http:// testbook. Com](http://testbook.com)> IAS - preparation
- 6 Byju's exam preep.
- 7 भारत का संविधान डॉ. जय नारायण पांडे 48 वां संस्करण
- 8 भारतीय दंड संहिता, प्रोफेसर सूर्य नारायण मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 26 वां संस्करण
- 9 The indian penal code Ratanlal & Dhirajlal 33rd edition 2010
- 10 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 मुरलीधर चतुर्वेदी 27 वां संस्करण
- 11 अपराधिक प्रक्रिया संहिता डॉ. रेगा सूर्या राव 2nd एडिशन



10.

पीड़ित प्रतिकर की उपयोगिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन**भारतेन्दु चौधरी**

सहायक प्राध्यापक, माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रतिभा कुशवाह

एल.एल.एम., चतुर्थ सेमेस्टर माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश- पीड़ित मुआवजा कार्यक्रम अपराधिक न्याय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरे हैं, जिसका उद्देश्य अपराध के पीड़ितों को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्तमान अध्ययन पीड़ितों, अपराधिक न्याय प्रणाली और समग्र रूप से समाज पर उनके प्रभाव का व्यापक विश्लेषण करके पीड़ित मुआवजा योजनाओं की उपयोगिता और प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है।

यह विश्लेषणात्मक अध्ययन एक बहु-विधि दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा संग्रह दोनों तरीकों को शामिल किया गया है। एक सैद्धांतिक रूपरेखा स्थापित करने और इसकी उपयोगिता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने के लिए पीड़ित मुआवजे पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, पीड़ितों, कानून प्रवर्तन कर्मियों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं ताकि पीड़ित मुआवजा कार्यक्रमों के बारे में उनके अनुभवों और धारणाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके। शोध के निष्कर्ष पीड़ित मुआवजा योजनाओं से जुड़े विभिन्न लाभों और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं।

व्यक्तिगत लाभों के अलावा, शोध अपराधिक न्याय प्रणाली और समाज पर पीड़ित मुआवजे के व्यापक निहितार्थों की पड़ताल करता है। यह जांच करता है कि ये कार्यक्रम अपराध रिपोर्टिंग, गवाह सहयोग और कानूनी चौनलों के माध्यम से न्याय प्राप्त करने की संभावना को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

प्रस्तावना

पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम अपराध पीड़ितों की जरूरतों और चिंताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपराधिक कृत्यों के परिणामस्वरूप शारीरिक, भावनात्मक, या वित्तीय नुकसान का सामना करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करना है। पीड़ित प्रतिकर की अवधारणा न्याय, निष्पक्षता और पीड़ितों के अधिकारों की मान्यता के सिद्धांतों में निहित है।

पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रमों की उपयोगिता काफी बहस और विश्लेषण का विषय रही है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के कार्यक्रम निर्भरता की संस्कृति पैदा कर सकते हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को हतोत्साहित कर सकते हैं और संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक जरूरतों से हटा सकते हैं। दूसरी ओर, प्रस्तावक

पीड़ित प्रतिकर के महत्वपूर्ण लाभों पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें पीड़ितों को ठोस सहायता प्रदान करना, उनकी वसूली को बढ़ावा देना और उनके जीवन की बहाली में सहायता करना शामिल है।

वैचारिक ढांचा

सैद्धांतिक नींव एक लेंस प्रदान करती है जिसके माध्यम से पीड़ित प्रतिकर की उपयोगिता को समझा जा सकता है और अनुसंधान जांच का मार्गदर्शन किया जा सकता है। दीर्घकालिक प्रभाव, पीड़ित प्रतिकर के पीड़ितों और पूरे समाज पर दीर्घकालिक प्रभावों की जांच करें। इसमें अपराधियों पर संभावित निवारक प्रभाव की जांच करना, उत्पीड़न से जुड़ी सामाजिक लागत में कमी और सार्वजनिक सुरक्षा में समग्र सुधार शामिल है। असमानताओं को कम करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के संदर्भ में पीड़ित प्रतिकर के व्यापक सामाजिक और आर्थिक लाभों का आकलन करें।

पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम की स्थापना और प्रशासन

विधायी ढांचा, पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम आम तौर पर राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर कानून या वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। ये कानून कार्यक्रम के दायरे, उद्देश्य और मापदंडों को परिभाषित करते हैं, जिसमें कवर किए गए अपराधों के प्रकार, पीड़ितों के लिए पात्रता मानदंड और प्रतिकर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शामिल है।

धन के स्रोत, पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम के लिए पात्र पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्त पोषण के स्रोत अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें सरकारी विनियोग, अपराधियों पर लगाया गया जुर्माना और दंड, अनुदान या धर्मार्थ संगठनों से योगदान, या कानून के माध्यम से स्थापित समर्पित पीड़ित प्रतिकर निधि शामिल हैं।

प्रतिकर दावा दाखिल करने और निर्धारित करने की प्रक्रिया

प्रतिकर के दावों को दाखिल करने और निर्धारित करने की प्रक्रिया पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रक्रिया का विश्लेषण ऐसे कार्यक्रमों की उपयोगिता और पीड़ितों को समय पर और उचित प्रतिकर प्रदान करने में उनकी प्रभावशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

दावा दायर करना, प्रतिकर की मांग करने वाले पीड़ित आमतौर पर पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम के साथ दावा दायर करके प्रक्रिया शुरू करते हैं। कार्यक्रम दावा प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित करता है, जिसमें विशिष्ट रूपों को पूरा करना, पुलिस रिपोर्ट या मेडिकल रिकॉर्ड जैसे सहायक दस्तावेज प्रदान करना और अपराध की प्रकृति और परिणामी नुकसान का विवरण शामिल हो सकता है। पीड़ितों को आगे आने और प्रतिकर की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ दावा फाइलिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करना आवश्यक है।

पात्रता निर्धारण, पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर दावेदार की पात्रता का आकलन करते हैं। इन मानदंडों में आमतौर पर अपराध के प्रकार, नुकसान की गंभीरता, अपराध की

रिपोर्ट करने की समयबद्धता, और पीड़ित के साथ दावेदार के संबंध (यदि लागू हो) जैसे कारक शामिल हैं। पात्रता निर्धारण सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने वालों को प्रतिकर प्रदान किया जाता है।

पीड़ित प्रतिकर का प्रभाव और प्रभावशीलता

पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रमों ने अपराध पीड़ितों का समर्थन और सहायता करने में महत्वपूर्ण प्रभाव और प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। ये कार्यक्रम वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और पीड़ितों की तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न नुकसानों और खर्चों के लिए प्रतिकर की पेशकश करके, जैसे कि चिकित्सा बिल, परामर्श सेवाएं, खोई हुई मजदूरी और अंतिम संस्कार की लागत, ये कार्यक्रम पीड़ितों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करते हैं।

पीड़ित प्रतिकर के प्राथमिक प्रभावों में से एक पीड़ितों के लिए सम्मान और मान्यता की बहाली है। उन्हें हुए नुकसान को स्वीकार करते हुए और प्रतिकर प्रदान करके, ये कार्यक्रम पीड़ितों के अनुभवों को मान्य करते हैं और उनका समर्थन करने के लिए समाज की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। यह मान्यता पीड़ितों के उपचार और स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में योगदान कर सकती है, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सशक्त कर सकती है।

चुनौतियां और भविष्य के परिप्रेक्ष्य

पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रमों की उपयोगिता का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कई चुनौतियों का खुलासा करता है और उनके सुधार और प्रभावशीलता के लिए भविष्य के दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रमों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक पर्याप्त धन की उपलब्धता और आवंटन है। पीड़ितों को उनके नुकसान के लिए उचित और समय पर प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन आवश्यक है। अपर्याप्त फंडिंग से लंबी प्रतीक्षा अवधि, सीमित कवरेज, या प्रतिकर की राशि कम हो सकती है, जो कार्यक्रमों के लक्ष्यों और पीड़ितों की भलाई को कमजोर कर सकती है। इस चुनौती का समाधान करने और पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रमों के निरंतर संचालन और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए स्थिर और स्थायी धन स्रोतों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रमों की उपयोगिता के विश्लेषणात्मक अध्ययन से अपराध पीड़ितों के लिए न्याय, निष्पक्षता और उपचार तक पहुंच को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम अपराध के वित्तीय, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिणामों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पीड़ितों को सहायता और निवारण के उपाय प्रदान करते हैं।

पीड़ितों के प्रतिकर कार्यक्रमों की उपयोगिता चिकित्सा खर्चों, परामर्श लागतों, खोई हुई मजदूरी और अन्य संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति करके पीड़ितों पर डाले गए वित्तीय बोझ को कम करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट है। वित्तीय सहायता प्रदान करके, ये कार्यक्रम पीड़ितों को स्थिरता हासिल करने और उत्पीड़न से उत्पन्न आर्थिक विषमताओं को कम करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रम यह सुनिश्चित करके न्याय तक पहुंच में योगदान देता है कि पीड़ितों की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में आवाज है। प्रतिकर कार्यक्रम पीड़ितों को उनके अधिकारों को पहचानने और उन्हें क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करके और उनकी पीड़ा के लिए स्वीकृति प्राप्त करके सशक्त बनाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, पीड़ितों को न्याय और बंद होने की भावना प्राप्त होती है, जो उनके समग्र उपचार और पुनर्प्राप्ति में सहायता करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- नागेल, जे., और स्वानेर, आर.। अपराध के पीड़ितों को प्रतिकर की उपयोगिता. पीड़ित एवं अपराधी, (2016), 181-206।
- गरौपा, एन., और विल्क, जे.। उत्पीड़न का एक सामान्य सिद्धांत. कानून और अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, (2005), 52-68.
- गैवरिलाइड्स, टी.। अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए पीड़ितों की भागीदारी और प्रतिकर पीड़ितों की स्थिति, राज्य की जिम्मेदारी और आईसीसी की भूमिका। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, (2015), 789-808।
- स्पॉन, सी., और हॉर्नो, जे.। बलात्कार कानून में सुधार और पीड़ित प्रतिकर निधि का विश्लेषण पुनरुत्पीड़न में एक स्वाभाविक प्रयोग। कानून एवं समाज समीक्षा, (2002), 131-164।
- मार्के, ई.आर.। महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पीड़ित प्रतिकर का प्रभाव। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, (2008), 786-803.
- मेस्को, जी., और शॉबर, सी.। पीड़ित प्रतिकर कार्यक्रमों के लक्ष्य और प्रभाव अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। विक्टिमोलॉजी की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, (2006), 53-75।
- शेइनिन, एम.। घोर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए मुआवज़ारु एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रांजिशनल जस्टिस, (2006), 338-358।
- नोल, ए.। मानवाधिकारों के हनन के लिए पीड़ित को मुआवज़ारु खमेर रुज परीक्षणों का मामला। जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस, (2011), 285-306।



11.

भारत में मृत्यु दंड की संवैधानिकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन**अभिषेक यादव**

विद्यार्थी, एल. एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर, माधव विधी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

डॉ. नीती पांडे,

प्राचार्य, माधव विधी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

मृत्युदंड प्राचीन काल से ही सजा देने का एक तरीका रहा है जो अपराधियों को खत्म करने के लिए प्रचलित है और जघन्य अपराधों के लिए सजा के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र दंड के निवारक और सुधारात्मक सिद्धांतों के संयोजन पर आधारित है। जहां अपराधियों में डर पैदा करने के लिए दंड दिया जाना चाहिए वहीं अपराधियों को सुधार का अवसर भी दिया जाना चाहिए। भारत में मौत की सजा को लेकर अलग-अलग राय रही है क्योंकि कुछ लोग सजा बरकरार रखने के पक्ष में हैं तो कुछ इसे खत्म करने के पक्ष में हैं। भारत उन 78 प्रतिधारणवादी देशों में से एक है जिसने इस आधार पर मृत्युदंड को बरकरार रखा कि यह केवल दुर्लभता मामलों में और विशेष कारणों से ही दिया जाएगा। हालांकि दुर्लभ से दुर्लभतम मामला या विशेष कारण क्या है, इसका उत्तर विधायक आया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। मृत्युदंड प्राचीन काल से ही सजा देने का एक तरीका रहा है जो अपराधियों को खत्म करने के लिए प्रचलित है और जघन्य अपराधों के लिए सजा के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र दंड के निवारक और सुधारात्मक सिद्धांतों के संयोजन पर आधारित है। जहां अपराधियों में डर पैदा करने के लिए दंड दिया जाना चाहिए वहीं अपराधियों को सुधार का अवसर भी दिया जाना चाहिए।

भारत में मौत की सजा को लेकर अलग-अलग राय रही है क्योंकि कुछ लोग सजा बरकरार रखने के पक्ष में हैं तो कुछ इसे खत्म करने के पक्ष में हैं। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचित किए जाने पर जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है उन्मूलनवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान स्वरूप में मौत की सजा नागरिक के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। ऐसे कई कानूनी विशेषज्ञ हैं जो यह तर्क देते हैं कि भारतीय आपराधिक कानूनों में मौत की सजा बरकरार रखने का तथ्य ही किसी के जीवन के अधिकार के विपरीत है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि ये विद्वान न्यायविद शायद इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि जीवन का अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है।

संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की घोषणा करता है जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब तक की समानता प्राप्त करने के लिए भेदभाव की आवश्यकता ना हो। समानता की अवधारणा को संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 14 की प्रतिध्वनि संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। ऐसा लगता है कि मृत्युदंड किसी के जीवन के अधिकार का विरोधी है। हालांकि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से मृत्युदंड को असंवैधानिक मानता हो।

मृत्युदंड का इतिहास

मृत्युदंड का प्रावधान मानव समाज में आदिम काल से लेकर आज तक उपस्थित है, किंतु इसके पीछे के कारणों और इसके निष्पादन के तरीकों में समय के साथ निरंतर बदलाव आता गया। मृत्युदंड का पहला उल्लेख ईसा पूर्व अठारहवीं सदी के हम्मुराबी की विधान संहिता में मिलता है जहाँ 25 प्रकार के अपराधों के लिये मृत्युदंड का

प्रावधान था। ईसा पूर्व चौदहवीं सदी की हिट्टाइट संहिता में भी इसका जिक्र है।

सातवीं शताब्दी ई.पू. में एथेंस के ड्रेकोनियन कोड में सभी अपराधों के लिये मृत्युदंड की ही व्यवस्था थी। पाँचवीं सदी के रोमन कानून में भी मृत्युदंड का विधान था। प्राचीन भारत में भी मृत्युदंड का प्रावधान उपस्थित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक पूरा अध्याय उन सभी अपराधों की सूची को समर्पित है जिनके लिये प्राणदंड या मृत्युदंड दिया जाना नियत था। मौर्य सम्राट अशोक ने पशुवध को तो तिरस्कृत किया, परंतु मृत्युदंड पर रोक नहीं लगाई। विदेशी यात्रियों के संस्मरणों से भी प्राचीन भारत में मृत्युदंड की उपस्थिति का पता चलता है। आधुनिक विश्व की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 101 देशों ने मृत्युदंड की व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 33 देश ऐसे भी हैं जहाँ पिछले दस वर्षों से एक भी मृत्युदंड नहीं दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ देश ऐसे हैं जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है। इनमें मुख्यतः चीन, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया शामिल हैं।

क्या मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिये?

यह एक प्रचलित अवधारणा है कि समय के साथ दंड विधान भी अधिक नरम होते जाते हैं और क्रूरतम प्रकृति की सजा क्रमशः चलन से बाहर हो जाती है। यह धारणा इस बुनियाद पर टिकी है कि मानव समाज निरंतर सभ्य होता जाता है और एक सभ्य समाज में ऐसा कोई कानून शेष नहीं रहना चाहिये जो उस सभ्यता के अनुकूल न हो। फाँसी की सजा को भी इसी कसौटी पर परखा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों ने अपने संविधान से मृत्युदंड को प्रावधान को समाप्त कर दिया है। विशेषज्ञों का मत है कि भारत को भी मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिये, क्योंकि इससे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो यह स्पष्ट करता हो कि अपराध को रोकने में मृत्युदंड आजीवन कारावास की अपेक्षा अधिक कारगर है। अतः मात्र कल्पनाओं के आधार पर मृत्युदंड को अधिक कठोर नहीं माना जा सकता। मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने से लेकर सजा दिये जाने तक की एक लंबी अवधि अपराधी के परिवार वालों के लिये भी यातनामय होती है। उनकी इस यातना के लिये कहीं-न-कहीं राज्य ही नैतिक रूप से ज़िम्मेदार होता है। एकत्रित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 60 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी और बाद में यह स्वीकार भी किया कि उनमें से 15 मामलों (25 प्रतिशत) में गलत निर्णय दिया गया है।

मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रयास

वर्ष 1931 में बिहार से निर्वाचित सदस्य बाबू गया प्रसाद सिंह द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड को समाप्त करने के लिये केंद्रीय विधानसभा में एक विधेयक पेश करने का प्रयास किया गया था। सभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और उसके एक दिन बाद ही 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को मृत्युदंड दे दिया गया।

इसके पश्चात् वर्ष 1931 में ही कराची में अपने सत्र में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मृत्युदंड को समाप्त करने की मांग की गई थी। वर्ष 1947 और 1949 के बीच संविधान सभा ने मृत्युदंड से संबंधित कई प्रश्नों पर विचार किया। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने सभा में मृत्युदंड की समाप्ति का समर्थन किया था। हालाँकि संविधान सभा ने यह निर्णय न्यायपालिका और संसद पर छोड़ दिया था।

मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को समय-समय पर कई मामलों में चुनौती दी गई।

गमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत फैसले से मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि मृत्युदंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं है। इस मामले में मौत की सजा की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है क्योंकि इसमें कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया कि सी आर पी सी के तहत निर्धारित प्रक्रिया केवल दोष सिद्ध करने और मृत्युदंड न देने तक ही सीमित थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा का चुनाव कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। यह देखा गया कि न्यायाधीश मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड पर लाए गए परिस्थितियों और तथ्यों और अपराध की प्रकृति के आधार पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास

के बीच चयन करता है।

एक अन्य मामले राजेंद्र प्रसाद बनाम यूपी राज्य 5 में ए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने सहानुभूतिपूर्वक जोर दिया कि मृत्युदंड अनुच्छेद 14 19 और 21 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि मृत्युदंड लगाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए।

- किसी मामले में मृत्युदंड देने के लिए विशेष कारण दर्ज किया जाना चाहिए।
- मृत्युदंड केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।

इस प्रश्न पर बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में फिर से विचार किया गया जिसमें 4 से 1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने राजेंद्र प्रसाद मामले में अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया। इसने विचार व्यक्त किया कि हत्या के लिए वैकल्पिक सजा के रूप में मृत्युदंड अनुचित नहीं है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 19 और 21 का उल्लंघन नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 4 द्वारा विचारित सार्वजनिक व्यवस्था कानून और अन्य कानूनों से अलग और केवल दुर्लभ मामलों में ही मृत्युदंड देने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। भगवती जे ने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में कहा कि मृत्युदंड न केवल अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक है बल्कि कई दृष्टिकोण से अवांछनीय भी है।

इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में उन परिस्थितियों की व्यापक रूपरेखा तय की जब मौत की सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति ठक्कर ने कहा कि पांच श्रेणियों के मामलों को अत्यधिक दंड के योग्य दुर्लभतम मामलों में से एक माना जा सकता है। वे हैं

- सबसे पहली श्रेणी हत्या करने का तरीका . जब हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा होए उदाहरण के लिए जब पीड़ित को जिंदा भूने के लिए उसके घर में आग लगा दी जाए जब शरीर को टुकड़ों में काट दिया जाए या पीड़ित को अमानवीय यातना दी जाए।
- दूसरा दूसरी श्रेणी . जब हत्या किसी ऐसे मकसद से की जाती है जो दुष्टता और नीचता को दर्शाता है। एक भाड़े का हत्यारा संपत्ति प्राप्त करने या किसी वार्ड की संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए की गई निर्मम हत्याएं या मातृभूमि के साथ विश्वासघात के लिए की गई हत्याएं।
- तीसरी श्रेणी अपराध की असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति . जहां एक अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है जिससेरु सामाजिक क्रोध उत्पन्न होता है या दहेज के लिए या पुनर्विवाह के लिए दुल्हन को जलाना।
- चौथी श्रेणी अपराध की भयावहता . अत्यधिक अनुपात के अपराध जैसे एक परिवार या किसी विशेष जाति समुदाय या इलाके के व्यक्तियों की कई हत्याएं।
- पांचवीं श्रेणी हत्या के शिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व

दीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में आईपीसी 1973 की धारा 354;5 के संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इस धारा द्वारा निर्धारित रस्सी से हमला करना बर्बर ए अमानवीय और अपमानजनक है और इसलिए कला का उल्लंघन है। 21 अदालत ने आईपीसी की धारा 354;5 कोए जो फ्रांसी को निष्पादन के तरीके के रूप में निर्धारित करती हैए अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर निष्पक्षए न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के रूप में माना और इसलिए संवैधानिक है।

शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बचन सिंह मामले में नियम की सीमाओं के भीतर मौत की सजा संवैधानिक रूप से वैध और स्वीकार्य है। इसे देश के कानून

के रूप में स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य में ए सर्वोच्च न्यायालय ने सकारात्मक रूप से कहा कि संविधान मृत्युदंड पर रोक नहीं लगाता है।

मिटू बनाम पंजाब राज्य में आईपीसी की धारा 12 एसएण्ड303 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द कर दिया गया था। क्योंकि धारा के तहत अपराध केवल मृत्युदंड के साथ दंडनीय था और न्यायपालिका को अपने विवेक का प्रयोग करने की शक्ति नहीं देता था और इस प्रकार एक अनुचित ए अन्यायपूर्ण और अनुचित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को अपने जीवन से वंचित करना पड़ता था। इस प्रकार संक्षेप में उपरोक्त उद्धृत मामले कानूनों के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि भारत में मृत्युदंड को संवैधानिक माना जाता है इसके बावजूद कि भारत में मृत्युदंड को समाप्त करने के कई विधायी प्रयास विफल रहे हैं और यह आज तक भारत में प्रचलित है जैसा कि अजमल आमिर कसाब के हालिया मामले से स्पष्ट है जिसे 2012 में फांसी दी गई थी।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

भारत में मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का बना रहना आवश्यक समझा जाता है। दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देश भारत को अस्थिर करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन की नीति भारत की आंतरिक व बाह्य दोनों सुरक्षा को खतरे में डालती है। इसीलिए विधि आयोग ने भी भारत में मृत्युदंड बने रहने का समर्थन किया है। उल्लेखनीय है कि मृत्युदंड की अकसर मांग उन देशों द्वारा उठाई जाती है, जिनके यहाँ आर्थिक समृद्धता अच्छी व आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की चुनौतियाँ लगभग नगण्य होती हैं।

किसी भी दण्ड के प्रभाव को इस आधार पर नहीं जाँचा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव अपराधियों पर कैसा है, बल्कि इसे जाँचने व परखने का आधार सम्पूर्ण समाज होना चाहिए अर्थात् यदि कोई दण्ड समाज की रक्षा करने व स्थिरता कायम करने में सक्षम है तो उसका व्यवस्था में बना रहना उचित है। जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को सुधार के नाम पर कठोर सजा (यथा— मृत्युदंड इत्यादि) से वंचित किया गया तो अपराध के प्रति समाज में भय कम व्याप्त होगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन की पवित्रता को तभी संरक्षित किया जा सकता है जब इसे अपवित्र करने वालों को आनुपातिक रूप से दण्डित किया जाये।

मृत्युदंड का प्रावधान प्रतिशोधात्मक न्याय पर आधारित नहीं है बल्कि यह समाज से घृणा दूर करने और समरसता व्याप्त करने का उपबन्ध करता है। संविधान में भी मौलिक अधिकारों (यथा—जीवन का अधिकार इत्यादि) को युक्ति—युक्त निर्बन्धन के साथ उपलब्ध कराया गया है। समाज के हितों को यदि लघुकालिक एवं दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित करना है तो बड़े—बड़े अपराधियों (शबनम और सलीम आदि) या फिर कई लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों (यथा—अजमल कसाब, याकूब मेनन आदि) को मृत्युदंड जैसी सजा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। कार्ल मार्क्स व कांट जैसे चिंतकों का भी मानना है कि किसी अपराध के पीछे व्यक्तिगत हित से अधिक सामाजिक हितों को वरीयता प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार, उपयोगितावादी दर्शन भी कहता है कि 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' तभी निर्धारित हो सकता है जब समाज अपराधीकरण से मुक्त हो।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य विद्वानों का मानना है कि मृत्युदंड, सजा के उद्देश्य को सही मायने में पूरा नहीं करता है, अतः इसे हटा देना चाहिए। मृत्युदंड के विपक्ष में उनके द्वारा कई तर्क दिये जाते हैं, जिनकी आगे चर्चा की गई है। किसी भी सभ्य समाज में सजा/दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधारने का होता है, इसलिए जब उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाता है तो सजा/दण्ड का उपर्युक्त उद्देश्य पूरा नहीं होता है और अपराधी के सुधारने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को जीवित रहने और यथोचित रूप से जीवन—यापन करने हेतु प्रकृति ने अनन्य अधिकार दिए हैं। जीवन के अधिकार का दर्शन कहता है कि यदि मनुष्य किसी को जीवन दे नहीं सकता है तो उसे जीवन को छीनने का भी अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार एक ही

रूप में छीना जा सकता है, जब आत्मरक्षा का सवाल हो, लेकिन राज्य द्वारा दिया गया मृत्युदंड आत्मरक्षा न होकर, एक प्रकार की सजा है।

न्याय का पुनर्विचार का सिद्धान्त कहता है कि न्यायालय या अन्य के द्वारा उपलब्ध कराया गया निर्णय अपने आप में अंतिम नहीं होता है, उसमें हमेशा व्याख्या एवं सुधार की गुंजाइश बनी रहती है।

कुछ विद्वान मृत्युदंड को प्रतिशोधात्मक न्याय (त्मजतपइनजपअम श्रनेजपबम) की संज्ञा देते हैं और अपराध पर अकुश लगाने की इसकी प्रभावशीलता को संदेहात्मक मानते हैं। अभी तक ऐसे कोई भी आँकड़े या तथ्य उपलब्ध नहीं हैं जो यह सिद्ध करते हों कि मृत्युदंड जैसे कठोर सजा के प्रावधानों ने समाज में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को कुंद किया हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 'जीवन के अधिकार' की गारण्टी देता है। जीवन का अधिकार, अन्य सभी मानवाधिकारों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है अर्थात् यह सभी अधिकारों को आधार प्रदान करता है। दूसरी ओर दण्ड के सुधारात्मक सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि मृत्युदंड की व्यवस्था 'जीवन के अधिकार' को समाप्त करने के साथ-साथ मानवीय गरिमा को भी क्षति पहुँचाता है और किसी अपराधी को सुधारने के अवसर से वंचित कर देता है।

अभी तक किसी भी अध्ययन से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास से अधिक प्रभावशाली है और यह हत्या, आतंकवाद, यौन हिंसा एवं अन्य जघन्य अपराधों को रोकने में सक्षम रहा है। भारत के संदर्भ में देखा गया है कि मृत्युदंड से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब व पिछड़े लोग हुए हैं। अधिकतर सरकार की ओर से कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले कैदियों को मृत्युदंड की सजा मिलती है, जबकि इसके विपरीत धनवान व निजी वकीलों की फौज रखने वाले लोगों को न के बराबर मृत्युदंड मिला है। मृत्युदंड को निष्पक्ष या तर्कसंगत रूप से नियंत्रित करना लगभग असम्भव है। विभिन्न न्यायाधीशों ने अपनी विचारधारा के अनुसार ही मृत्युदंड पर निर्णय लिया है। यही कारण है कि प्रति एक लाख हत्या के केसों में सिर्फ 5-2 मामलों पर ही मृत्युदंड की सजा पर मुहर लगाई गई है। विभिन्न राष्ट्रपतियों ने भी अपनी विचारधारा के अनुसार ही दया याचिकाओं पर निर्णय लिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृत्युदंड के संबंध में भारत में कोई स्पष्ट नीति न होकर विभिन्न न्यायाधीश व राष्ट्रपतियों की इच्छा पर निर्भर करती है और ऐसे संवेदनशील मामले में विषयनिष्ठता का होना अनुचित है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का मृत्युदंड पर दृष्टिकोण

अधिकांश देशों ने मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है और कुछ देश इस दिशा में प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कहा गया है कि 'मृत्युदंड के निवारक मूल्य का कोई निर्णायक सबूत नहीं है'। संयुक्त राष्ट्र की महासभा (जनरल एसेम्बली) ने सन् 2007, 2008, 2010, 2012 और 2014 में मृत्युदंड के सिद्धान्त के विपरीत गैर बाध्यकारी संकल्पों को पारित किया और सदस्य देशों से आह्वान किया कि वह अपने यहाँ इस तरह की कठोर सजा के कानूनी प्रावधानों का उन्मूलन करें। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, लेकिन दुनिया की 60 प्रतिशत से भी अधिक आबादी उन देशों में रह रही हैं, जहाँ मौत की सजा अभी भी बरकरार है, यथा— चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान इत्यादि।

मृत्युदंड पर भारतीय परिदृश्य

हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत, न्यायाधीश मौत की सजा और आजीवन कारावास के बीच चयन कर सकते हैं यानि मृत्युदंड का निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है। 1980 में 'बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य' के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मौत की सजा की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि मृत्युदंड को 'दुर्लभतम' (लैटिमेज विल्लिम) मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जिसमें हत्या, राजद्रोह एवं अन्य जघन्य अपराध हो सकते हैं। दिसम्बर 2012 में दिल्ली में एक युवती के सामूहिक बलात्कार के बाद सन् 2013 में 'भारतीय दंड संहिता' में संशोधन किया गया, जिसमें जघन्य रूप से बलात्कार करने वाले बालिग एवं नाबालिग दोनों के लिए फाँसी का प्रावधान किया गया। विधि आयोग ने सन् 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि

भारत में मृत्युदंड की सजा की नीति उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पायी है। यह कई बार न्यायाधीशों के द्वारा मनमाने एवं गलत तरीके से लागू की गई है। वर्तमान में भारत में 'पॉक्सो कानून, 2012' और आईपीसी में संशोधन करके 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

हमें यह समझना होगा कि व्यावहारिक तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित नहीं की जा सकती जो कि मृत्युदंड से जुड़े सभी नैतिक प्रश्नों का समाधान कर दे। खासकर तौर पर ऐसे देशों में जो गंभीर किस्म के आतंकवाद और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हों। मौजूदा दौर में यह सहमति बनने लगी है कि यदि मृत्युदंड देना ही हो तो कम-से-कम पीड़ा के साथ दिया जाना चाहिये। इस संदर्भ में कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन जैसी गैसों या लेथल इंजेक्शंस के प्रयोग पर विचार किया जा सकता है। अंततः महात्मा गांधी ने कहा है कि 'नफरत अपराधी से नहीं, अपराध से होनी चाहिये'।

संदर्भ

- "बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 9 मई 1980"। भारतीय कानून.
- "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 377"। भारतीय कानून.
- ^ "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 397"। भारतीय कानून.
- ^ "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 401"। भारतीय कानून.
- ^ "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 367"। भारतीय कानून.
- ^ "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 407"। भारतीय कानून.
- ^ "भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 136"। भारतीय कानून
- "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 354"। भारतीय कानून. 7 अक्टूबर 2020 को पुनःप्राप्त.

<https://lawcommissionofindia.nic.in/reports/>

<https://www.livelaw.in/columns/death-penalty-article-of-14-criminal-procedure-code-crime-and-the-criminality-test-bachan-singh-supreme-court-207070>

<https://www.livelaw.in/top-stories/death-penalty-executions-in-india-post-2000-before-nirbhaya-case-154115>

http://164.100.47.193/Refinput/New_Reference_Notes/English/CAPITAL_PUNISHMENT_IN_INDIA.pdf

<https://thelawbrigade.com/wp-content/uploads/2020/06/Ishaan-IJLDAI.pdf>

<https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/Indias-Capital-Punishment-An-Inefficacious-Exercise-or-a-Vindictive-Move.pdf>

<https://www.juscorpus.com/wp-content/uploads/2021/10/51.-Sanskar-Vanshaj.pdf>



12.

विधिक शोध के अंतर्गत केस स्टडी की उपयोगिता

सुदामा शाक्य

छात्र एल.एल.एम. सेकेण्ड सेम

माधवविधि महाविद्यालय ग्वालियर

सार— केस स्टडी वि'लेषण के माध्यम से किसी भी वि'षय श्रेणी के अपराधों के संबंध में पूर्व में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अपनाए गए प्रभावी तरीको एव साथ ही की गई भूलो का तार्किक अध्ययन करते हुए उसी श्रेणी के अन्य अपराधों के प्रभावी अनुसंधान हेतु चेक लिस्ट आधारित माध्यमों का निर्धारण किया जाना संभव है।

परिचय (Introduction) — प्रत्येक अनुसंधान किसी प्र'नयात समस्या को लेकर प्रारंभ किया जाता है। सामान्य अर्थ में अनुसंधान का अर्थ ससूचनाओं एवं साक्ष्यों को इस संवर्ग में एकत्रित करने से है कि कोई उपकल्पना सत्य है या असत्य है अनुसंधान वास्तव में एक अन्वेषण है। जिसके द्वारा किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है या उन पुराने सिद्धांतों में कुछ नये सिद्धांत जोड़े जाते हैं। अनुसंधान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो समस्या के चयन एवं पहचान और उसके समाधान का कार्य करता है। विधि के अध्ययन में विधिक अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है। यह पद्धति विधि विषय के शोधार्थियों विद्यार्थियों अधिवक्ताओं एवं न्यायाधी'नों के लिए मार्गदर्'न का कार्य करती है।

प्रस्तावना — अनुसंधान एक सतत् प्रक्रिया है अनुसंधान चाहे सामाजिक विज्ञान में हो, प्राकृतिक विज्ञान में हो या फिर विधि विज्ञान में, अनुसंधान का उद्दे'य समस्या का समाधान है, चाहे वह नौकरी पाने के लिए या फिर सामाजिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक या नैतिकता के उच्च आदर्'न स्थापित करने के लिए हो। जैसे तो शैक्षणिक संस्थाओं तथा इससे इधर सभी क्षेत्रों में अनुसंधान किये जा रहे हैं। परन्तु अनुसंधान का जो अति आव'यक तत्व अनुसंधान पद्धति विज्ञान है उसकी ओर अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह है कि अनुसंधान निष्कर्ष शब्दाम्बार एवं क्वेटे'न से भरे रहते हैं। इससे अनुसंधान अधिक उपयोगी नहीं रह पाता है। योजना एवं विकास के लिए अनुसंधान गुणात्मक होना चाहिए गणनात्मक नहीं। अतः आव'यक यह है कि अनुसंधान की गुणात्मक के लिए उपयुक्त पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। पद्धति समस्या की प्रकृति एवं उद्दे'य के अनुसार बदलती रहती है लेकिन अनुसंधान में उसका मौलिक दृष्टिकोण वही रहती है।

केस स्टडी क्या है— एमी वाटसन ने अपने समाज'शास्त्र शब्द कोष में केस स्टडी पद्धति को परिभाषित करते हुये लिखा है कि जब हम किसी इकाई को उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो केस स्टडी कर रहे हैं केस स्टडी में हम उस चयनित इकाई को एक वि'षय प्रकार से सतत् अनुभवों का एक श्रृंखलाबद्ध आकार प्रस्तुत करते हैं। इस पद्धति के बारे में लोगों का विचार यह है कि यह एक प्राचीन पद्धति है। बरनार्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सर्वप्रथम इस का उपयोग अनुमान द्वारा किसी नवीन उपकल्पना पर संकुचन की अपेक्षा प्रस्तावना एवं मत को समझने व समर्थन करने के लिये किया गया था। (Bernal L.L the development of methods in sociology 1928. P 306)

केस स्टडी के होते हैं आमतौर पर स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान में उपयोग की जाने वाली एक शोध पद्धतिया तकनीक जो एक खोज और जांच प्रक्रिया की आव'यकता के साथ-साथ एक का कई मामलों के व्यवस्थित वि'लेषण की वि'षयता है।

अधिक सटीक होने के लिए मामले से हम उन सभी परिस्थितियों स्थितियों का वि'ौष्ट घटनाओ को समझते हैं जिनसे अनुसंधान की दुनिया के भीतर अधिक जानकारी की आव'यकता होती है या किसी प्रकार के हित के लाभ होते हैं।

शोध के क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें इसे किया जाता है केस स्टडी विभिन्न विषयों या मुद्दों पर केन्द्रित हो सकती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह आमतौर पर उन लोगों के अध्ययन के माध्यम से बीमारियों, विकारों या मानसिक विकारों की जांच से संबंधित है जो उनसे पीड़ित हैं।

अन्य प्रकार के अनुभव जन्म अनुसंधान के विपरीत इस पद्धति की गुणात्मक शोध तकनीक माना जाता है चूंकि इस का विकास किसी घटना के सम्पूर्ण अध्ययन पर केन्द्रित है और मौजूदा आंकड़ों के सांख्यिकीय वि'लेषण में नहीं।

(A) केस स्टडी की उपयोगिता –

- (i) इससे छात्रों में अधिगम अधिक प्रभाव'गाली होता है। जिससे छात्रों में योग्यता तथा अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है।
- (ii) इससे छात्रों में धारण शक्ति का विकास होता है क्योंकि जो तथ्य निकाले जाते हैं उन्हें छात्र स्वयं निकालता है।
- (iii) इससे छात्रों के उपलब्धी स्तर में वृद्धि होती है जो अध्ययन के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति का विकास करती है।
- (iv) इससे छात्रों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास होता है।
- (v) विभिन्न मानसिक स्तर के छात्रों को उनके ढंग से सीखने का अवसर मिलता है।
- (vi) बहुस्तरीय ि'क्षण में भी सहायता मिलती है।

(B)

- (i) वैध प्राक्कल्पना का स्रोत
- (ii) अध्ययन संयंत्रों के निर्माण में सहायक
- (iii) समस्त अध्ययन विधियों का उपयोग
- (iv) वर्गीकरण में सहायक
- (v) विरोधी इकाइयों का ज्ञान
- (vi) दीर्घ प्रक्रिया का अध्ययन
- (vii) व्यक्तित्व का अध्ययन
- (viii) व्यापक अनुभव
- (ix) गहन विस्तृत तथा सम्पूर्ण अध्ययन प्रारम्भिक अध्ययन में उपयोगी

(C) निश्कर्ष में पहुंचने में केस स्टडी का योगदान – केस स्टडी वि'लेषण के माध्यम से किसी भी वि'ौष श्रेणी के अपराधों के संबंध में पूर्व में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा अपनाए गए प्रभावी तरीकों एवं साथ ही की गई भूलों

का तार्किक अध्ययन करते हुए उसी श्रेणी के अन्य अपराधों के प्रभावी अनुसंधान हेतु चेक लिस्ट आधारित माध्यमों का निर्धारण किया जाना संभव है।

(3) कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडी एवं उनमें कुछ प्रतिपादित सिद्धांत—

- (i) R v/s prince [(1875) L. R. 2 CCR 154]
- (ii) R v/s Tolson [(1889) 23 q. B.D. 168] CCR
- (iii) Sherras v/s De Rultzen [(1895) 1 QB 918]
- (iv) Candy v/s Le Cocq [(1884) 13 QBD 207]
- (v) Ouseph thommen v/s Joseph antong (1957 Gi Lj 166)
- (vi) इन रि गांगापतिया पिल्लई एन.आई.आर. 1953 मद्रास 939
- (vii) एअर इण्डिया बनाम इण्डियन एआर लाइंस (1981), एस.सी.सी. 85
- (viii) एअर इण्डिया बनाम नरगे'गे मिर्जा. ए.आई.आर. 1981 सु.को. 1829
- (ix) एडवर्ड मिल बनाम अजमेर 1995 (1) एस.सी.आर. 735
- (x) डेन बनाम राज्य ए.आई.आर. 1968 मद्रास 355

निष्कर्ष – केस स्टडी से तात्पर्य है किसी भी वस्तु, स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना। इस का बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का सम्पूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है।

विद्यार्थी स्वतंत्र होकर स्वयं ही सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकेंगे। वे समस्या समाधान (problem based learning) तक पहुंचने में सक्रिय हो सकेंगे। वे अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रमाणों को संग्रह कर सकेंगे। घटना क्रम में नवीन तथ्यों को जान सकेंगे।

संदर्भ सूची –

- (1) विधिक अनुसंधान पद्धति का ज्ञान (लेखक—एच.एन.गिरी)
- (2) विधिक शिक्षा एवं अनुसंधान पद्धति लेखक डॉ. फरहत खान



13.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा चुनौतियाँ**डॉ. ममता मिश्रा**

ऐसोसियेट, प्रोफेसर, माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

पूजा मांझी

एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष), माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

सार-

यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक न्यायाधीश कानून द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामलों का निर्णय कर सके। न्यायिक निर्णयों के आधार पर प्रासंगिक तथ्य एवं कानून बनाये जाने चाहिये। इस प्रकार न्यायाधीश अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकते हैं। सरकार की नई नीतियों से अपने नागरिकों और राज्यों के प्रति न्यायपालिका की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिये नागरिकों को सरकार के गैरकानूनी कृत्य से बचाने के लिये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। न्यायपालिका की मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना और कानून को सर्वोच्च सुनिश्चित करना है न्यायपालिका द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से एक लोकतंत्र में स्थिरता बनाए रखना है और कोई इसे तानाशाही में नहीं बदल सकता है तो इन सबके लिए न्यायपालिका को सभी राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिये।

बीजशब्द- ऐतिहासिक पहलू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता एवं महत्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य, न्यायिक स्वतंत्रता एवं चुनौतियाँ।

ऐतिहासिक पहलू-

भारत में लंबे समय तक ब्रिटिश शासन और नवगठित लोकतंत्र के कारण मन में हमेशा यह चिंता और विचार रहता था कि भारत में न्यायपालिका कैसे करें। इसलिये एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा 1701 में समझौता अधिनियम के तहत इंग्लैण्ड और वेल्स से आई थी। इस कानून ने औपचारिक रूप से यह स्थापित करके न्यायिक कार्यकाल की सुरक्षा के सिद्धांतों को मान्यता दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लॉर्ड्स जस्टिस ऑफ अपील अच्छे व्यवहार के दौरान पद पर बने रहेंगे।

1701 से पहले वरिष्ठ अधिकारी संप्रभुत इच्छा पर संभालते थे लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहाँ न्यायाधी राजा या रानी की इच्छा के अनुसार विवादों को हल करने में विफल रहे थे। अतः न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिये रानी सहमत हो गये। ब्रिटेन में न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित किसी भी गैरकानूनी कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। लेकिन भारत और अमेरिका में न्यायपालिका

को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। वे उस कानून को शून्य या असंवैधानिक करार देकर रद्द भी कर सकते हैं।

भारत में, यदि कोई कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास उसे अमान्य घोषित करने की शक्ति है। न्यायिक स्वतंत्रता कानून के शासन और लोकतंत्र की नींव के रूप में कार्य करती है। इसे स्वतंत्र न्यायपालिका लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है जिससे सभी को समान सुरक्षा मिलती है। न्यायपालिका जो स्वभाव से स्वतंत्र है, राष्ट्र में स्थिर लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित कर सकती है। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा व्यक्तियों की मांगों और समाज के मादण्डों के बीच संतुलन बना रहेगा।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ-

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचाए ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करे और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ है। इसमें तीन आवश्यक शर्तें निहित हैं:-

1. न्यायपालिका को सरकार के अन्य दो अंगों- विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सकें।
2. सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करें।
3. न्यायधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के लिए जबाबदेह है।

संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवादों के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व कार्यपालिका पर ही होता है। इसके साथ-साथ उस परमूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिये न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई नई अवधारणा नहीं है लेकिन इसका अर्थ अभी भी स्पष्ट नहीं है अवधारणा का प्रारंभिक और केंद्रीय बिंदु स्पष्ट रूप से शक्तियों का प्रयत्न है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता एवं महत्व-

एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये एह रक्षात्मक दीवार के रूप में खड़ी हो सकती है और बिना किसी डर या पक्षपात के समान्य न्याय प्रदान कर सकती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की अनिवार्य शर्त है। न्यायपालिका संविधान की रक्षक है और उसके पास संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की शक्ति है यदि उसे लगता है कि ये असंवैधानिक हैं। साथ ही कानून का शासन कायम करने के लिये न्यायिक स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है।

न्यायपालिका के कार्यों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि न्यायपालिका को स्वायत्त एवं स्वतंत्र बनाया जाये। यदि संप्रभु नहीं होगी तो वह सरकार के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकेगी और मालिक अधिकारों तथा संविधान की रक्षा नहीं कर सकेगी। आज सभी लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका को लोगों की स्वतंत्रता के साथ-साथ संविधान का भी संरक्षक माना जाता है। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र या आजाद नहीं है और लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उद्देश्य-

न्यायपालिका की स्वतंत्रता अपरिहार्य है लोकतंत्र का लोकतांत्रिक राजनीति में, राज्य की सर्वोच्च शक्ति तीन प्रमुख अंगों के बीच सौंपा गया संवैधानिक कार्य अन्य पदाधिकारियों, विधायिका और कार्यपालिका से किसी भी तरह से कम नहीं है। वास्तव में संवैधानिक संदेश को आगे बढ़ाना। न्यायपालिका की भूमिका है और संवैधानिक पदाधिकारियों के अत्यधिक अधिकार की जाँच करके संविधान के आदेशों, निर्देशों और अनिवार्य आदेशों के अनुसार लोकतंत्र के कामकाज पर सतर्क नजर रखना उसकी जिम्मेदारी है। हमारा शक्तियों के प्रयत्न के सिद्धांत का कड़ाई से पालन नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिये शक्ति के वितरण का प्रावधान कता है कि सरकार का एक अंग अन्य अंगों की संवैधानिक शक्तियों पर प्रभाव न डाले। शक्तियों के वितरण की अवधारणा बाहरी और आंतरिक दबावों से मुक्त न्यायिक प्रणाली के अस्तित्व को मानती है। हमारे संविधान के तहत, न्यायपालिका को हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाये रखने का कठिन कार्य सौंपा गया है। शायद सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है किसी भी कानून की संवैधानिकता की जाँच करने की सर्वोच्च न्यायालय या (उच्च न्यायालय) की शक्ति यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कानून संविधान के प्रावधानों के साथ असंगत है, तो ऐसे कानून को असंवैधानिक और अनुपयुक्त घोषित किया जाता है। न्यायिक समीक्षा शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। हाँलाकि तथ्य यह है कि भारत के पास एक लिखित संविधान है और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाने वाले कानून को रद्द कर सकता है, यह परोक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। रिट शक्तियाँ और न्यायालय की समीक्षा मिलकर न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाते हैं। विशेष रूप से समीक्षा शक्ति का अर्थ है कि न्यायपालिका संविधान और विधायिका द्वारा पारित कानूनों की व्याख्या कर सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सुविधा न्यायपालिका को संविधान की प्रभावी ढंग से रक्षा करने और नागरिकों की रक्षा करने भी सक्षम बनाती है। जनहित याचिकाओं पर विचार करने की प्रथा ने नागरिकों के अधिकार की रक्षा में न्यायपालिका की शक्तियों को और बढ़ा दिया है।

चूँकि अदालतों को संविधान और कानूनों को बनाये रखने का कर्तव्य सौंपा गया है, इसलिए जब राज्य आदेशों को लागू करने की कोशिश करता है तो अक्सर उसका टकराव होता है। इसलिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता है जो उत्कृष्ट गुणवत्ता और चरित्र वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित हो, जिसमें साहस और दृढ़ संकल्प और संकल्प निष्पक्षता और स्वतंत्रता हो तो बिना किसी भय या पक्षपात, दुर्भावना या स्नेह के न्याय प्रदान करें, यह हमारे संविधान का सौहाद्रपूर्ण सिद्धांत है इस महान

देश के लोगों को प्रत्येक न्यायाधीश का गंभीर आश्वासन। न्यायपालिका केवल दर्शक या दर्शक बनकर नहीं रह सकती, बल्कि उसे न्यायिक प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदारी बनना चाहिये और एक सक्रिय लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक न्याय की सेवा में कानून का उपयोग करने के लिये तैयार होना चाहिये।

भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता-

एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की संरक्षिका हो सकती है तथा बिना भय तथा पक्षपात के सबको समान न्याय प्रदान कर सकती है- हालांकि भारत में, संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्रता संविधान के विभिन्न प्रावधानों के पक्षों में निहित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के विभिन्न प्रावधानों के पक्षों में निहित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन संविधान की बुनियादी विशेषताएँ हैं और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है।

संवैधानिक उपबंध-

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं-

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद व विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है।
2. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताएँ व अनुभव दिये गये हैं।
3. न्यायपालिका अपने वेतन, भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। उनके खर्चों से सम्बन्धित बिल पर बहस और मतदान नहीं होता।
4. न्यायाधीशों का सेवाकाल लम्बा व सुनिश्चित होता है यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है परन्तु महाभियोग की प्रक्रिया काफी लम्बी व मुश्किल होती है।
5. न्यायाधीशों के कार्यों व निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती।
6. जो न्यायालय की तथा इसके निर्णयों की अवमानना करते हैं न्यायालय उन्हें दण्डित कर सकता है।
7. न्यायलया के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)

वर्ष 1981 के एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में उत्तम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि उन्हें शासन के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए।

विधि का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत है जो वास्तविक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करने, एक गतिशील अवधारणा के रूप में कानून के शासन को बनाए रखने और समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है।

लोकनाथ तोलाराम बनाम बी.एन. रंगमानी (1975) एस.सी. 297

न्यायाधीश स्थानांतरण के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का 'आधारभूत ढाँचा' है।

केस : सब कमेटी ऑन ज्यूडिशियन बनाम भारत संघ और अन्य (1991 AIR 1598)

इस मामले में कहा गया कि अनु. 121 एक सामान्य नियम है जिसे संसद में SC या HC के न्यायाधीश के आचरण के बारे में चर्चा को रोकने के लिये बनाया गया है।

केस : ओम प्रकाश जायसवाल बनाम डी.के. मित्तल (1991 AIR 1598)

एक स्वतंत्रता न्यायपालिका की उपलब्धता और ऐसा माहौल जिसमें न्यायाधीश समाज में सभ्यता के अस्तित्व के स्रोत में स्वतंत्र और निडर होकर कार्य कर सके तथा न्यायालय द्वारा जारी रिट का पालन किया जाना चाहिए।

न्यायिक स्वतंत्रता एवं चुनौतियाँ-

उच्चतम न्यायालय की स्थिति बहुत मजबूत है और इससे उसकी स्वतंत्रता पर्याप्त रूप से संरक्षित है लेकिन कुछ ऐसे नुकसानदायक प्रवृत्तियाँ हैं जो इसकी स्वतंत्रता को आघात पहुँचा रही हैं:-

1. सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की प्रतिनियुक्ति।
2. न्यायाधीशों की न्यायालय में नियुक्ति और स्थानांतरण में राजनीतिक प्रभाव।
3. वार्दों का लंबित होना।
4. न्यायाधीशों की न्यायालय में नियुक्ति और स्थानांतरण में राजनीतिक प्रभाव।
5. न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप।
6. पदच्युती की प्रक्रिया की प्रभावहीनता।
7. न्यायाधीशों पर हमले।

निष्कर्ष-

न्यायालयों ने हमेशा न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया और हमेशा कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल विशेषता है। न्यायालयों ने ऐसा इसलिये कहा है कि क्योंकि संविधान के सुचारु कामकाज और कानून के शासन पर आधारित लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्व शत है।

संदर्भ-

- <https://www.legalserviceindia.com>
- <https://www.legalserviceindia.com>
- **Error! Hyperlink reference not valid.**
- <https://kanoonmitra.com>
- <https://www.scotbuzz.org>
- <https://studoco.com.in>
- <https://studoco.com.in>
- <https://hiquora.com>
- <https://www.kanoon.mitra.com>
- <https://www.legalserviceindia.com>



14.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का समाज में प्रभाव का अध्ययन

भारतेन्दु चौधरी

सहायक प्राध्यापक, माधव विधि महाविद्यालय ग्वालियर

रागनी अहिरवार

शोधार्थी एलएलएम चतुर्थ सेमेस्टर

सारांश: विश्व के प्रत्येक भूभाग पर कुछ समुद्र पिछड़े होने के नाते अधिकार हीनता की स्थिति में रहते आए हैं भारत में यह समस्या एक अंगूठे के रूप में रही है जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर अस्तित्व में आई चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चारों वर्णों को वरीयता क्रम में रखा गया और शुद्र बर्द को निम्नतम माना गया बाद में भारतीय समाज में अनेक जातियां बनी लेकिन प्रत्येक जाति इनमे से किसी ना किसी वर्ड में शामिल की गई सूत्र वर्ण में शामिल जातियों को ना सिर्फ व्यवहार में बल्कि धर्म शास्त्रों में भी योग्यताओं का पात्र बनाया गया मनुस्मृति को ध्यान स्मृती और पुराणों में उन्हें अस्पृश्यता के अलावा धार्मिक उपदेश ना सुन पाने के योग्य बताया है और ऊंचे बड़ों के व्यवसाय को के व्यवसाय ना कर पाने की योग्य बताया है यहां तक कि तत्कालीन न्याय व्यवस्था में भी इस वर्ग के लोगों का स्थान उच्च वर्ग के लोगों से नीचे माना गया चाहे वह पीड़ित रहा है या गवाह या अभियुक्त ऐसी पक्षपात पूर्ण व्यवस्था आज तक भी भारत में चली आ रही है इसलिए इस वर्ग के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने जरूरी हैं

परिचय : अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में मानव द्वारा उत्पीड़न व शोषण एवं सामाजिक यथार्थ के रूप में भारतीय प्राचीन काल से चला आ रहा है। विद्यमान भारतीय समाज में व्यक्ति इस कुप्रथा में सुधार यद्यपि आधुनिक काल में कुछ प्रयास अवश्य किये गये हैं। जैसे कि गाँधी जी द्वारा, बी. आर. अम्बेडकर जी, बी. आर. शिन्दे, ई.बी. रामास्वामी नयाकार एवं ज्योतिषा फुले को याद किया जाता है। स्वतंत्रता की पहली किरण के साथ स्वतंत्रता भारत के संविधान में जातिगत वर्गीकृत विषमताओं को दूर करने हेतु संरक्षण प्रदान किया गया। भारत के संविधान अनुच्छेद 17 द्वारा अदृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 366,341, एवं 342 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया। संसद द्वारा अदृश्यता अधिनियम पारित किया गया, संशोधन अधिनियम के माध्यम उक्त अधिनियम में परिवर्तन किया गया। इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 सन् अधिनियम संख्या 22 का नाम दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (सन 1989 का अधिनियम संख्या 33) दिनांक 11 सितम्बर 1989 का 1989 पारित किया गया। यह अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से बचाना है। अतः अधिनियम 2015 में संसोधन कर इसके प्रावधानों को कठोर बनाया गया है। इसमें पाँच अध्याय और 23 धारा है।

अर्थ एवं परिभाषा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 2 (क) में अत्याचार से धारा 3 के अधिनियम दण्डनीय अपराध प्रेरित है।

पूर्व की स्थिति 1989 के पहले और बाद की स्थिति : भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। और इनके रहन सहन तौर तरीक विभिन्न-विभिन्न रहे हैं। आदिमियों जनजातियों का जीवन अन्य समाजों के प्रचलित मान्यता और तरीकों

से बिल्कुल ही अलग पाया जाता है। भारत में पूर्वोत्तर राज्य असम लगाईड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान, उत्तरप्रदेश आंध्रप्रदेश, छत्तसीगढ़, मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में जातियाँ पाई गई व राज्य केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार दीप आदि ऐसे राज्य है जिनमें अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ प्रमुख निवास करती है।

भारत में पायी जाने वाली जनजातियाँ प्रमुख रूप से गौद बिल या मुड़ा सहरिया करिया, परकामाली देवेन्द्र जनजातियाँ है। पहले जातियों द्वारा मुनष्य की सामाजिक या मूलभूत आवश्यक रहन-सहन, जैसे रोटी कपड़ा, मकान, शिक्षा मजदूरी, भूखमरी के हालातों में एवं हत्या के मामलों में, माहिला के प्रति बलात्कार लूटकर हत्या, एवं सामाजिक रहन-सहन क्रियाकलाप द्वारा जैसे आधारभूत सुविधाओं से वर्जित रखा गया है, एवं उनपे अत्याचार किये गये है।

परंपरागत पेशो को छोड़ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को पहले यह अधिकार नहीं था कि वह ऊंची जातियों के पेशो को स्वतंत्रता पूर्वक चुन सकें अस्पृश्यता की धारणा के कारण कुछ समय पूर्व तक उन्हें हर तरह के पेशों को करने की छूट ना थी ग्रामीण समुदाय में आज भी स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है इसने योग्यता के कारण इन जातियों को आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दयनीय है और निर्धनता संबंधित सभी कष्टों को झेल रहे हैं एवं इन्हें धार्मिक स्थलों में भाग नहीं लेने दिया जाता था एवं इनको अछूत समझा जाता था।

बाद की स्थिति: अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ द्वारा किये गये बाद की स्थिति में बताया गया है। संवैधानिक विज्ञानिकों और प्रशासनिक उपायों तथा प्रावधानों की चर्चा की गई एवं समाज में भारतीय संविधान में मूल्य अधिकार, निति निर्देशक तत्व एवं अन्य अधिकारों में अधिकार दिया गया है। जो निम्नलिखित है।

अनुच्छेद - 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध

अनुच्छेद - 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता

अनुच्छेद- 17 अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद - 244 अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन

अनुच्छेद - 338 अनुसूचित जनजातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग

अनुच्छेद - 341 अनुसूचित जातियाँ एवं अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ

अत्याचार निवारण हेतु सामाजिक प्रावधानों के प्रभाव: भारत के स्वाधीन होने के पश्चात अनुसूचित जातियों को अन्य नागरिकों की भांति अधिकार दे दिये गये है। यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इन जातियों की वैधानिक निर्योग्यताएँ आज दूर हो गयी है। फिर भी वे लोग अनेक प्रकार की समस्याएँ से आज भी घिरे हुये हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ के प्रभाव जो निम्न है।

1. सामाजिक प्रभाव : इसमें संदेह नहीं है कि आर्थिक वृद्धि किसी भी समूह के सुख एवं प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिये कहा जाता है कि राजनीतिक व आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक द्वारा अनुसूचित जातियों की सामाजिक क्षेत्र में भी काफी निर्योग्यताएँ हैं जिसके कारण उनकी समस्याएँ गंभीर ही नहीं बल्कि दण्डनीय भी है। जो निम्न है।

(क) शिक्षा संबंधी : अनुसूचित जातियों एवं जनजाति के बच्चों को पहले स्कूल व कॉलेजों में प्रवेश करने से रोका जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। एवं इन जातियों में शिक्षा का अधिक प्रसार नहीं था।

(ख) समाज में निम्नतम स्थिति: अस्पृश्यता की धारणा ने अनुसूचित जातियों को समाज में निम्नतम स्थिति प्रदान की इसलिये ऊंची जातियों के लोगों द्वारा उनके स्पर्श को ही केवल बुरा नहीं समझा जाता है वरन् उनके दर्शन एवं छाया को भी अपवित्र समझा जाता था।

(ग) निवास स्थान द्वारा : अनुसूचित जातियों को प्रायः शहरों में भी उन मोहल्लों में रहने नहीं दिया जाता था। जिनमें ऊँची जातियों के लोग बस्तियों में रहते थे। और गांव में भी यह समस्या और भी कटु है अछूतों को प्रायः गांव में रहने नहीं दिया जाता था। गांव के बाहर उनकी बस्ती अलग होती थी।

2. आर्थिक प्रभाव : आर्थिक वृद्धि किसी भी समुह के सुख एवं प्रगति का सबसे प्रमुख कारण है और इसलिये कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना केवल एक कल्पना मात्र है, जो परम्परागत पेशों को छोड़कर अनुसूचित जातियों को पहले यह अधिकार नहीं था कि वे ऊँची जातियों के स्वतंत्रता पूर्वक के अधिकारों को चुन सकें। अस्पृश्यता की धारणा के कारण कुछ समय पूर्व तक में हर तरह के पेशे की छूट नहीं थी एवं ग्रामीण समुदाय में आज भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस निर्योग्यता के कारण इन जातियों की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत दण्डनीय है और वे निर्धनता संबंधी सभी कष्टों को जेल रही है। जैसे - भूमिहीन कृषक, श्रम विभाजन में निम्नतम स्थान ।

3. राजनीतिक प्रशासन के प्रभाव : जनजातियों में अपना एक विशेष ढंग का राजनीतिक संगठन था। उनके गांव में एक व्यक्ति ही मुखिया होता था। वह ही सबको आदेश देता था वह सभी व्यक्तियों को मान्य होता था। जब से अंग्रेजी शासन समाप्त हुआ तब से राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायतों का कार्य ले लिया इसके अलावा कुछ जनजातियाँ लोगों ने अपना अलग अस्तित्व बनाने के लिये अनेक आंदोलन भी किया था। जैसे नागालैण्ड, राजनैतिक क्षेत्रों में विभिन्न रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का ज्ञान पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पाता था।

4. न्याय प्रशास के प्रभाव : ऐसे क्षेत्रों को परिलक्षित करेगी। जहाँ विश्वास का कारण है। इस अधिनियम के अधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है। तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक रक्षक या किसी अन्य अधिकारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौर करने और विधि व्यवस्था का स्थिति का पुनर्विलोकन करने की आदेश देगी, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधीन होगा। इनके अधीन निकट संबंधी सेवकों या कर्मचारियों और कुटुम्बीय एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की दृष्टि से उपबंधों को आर्थिक क्रियान्वयन एवं सहायता प्रदान करेगी।

अत्याचार निवारण हेतु दण्डनीय सामाजिक प्रावधानों के प्रभाव :

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अध्याय 2 में दिन कृत्यों को दण्डनीय अपराध माना गया है। उनके लिये दण्ड की व्यवस्था भी की है, जो 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक या उससे अधिक का कारावास तथा जुर्माना तक हो सकता है। कुछ अपराधों के लिये या आजीवन कारावास मृत्यु दण्ड भी हो सकता है। कुछ अपराध होते हैं, जिनके लिये उपबंधित दण्ड दिया जा सकता है। कोई भी लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किये जाने के लिये अपेक्षित अपने कर्तव्यों का जानबूझकर अपेक्षा करेगा। वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकती है। दण्डनीय होगा धारा 4 कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिये पहले ही दोषी सिद्ध हो चुका है। दूसरा अपराध दिया जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो इस अपराध के लिये उपबंधित तक हो सकेगी। दण्डनीय होगा (धारा 5) (धारा 6) भारतीय दण्ड संहिता के कर्तव्य उपबंधों को भी इस अधिनियम के द्वारा लागू किया जाता है। भारतीय दण्ड संहिता (1860 क 45) की धारा 34 अध्याय 3, अध्याय 4 अध्याय 5 का धारा 149 अध्याय 23 के उपबंध जहाँ तक हो सके इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लागू होती है।

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आवाज लूटकर हत्या

(2) भूखमारी के हालातों में (3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हत्याचार के मामले दर्ज नहीं है।

(4) बंधुआ मजदूर मुक्त (5) जातिवाद पर टिप्पणी

स्थिति में परिवर्तन : सामाजिक पूर्वता: के भाव को नष्ट कर दिया है। जाति में समाजिक जाति में सामाजिक राय को असंभव बना दिया गया है। शुद्र जाति से घिरा हुआ है तथा नैतिकता जाति से आबध हो गयी है। यह मस्तिष्क का रोग है समाजिक आर्थिक, राजनैतिक, शिक्षा संबंधी, धर्म संबंधी एवं इन जातियों का मूलभूत कारण है। यह समाजिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सामाजिक रूप से न्याय प्रदान करने के लिये आश्रत है एवं अमान्यों कष्टों, अपमानों, मानहानि और उनके प्रति शोषण को कम करने के तरीके एवं साधन अंतविष्ट है।

निष्कर्ष: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण के उद्देश्य उपाय और प्रावधानों को लागू करना देश की किसी राज्य बंधनकारी नहीं है। क्योंकि यह अधिनियम संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों और उनके नीति निर्देश तत्वों से अदभूत और पंसद है और सामाजिक न्याय की भावना और लक्ष्मण को प्रतिबंधित करता है। दलित एजेंडा का इस्तेमाल राज्य सरकार राजनीतिक स्वार्थ के लिये न करें कि प्रतिरोध प्रतिभागी शक्तियों की चुनौतियों और अवरोधन का सामना करना पड़ता है, जो कि एक चुनौती है। एवं धर्म जाति और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी विधायक का संस्था जिनकी तरफ नहीं हैं और कम से कम आज तक स्थिति है कि वह जंगरोधी कानून और नियम बनाये जा सके। यह सिर्फ लोक महाराज का माहा ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा ही व्यवस्था है, जो निहित स्वार्थ वाले वर्गों को आवाज निरकुशता नहीं देता एवं सामाजिक न्याय की वह जीवित प्रयोगात्मक तरंगे हैं। जो इतिहास के तुलनात्मक प्रकार से प्रगतिशीलता से स्वभाविक चरित्र के रूप में स्वस्थ रिपोर्ट महात्मा चरित्र के रूप में होती है।

शक्ति के संविदा सिद्धान्त से अदभुत इस स्वाधीनता समानता बंधुत्व के आदेश में सब कुछ बदल दिया है। सोशल मुक्त, सामाजिक न्याय पर आधारित आदर्श समाज की प्रकल्प और आदर्श के रूप में स्थित है, जो मानवाधिकारों की घोषणा करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. जेएन पांडे भारत का संविधान सेंट्रल ल० पब्लिकेशन इलाहाबाद 40 वा संस्करण 20071
2. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि 19891
3. ड० रामगोपाल सिंह सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष राजस्थान ग्रंथ अकादमी जयपुर 19941
4. ड० रघुवंश सिंह मानव अधिकार संरक्षण निवारण अधिनियम डोमिनियम लो डियो 1998 |



15.

विधिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का योगदान**तरुण कुशवाह,**

एल.एल.एम. प्रथम वर्ष, माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर

सर्वेश सोनी,

सहायक प्रध्यापक, माधव विधि महाविद्यालय, ग्वालियर

सार- अनुसंधान में एक सर्वेक्षण प्रश्नों की एक सूची है जिसका उद्देश्य लोगों के एक विशेष समूह से विशिष्ट डेटा निकालना है। सर्वेक्षण फोन, मेल, इंटरनेट के माध्यम से और सड़क के कोनों या मॉल में भी आयोजित किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण का उपयोग सामाजिक अनुसंधान और जनसांख्यिकी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान इकट्ठा करने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है विधिक अनुसंधान के अंतर्गत उन तथ्यों की खोज सम्मिलित है जिस विशिष्ट विषय में वह विधि स्थित है पता क्यों केंब्रिज रखने में अध्ययन बिजनेस या और भविष्यवाणी करने में लाभदायी है अधिवक्ता अनुसंधान का उपयोग विधि की व्याख्या करने में करता है।

1. प्रस्तावना-

सर्वेक्षण अनुसंधान का उपयोग अक्सर विचारों, विचारों और भावनाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षण विशिष्ट और सीमित हो सकते हैं, या उनमें अधिक वैश्विक, व्यापक लक्ष्य हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री अक्सर व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं, जबकि इसका उपयोग मीडिया की अधिक व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि, राजनीतिक उम्मीदवारों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, पेशेवर संगठनों और विज्ञापन और विपणन निदेशकों के मूल्यांकन में। हेल्थकेयर कर्मियों के अभ्यास पैटर्न और विभिन्न नैदानिक समस्याओं और बीमारियों के प्रति पेशेवर दृष्टिकोण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण अनुसंधान भी कार्यरत हैं। सर्वेक्षण के दृष्टिकोणों की तुलना कर सकता है और साथ ही समय के साथ दृष्टिकोण में बदलाव की तलाश कर सकता है एक अच्छा नमूना चयन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नमूने से आबादी के लिए सामान्य करण करने की अनुमति देता है जो सर्वेक्षण अनुसंधान का पूरा उद्देश्य है।

2. विधिक सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य

अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता समस्या के अनुसार विभिन्न विधियों में से एक या एक से अधिक प्राविधि अपनाता है सर्वेक्षण विधि में उसमें विश्वसनीय प्रविधि है

सर्वेक्षण के निम्न उद्देश्य हैं।

(अ). मजदूरों गरीबों के कार्य करने की दशाओं का अध्ययन।

(ब). व्यवहारिक उपयोगिता वादी या सुधारात्मक दृष्टिकोण।

(स). पक्षों के संबंध में तथ्यों का संकलन

(द). किन्ही कार्यवाहियों प्रकल्पनाओं की परीक्षा ।

3. विधिक सर्वेक्षण अनुसंधान की प्रक्रिया

सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अनुशासन की भांति सामाजिक संरक्षण भी एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरता है जो कि उसे व्यवस्थित रूप प्रदान करता है सामाजिक सर्वेक्षण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में बांटी की जा सकती है।

- सर्वेक्षण का आयोजन।
- सर्वेक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य ।
- अध्ययन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया ।
- एक अनुसूची में उक्त समस्या का विश्लेषण।
- क्षेत्र का निर्धारण ।
- परिणामों की व्याख्या ।
- निष्कर्ष निरूपण ।

4. सर्वेक्षण अनुसंधान की दो मुख्य विशेषताएँ

(अ) शोध करना:

अनुसंधान एक अभ्यास है जो किसी विशेष घटना के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग अध्ययन के कण क्षेत्र पर निर्भर अनुसंधान को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, और प्रत्येक की उपयुक्तता अनुसंधान के विशेष विषय पर निर्भर करती है।

(ब) अनुसंधान की प्राविधि:

एम नमूने. स्व-रिपोर्ट का अर्थ है कि शोध के विषयों से अध्ययन किए जा रहे विषय के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और डेटा उन प्रश्नों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएँ हैं। यादृच्छिक नमूनों का मतलब है कि अध्ययन की जा रही आबादी के प्रत्येक सदस्य के अध्ययन में शामिल होने की समान संभावना है। यह वांछनीय है क्योंकि इससे परिणामों के वैध होने या सांख्यिकीय रूप से प्रतिक्रियाओं के वास्तविक माध्य (औसत) के करीब होने की संभावना बढ़ जाती है।

5. विधिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि के स्रोत

विवेक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि के स्रोत निम्नलिखित हैं।

- घटना की कार्य कारणों को जानने की इच्छा-वास्तव में विज्ञान मनुष्य की आस्था पर आधारित है कि सभी घटनाओं के मूल में कुछ ना कुछ कार्य कारण संबंध निहित होता है।
- नवीन और अप्रत्याशित का अध्ययन-अनुशासन में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नई नई विधियों और प्राविधियों का पता लगाने की प्रेरणा से समाज पर क्या प्रभाव व अनुसंधान होते हैं।
- अज्ञात के प्रति जिज्ञासा -जिज्ञासा मानव मस्तिष्क का एक मूल लक्षण है जिज्ञासा की प्रेरणा से मनुष्य अपने चारों ओर के परिवेश में खोज करता है। छोटा बालक भी अपने चारों ओर की वस्तुओं जीव धारियों और मनुष्य को समझने का प्रयास करता है।
- नवीन परिस्थितियों का उत्पन्न होना- अध्ययन के दौरान कभी-कभी नवीन समस्याएं आ जाती हैं यह अनुसंधान विश्लेषण में सक्रिय हो जाता है वह समुदायम संगठनों का एवं रिवाजों का अध्ययन करता है। और गहराई से विश्लेषण करता है अंत में तथ्यों सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

- नवीन प्रणालियों की खोज एवं पुरानी प्रणालियों की परीक्षा-व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत खोज के साधना में बराबर अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है इससे अनुसंधान को और अधिक उपयोगी और शुद्ध बनाया जा सकता है इससे कई प्रणाम करता पता तो लगता ही है आलिया की परीक्षा में भी हो जाती हैं।

6. विधिक सर्वेक्षण के आवश्यक तत्व

सर्वेक्षण में हम निम्नलिखित आवश्यक तत्व देखते हैं

प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध एक निश्चित क्षेत्र से रहता है। समाज की गंभीर समस्या कानूनी उलझन का अध्ययन किया जाता है अध्ययन सामान्य किसी सामुदायिक समस्या से होता है सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर विघटनकारी कारकों का संबंध सामाजिक वातावरण की अव्यवस्थाओं से स्थापित किया जाता है सर्वेक्षण द्वारा जो महत्वपूर्ण तत्व खोजे जाते हैं उनके आधार पर ही उस समस्या के हल या सुधार के लिए उपयुक्त रचनात्मक कार्यक्रम बनाया जाता है। ऐसे सर्वेक्षणों में सांख्यिकी प्रायोगिक पद्धतियों का प्रयोग भी किया जाता है।

7. सर्वेक्षण विधि के लाभ

अन्य तरीकों (प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रयोग) की तुलना में सर्वेक्षण से जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त होती है। सर्वेक्षण सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं, दृष्टिकोण, राय, उद्देश्यों आदि पर जानकारी उत्पन्न करने और उत्पाद सुविधाओं, विज्ञापन मीडिया, बिक्री प्रचार, वितरण के चैनलों और अन्य विपणन चर की योजना बनाने के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रभावी हैं।

प्रश्न पूछना आम तौर पर अवलोकन की तुलना में तेज और सस्ता होता है।

प्रश्नों का प्रबंधन करना सरल है।

डेटा विश्वसनीय है।

परिणामों की परिवर्तनशीलता कम हो जाती है।

सर्वेक्षण विधि द्वारा प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण, उद्धरण और अंतर्संबंध बनाना अपेक्षाकृत सरल है।

8. सर्वेक्षण अनुसंधान विधि

इस प्रकार की शोध पद्धति में, प्रतिभागी प्रश्नावली या सर्वेक्षण के माध्यम से उत्तर देते हैं। यह प्रतिभागियों से फीडबैक इकट्ठा करने के लिए लोकप्रिय शोध उपकरणों में से एक है। इस प्रकार, सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए शोधकर्ता को सही सर्वेक्षण प्रश्न शामिल करने चाहिए जो ओपन-एंड और क्लोज-एंड प्रश्नों का मिश्रण होते हैं। सर्वेक्षण आनलाइन, आमने-सामने या टेलीफोन पर आयोजित किए जा सकते हैं। अब, अनुसंधान विधियों के प्रकारों को समझने के बाद, आइए हम अपना ध्यान अनुसंधान के महत्व पर केंद्रित करें। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और जानकारी इकट्ठा करना है जो विशिष्ट सिद्धांतों के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है जो अंततः अध्ययन के एक विशेष क्षेत्र में ज्ञान विकसित करने में हमारी मदद करता है।

9. अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि की जानकारी

सर्वेक्षण अनुसंधान एक बड़े समूह से जानकारी एकत्र करने का एक अनूठा तरीका है। सर्वेक्षणों के लाभों बड़ी आबादी होना और इसलिए अधिक सांख्यिकीय शक्ति, बड़ी मात्रा में जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता और मान्य मंडल की उपलब्धता शामिल है। हालाँकि, सर्वेक्षण महंगे हैं, कभी-कभी याद करने की सटीकता में विसंगति होती है और सर्वेक्षण की वैधता प्रतिक्रिया दर पर निर्भर करती है। परिणामों के विश्लेषण को सक्षम करने के लिए उचित डिजाइन महत्वपूर्ण है और पायलट अध्ययन इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं।

10. विधिक सर्वेक्षण अनुसंधान मे योगदान

सर्वेक्षण अनुसंधान एक शोध पद्धति है जिसमें लोगों और उनकी प्राथमिकताओं, विचारों और व्यवहारों के बारे में व्यवस्थित तरीके से डेटा एकत्र करने के लिए मानकीकृत प्रश्नावली या साक्षात्कार का उपयोग शामिल है। हालाँकि जनगणना सर्वेक्षण प्राचीन मिस्र में ही आयोजित किए गए थे, एक औपचारिक अनुसंधान पद्धति के रूप में सर्वेक्षण की शुरुआत 1930-40 के दशक में समाजशास्त्री पोल लेजर्सफेल्ड

द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक राय गठन पर रेडियो के प्रभावों की जांच करने के लिए की गई से यह विधि सामाजिक विज्ञान में मात्रात्मक अनुसंधान के लिए एक बहुत लोकप्रिय विधि बन गई थी।

सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग वर्णनात्मक, खोजपूर्ण या व्याख्यात्मक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। यह विधि उन अध्ययनों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें विश्लेषण की इकाई के रूप में व्यक्तिगत लोग होते हैं। हालाँकि विश्लेषण की अन्य इकाइयाँ, जैसे समूह, संगठन या डायड - संगठनों के जोड़े, जैसे खरीदार और विक्रेता - का भी सर्वेक्षण का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है, ऐसे अध्ययन अक्सर प्रत्येक इकाई के एक विशिष्ट व्यक्ति को उस इकाई के लिए प्रमुख मुखबिर या प्रोक्सी के रूप में उपयोग करते हैं। नतीजतन, ऐसे सर्वेक्षण प्रतिवादी पूर्वाग्रह के अधीन हो सकते हैं यदि चुने गए मुखबिर के पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है या रुचि की घटना के बारे में पक्षपाती राय है। उदाहरण के लिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपनी कंपनियों में कर्मचारियों की धारणाओं या टीम वर्क को पर्याप्त रूप से नहीं जानते हैं, और इसलिए टीम की गतिशीलता या कर्मचारी आत्मसम्मान के अध्ययन के लिए गलत मुखबिर हो सकते हैं।

11. विधिक अनुसंधान में सर्वेक्षण शोध के उपकरणों को संचालित करना

उपकरणों के कारण सर्वेक्षण शुद्ध को अधिकतर प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार अनुसूची की सहायता से किया जाता है वैज्ञानिक है क्योंकि जीवन की घटनाओं के अध्ययन के रूप में अनुसंधान के अनेक चरण आते हैं स्व-प्रशासित सर्वेक्षणों के अधिकांश रूपों में, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि वास्तव में प्रश्नावली कौन भरता है। साथ ही, उत्तरदाता प्रश्नावली को भरने से पहले उसके कुछ या पूरे भाग को अच्छी तरह से पढ़ सकता है, जिससे संभावित रूप से उसकी प्रतिक्रियाएँ पक्षपातपूर्ण हो सकती हैं। हालाँकि, स्व-प्रशासित सर्वेक्षणों का सबसे महत्वपूर्ण नुकसान उनकी कम प्रतिक्रिया दर है। चुनी गई प्रशासन की विधि के आधार पर, निम्नलिखित का संयोजन प्रतिक्रिया दर में सुधार करने में मदद कर सकता है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा जिज्ञासा मानव मस्तिक का एक मूल लक्षण है जिज्ञासा की प्रेरणा से मुक्त मनुष्य अपने चारों ओर के परिवेश में खोज करता है।

12. अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि की प्रमुख विशेषताएं

'अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है और आधार पर अनुसंधान सर्वेक्षण एक व्यवस्थित नियंत्रित निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ गहन तथा अनुभवी अध्ययन होता है।

- इसका उद्देश्य एक दी गई स्पष्ट तथा सीमित समस्या से संबंधित नवीन तत्व तथा सामान्य नियमों की खोज करना होता है तथा शादी कार्ड उससे संबंधित पूर्व स्थापित सिद्धांतों का नवीनतम यंत्रों उपकरणों तथा विधियों द्वारा सत्यापन करना भी होता है।
- अनुसंधान में संबंधित समस्या के अध्ययन का आधा संरक्षण ऐसी परिकल्पना अथवा परिकल्पनात्मक कुमकुम वाक्य होते हैं जिनसे की अनुभाविक तथा मात्रात्मक अध्ययन में सुविधा हो ।
- इसमें संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कठोर वैज्ञानिक तथा सर्वेक्षण सांख्यिकी पद्धतियों के आधार पर किया जाता है सर्वेक्षण विधि इस प्रकार अनुसंधान का स्वरूप कुशल विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ होता है।

- इसमें प्राप्त परिणामों का संबंधों की पुनरावृत्ति इस उद्देश्य से भादवा की जाती है सर्वेक्षण सुनिश्चित तथा सुसंगत निष्कर्ष उपलब्ध हो सके।
- अनुसंधान पर आधारित ज्ञान में एक प्रकार की क्रमबद्धता निरंतरता तथा एकता अंतर्निहित रहती है सर्वेक्षण अनुसंधान इस प्रकार का ज्ञान कठोर वैज्ञानिक मापदंड पर परिशुद्ध वैद्य तथा विश्वसनीय रहता है।
- अनुसंधान के सर्वेक्षण तथा प्राप्त सर्वेक्षण निष्कर्ष एवं नियम को नियमित रूप से एक प्रतिवेदन के रूप प्रस्तुत किया जाता है ताकि उस क्षेत्र के आगामी अनुसंधान में उनका संदर्भ सहज रूप से हो सके इस आधार पर अनुसंधान के प्रतिवेदन का प्रकाशन भी अनुसंधान सर्वेक्षण प्रकम का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण विधि और सामाजिक शोध में सर्वेक्षण की प्रासंगिकता की जानकारी देना इकाई 20 का लक्ष्य था। सर्वेक्षण पद्धति के इतिहास को बताते हुए इसमें सर्वेक्षण करने की क्रिया विधि बताई गई है साथ ही सर्वेक्षण के लाभ और उस में आने वाली समस्याएं की भी जानकारी दी गई है। विदेश शब्द लॉ डिक्शनरी के अनुसार विधिक विधि से संबंधित है। विधिक वह है जो विधि की सीमा में आता है। जब की विधि वह शासन पद्धति सामाजिक व्यवस्था प्रचलित विधि है जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज के माध्यम से मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से उपयोग में लाई जाती है विधि विधायन न्याय पूर्व निर्णयो एवं स्वीकृत विधिक सिद्धांतों का संकलन है।

संदर्भ

1. पकोव्स्की, जेम्स एम.य गायक, एलेनोर य दूज्यू, रोजर (2004)। “सर्वेक्षण अनुसंधान का परिचय”। सर्वेक्षण अनुसंधान में विली श्रृंखला। वॉल्यूम 561 (2 संस्करण)। होबोकेन, न्यू जर्सी: जॉन विली एंड संस (प्रकाशित 2009)।
2. गर्ल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ए.आई. आर. 1981 एस.सी।
3. डीसी वाधवा बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर 1987 एस. सी.।
4. एमएच-, यू पीआर क्यू ओ एसजेडएच ओह एलएच फ्ल्यूजीके और वीकेएफएफके जेडडी केकेएसधके एस आरआरओ आरएच बायके जीके एनए।
5. आर्थर ऑरहौसर “क्या जनमत सर्वेक्षण संगठित श्रम के लिए निष्पक्ष हैं? जनमत त्रैमासिक खंड. एक्स (19412)।
6. नॉर्मन अनुसंधान सी मायर और क्लेट्स जे. बर्क –“सैपलिंग तकनीकों की प्रयोगशाला टेक्स” सार्वजनिक राय त्रैमासिक।
7. डेमिंग डब्ल्यू एडवर्ड सर्वेक्षण “आन एरर्स इन सर्वेज” अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, वाल्यूम। एक्स (अगस्त 1944)।
8. डॉ. अंकिता गुप्ता (2015) – सामाजिक सर्वेक्षण-उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी दूरस्थ शिक्षा सामग्री।
9. कौल, लोकेश. (2011), अनुसंधान कार्य 92 प्रणाली नई दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस।
10. दुम्का च.शे तथा जोशी घ. 1999 विधिक अनुसंधान सर्वेक्षण प्रकाश बुक डिपो
11. एसएमएस (2017)। विधिक के स्रोत अबोसाआर प्रोक्षण संस्था, आईएसबीएन: बंगलाबाजार, उर्फ-
- 12 .शर्मा, आर.ए. : यंग पी.वी. 1988 साइंटिफिक सोशल सर्विज एंड रिसर्च पेटिस हॉल नई दिल्ली।



16.

‘इयत्ता १०वी तील विद्यार्थ्यांना गणितीय विषयातील अध्ययन क्षमता प्राप्त करण्यात येणाऱ्या अडचणी : एक अभ्यास’

डॉ. बालाजी गणपतराव गिरगांवकर

M.Sc. M.Ed. Ph.D.
मार्गदर्शक

सहयोग सेवाभावी संस्थेचे अध्यापक महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड

अर्चना विठ्ठलराव झांगडे

M.A. M.Ed. NET (Education)
संशोधिका

सारांश: विद्यार्थ्यांनी अध्ययन करून आपल्यामध्ये क्षमता विकसित करणे हे शिक्षणातून अपेक्षित असते. प्रत्येक व्यक्ती ही विशिष्ट अशा व्यक्तिमत्त्वाची असते. व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास होणे हे शिक्षणातून अभिप्रेत असते. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपल्या विद्यार्थी दशेत आपल्या क्षमता वृद्धिंगत करणे गरजेचे असते. त्यासाठी या अध्ययन क्षमता कितपत विकसित झाल्या, त्यामध्ये कोणत्या अडचणी आल्या हे जाणून घेणे गरजेचे असते. याचा विचार करून संशोधिकेने प्रस्तुत विषय निवडू या समस्येवर प्रकाश टाकला आहे. त्यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी यांच्याकडून प्रश्नावली भरून घेवून विश्लेषण करून निष्कर्ष काढण्यात आले.

प्रस्तावना :

विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रत्येक इयत्तेमध्ये काही अध्ययन क्षमता अवगत करावयाच्या असतात. त्यानुसार त्याचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास घडत असतो. यातूनच एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व आकार घेत असते. संतुलीत व्यक्तिमत्त्वाचे विद्यार्थी निर्माण करणे हे शिक्षणाचे प्रमुख ध्येय आहे. यातूनच चांगल्या समाजाची निर्मिती होत असते.

त्यामुळे प्रत्येक इयत्तेनुसार ठरवून दिलेल्या अध्ययन क्षमता विद्यार्थ्यांनी त्या त्या कालावधीत प्राप्त करणे अतिशय गरजेचे असते. अध्ययन म्हणजे शिकणे होय; परंतु नुसते शिकणे महत्त्वाचे नसून काही क्षमता कौशल्ये प्राप्त करणे हे अतिशय महत्त्वाचे असते, त्यामुळे अध्ययन क्षमता फार महत्त्वाच्या आहेत.

गणित हा विषय काही जणांना अवघड वाटतो, परंतु मानसिक, बौद्धिक विकास होण्यासाठी या विषयाचे अतिशय महत्त्व आहे. त्यादृष्टीने विषयाचे अध्ययन करताना कोणकोणत्या अडचणी येतात आणि त्या कशा दूर करता येतील, त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याचा विचार करून आणि ही आजच्या काळाची गरज ओळखून संशोधिकेने प्रस्तुत समस्येचा विचार केलेला आहे.

प्रस्तुत संशोधन लेखामध्ये संशोधन समस्या, उद्दिष्टे, संशोधन पद्धती, नमुना, साधने, प्रत्यक्ष कार्यवाही, शिफारशी याद्वारे समस्येचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

उद्दिष्टे :

१. इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमता जाणून घेणे.
२. इयत्ता १०वीच्या विद्यार्थ्यांना अध्ययन क्षमता अवगत करताना येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेणे.

पद्धती : प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधिकेने सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीची निवड केली आहे.

नमुना निवड : प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधिकेने नांदेड शहरातील एकूण माध्यमिक शाळांपैकी चार शाळांची संशोधनासाठी निवड केलेली आहे. या शाळांमधून प्रत्येकी १० विद्यार्थी आणि दोन शिक्षकांची नमुना म्हणून निवड केली आहे.

संशोधनाची साधने :


प्रस्तुत संशोधनासाठी प्रश्नावली या साधनाचा वापर केलेला आहे. यातून जे प्रतिसाद प्राप्त झाले त्यांचे विश्लेषण करून निष्कर्ष काढण्यात आलेले आहेत.

प्रत्यक्ष कार्यवाही :

प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधिकेने नांदेड शहरातील १० वीच्या विद्यार्थ्यांचा गणितीय अध्ययन क्षमता अवगत करण्यातील अडचणींचा अभ्यास करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी खालील शाळांचा नमुना म्हणून अंतर्भाव केला आहे.

१. जिजामाता कन्या शाळा
२. सावित्रीबाई फुले हायस्कूल
३. महात्मा फुले हायस्कूल
४. सरस्वती भुवन हायस्कूल

या चार शाळांना भेट देऊन सर्वेक्षण पद्धतीने संशोधन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. या चार शाळांमधील प्रत्येकी १० विद्यार्थ्यांची म्हणजे एकूण ४० विद्यार्थ्यांची यादृच्छिक पद्धतीने नमुना निवड करण्यात आली. तसेच प्रत्येक शाळेतील २ माध्यमिक शिक्षकांची सर्वेक्षणासाठी निवड करण्यात आली. अशा एकूण ४० विद्यार्थ्यांकडून व २ शिक्षकांकडून प्रश्नावली भरून घेण्यात आल्या. प्रश्नावलीद्वारे प्राप्त प्रतिसादांचे कोष्टकीकरण करून विश्लेषण व अर्थनिर्वचन करण्यात आले. प्राप्त प्रतिसादावरून नांदेड शहरातील माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता १० वी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमता प्राप्त करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेण्यास एक दिशा प्राप्त झाली.



इयत्ता १० वीतील विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या अध्ययन क्षमता दर्शविणारा तक्ता शिक्षक प्रश्नावलीनुसार प्राप्त माहिती.

पुढील संशोधनासाठी विषय

इयत्ता १० वीतील विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या अध्ययन क्षमता दर्शविणारा तक्ता शिक्षक प्रश्नावलीनुसार प्राप्त माहिती.

अ.क्र.	गणितीय क्षमता	विद्यार्थी प्रमाण
०१.	संबोध गणित क्षमता	५०%
०२.	शाब्दिक गणितीय क्षमता	२५%
०३.	तार्किक व अनुमान क्षमता	२५%

विश्लेषण व अर्थनिर्वचन :

वरील विवेचनावरून असे दिसून येते की, एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ५०% विद्यार्थ्यांना गणितीय संबोधाचे ज्ञान आहे. तर शाब्दिक गणितीय क्षमता आणि तर्क व अनुमान क्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २५%, २५% आहे.

विद्यार्थ्यांना अध्ययन क्षमता अवगत करताना येणाऱ्या अडचणी

अ.क्र.	शाळांची नावे	तार्किक क्षमता	संबोधन क्षमता	शाब्दिक गणित	गणन क्षमता
०१.	जिजामाता कन्या शाळा	४०%	२०	२०	२०
०२.	सरस्वती भुवन हायस्कूल	४०%	१०	२०	३०
०३.	महात्मा फुले हायस्कूल	४०%	३०	१०	२०
०४.	सावित्रीबाई फुले हायस्कूल	४०%	३०	२०	१०

यावरून असे दिसून येते की गणितीय संबोधाचे आकलन करताना येणाऱ्या अडचणींचे विद्यार्थी प्रमाण हे शाळापरतवे वेगळे दिसून येते.

निष्कर्ष :

वरील विवेचनावरून पुढीलप्रमाणे निष्कर्ष दिसून येतात.

१. शाळापरतवे गणितीय अध्ययन क्षमता अवगत करताना येणाऱ्या अडचणींचे प्रमाण भिन्न-भिन्न आहे.
२. तार्किक क्षमता अवगत करताना येणाऱ्या अडचणी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे गणितीय संबोधांचे आकलन करताना येणाऱ्या अडचणी असणारे विद्यार्थी प्रमाण जास्त आहे.

शिफारशी :

१. शालेय स्तरावर तार्किक क्षमतेला चालना देणाऱ्या शालेय उपक्रमांचा समावेश वाढवावा.
२. विद्यार्थ्यांच्या गणित अध्ययन क्षमता विकसित होतील अशा स्वरूपाचे स्वाध्याय, गृहपाठ घ्यावेत.
३. गणित विषयाबद्दल आवड वाटू लागेल अशा स्वरूपाचे उपक्रम शाळांमध्ये राबविले जावेत.

संदर्भ :

१. भारतातील सेकंडरी एज्युकेशनची स्थिती : एक विश्लेषण.
२. शै. संशोधनाची मूलतत्त्वे : मुळे रा. शं., उमाटे वि. तु.
३. इ. १० वी पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

